भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परिणाम बजट

OUTCOME BUDGET

2016-2017

विधि और न्याय मंत्रालय

Ministry of Law and Justice

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	I.	कृत्य और संगठनात्मक गठन	1–9
2.	II.	वित्तीय और परिणाम बजट	10–11
3.	III.	सुधार उपाय और नीति संबंधी पहल	12–24
4.	IV.	निर्धारित किए गए लक्ष्यों की समीक्षा	25–33
5.	V.	वित्तीय समीक्षा और व्यय की प्रवृत्तियां	34
6.	VI.	सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा	35–43
7.	उपाबंध–I	संगठनात्मक चार्ट, विधि कार्य विभाग	44
8.	उपाबंध–II	संगठनात्मक चार्ट, न्याय विभाग	45
9.	उपाबंध–III	संगठनात्मक चार्ट, न्याय विभाग	46
10.	उपाबंध–IV	वित्तीय परिव्यय, प्राक्कलित वास्तविक निष्कर्ष एवं प्राक्कलित/बजटीय परिणाम	47–55
11.	उपाबंध–V	योजनागत/योजनेतर स्कीमों के संबंध में लक्ष्यों की तुलना	56–62
12.	उपाबंध–VI	मांग सं. 64 वित्तीय समीक्षा और व्यय की प्रवृत्तियों का स्कीम–वार विवरण	63
13.	उपाबंध–VII	कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित विवरण तालिका	64
14.		2015–16 अनुदान उपशीर्ष पर व्यय का विवरण	75–71
15.		शीर्षवार व्यय का विवरण	72–73

अध्याय 1

कृत्य और संगठनात्मक गठन

संघ के विधि और न्याय मंत्रालय में तीन विभाग हैं, अर्थात् विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग और उक्त विभागों के माध्यम से मंत्रालय संविधान में अधिकथित उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में क्रमिक परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायता करता है ।

2. जहां तक सरकार के क्रमश: विधायी कारबार तथा मंत्रालयों/विभागों को विधिक मामलों में सलाह देने का संबंध है, विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं । इस प्रकार उक्त दोनों विभागों के पास ऐसी कोई विनिर्दिष्ट स्कीमें नहीं हैं, जिन्हें विनिर्दिष्ट और परिमाणात्मक कार्यपालन के रूप में निष्पादित किया जा सके ।

2. विधि कार्य विभाग

कृत्य और उत्तरदायित्व

1. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य मदों का आबंटन किया गया है:--

(क) मंत्रालयों को विधिक विषयों पर सलाह देना, जिसके अंतर्गत संविधान और विधियों का निर्वचन, हस्तांतरण-लेखन कार्य और उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसे मामलों में, जिनमें भारत संघ एक पक्षकार है, भारत संघ की ओर से उपसंजात होने के लिए काउंसेल नियोजित करना शामिल है ।

(ख) भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और राज्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार के अन्य विधि अधिकारी, जिनकी सेवाओं का उपयोग भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा समान रूप से किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में भाग लेने वाली राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करना ।

(घ) सिविल वादों में समनों की तामील, सिविल न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन, भरणपोषण के आदेशों के प्रवर्तन और भारत में मृत विदेशी व्यक्तियों की संपदाओं के प्रशासन के लिए विदेशों के साथ पारस्परिक प्रबंध करना।

(ङ) संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अधीन राष्ट्रपति की ओर से संविदाओं के निष्पादन और संपत्ति के हस्तांतरण-पत्रों के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए या उसके

विरुद्ध किए गए वादों में वाद-पत्रों या लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना ।

(च) भारतीय विधि सेवा ।

(छ) सिविल विधि के मामलों में विदेशों के साथ संधि और करार करना ।

(ज) विधि आयोग।

(झ) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25)सहित विधि व्यवसाय और उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्ति।

(ञ) उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की परिधि को बढ़ाना और उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करना; उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के लिए पात्र व्यक्ति; भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश।

(ट) नोटरी अधिनियम, 1952 (1952का 53)का प्रशासन ।

(ठ) आय-कर अपीलीय अधिकरण ।

(ड) विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण ।

2. विभाग को निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन का कार्य भी सौंपा गया है:-

(क) अधिवक्ता अधिनियम, 1961

(ख) नोटरी अधिनियम, 1952

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001

(घ) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005

3. यह विभाग विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, आय-कर अपीलीयअधिकरण, राष्ट्रीय कर अधिकरण और भारत के विधि आयोग का प्रशासनिक प्रभारी भी है । यह विभाग भारतीय विधि सेवा से संबंधित सभी विषयों से भी प्रशासनिक रूप से संबद्ध है । इसके अतिरिक्त, यह विधि अधिकारियों, अर्थात भारत के महान्यायवादी, भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिसिटरों की नियुक्ति से भी जुड़ा है । विधि के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने व वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को प्रोत्साहन देने तथा विधि व्यवसाय में सुधार लाने के उद्देश्य से यह विभाग इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुछ संस्थानों जैसे कि भारतीय विधि संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान तथा भारतीय बार काउंसिल को सहायता अनुदान प्रदान करता है।

3. संगठन की संरचना

विधि कार्य विभाग की व्यवस्था दो सोपानों में है, अर्थात नई दिल्ली स्थित मुख्य सचिवालय और मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै एवं बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय ।विभाग के कर्तव्यों की प्रकृति को मुख्यत: दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है—सलाह कार्य और मुकदमा संबंधी कार्य । विभाग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध-1** में दिया गया है।

(क) मुख्य सचिवालय-:

(1) मुख्य सचिवालय में अधिकारियों की जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत विधि सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं। विधिक सलाह देने और हस्तांतरण-लेखन से संबंधित कार्य को अधिकारियों के समूहों में वितरित किया गया है।सामान्यत:, प्रत्येक समूह का प्रधान एक अपर सचिव या संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार होता है, जिसकी सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर अन्य विधि सलाहकार हैं ।

(2) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की ओर से मुकदमा-कार्य का संचालन केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग करता है। इस समय इस अनुभाग के प्रधान एक अपर सचिव हैं।

(3) दिल्ली उच्च न्यायालय में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की ओर से मुकदमा-कार्य का संचालन मुकदमा (उच्चन्यायालय) अनुभाग करता है। इस समय इस अनुभाग के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं ।

(4) दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य की देखभाल मुकदमा (निचला न्यायालय) अनुभाग करता है । इस समयइस अनुभाग के प्रधान एक सहायक विधि सलाहकार हैं।

(5) विभाग में एक विशेष सेल अर्थात् कार्यान्वयन सेल है जिसका कार्य विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961के प्रशासन से संबंधित कार्य करना है । यह विधि व्यवसाय से संबंधित कार्य भी देखता है । यह सेल राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 का कार्य भी देखता है और इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है।

(6) रेलवे बोर्ड और दूरसंचार विभाग प्रत्येक में संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक-एक स्वीकृत पद है और इन पदों के पदधारी उक्त कार्यालयों में ही कार्य करते हैं। लोक उद्यम विभाग में भी संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार का एक पद स्वीकृत है और पदधारी अधिकारी उक्त विभाग में माध्यस्थम के स्थायी तंत्र की स्कीम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। एक उप विधि सलाहकार पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में माध्यस्थम के मामलों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, एक उप विधि सलाहकार रक्षा मंत्रालय

के अधीन सेना क्रय संगठन में कार्य करता है और विभिन्न स्तरों के कुछ पद, जैसे कि अपर विधि सलाहकार, उप विधि सलाहकार और सहायक विधि सलाहकार, रक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और पूर्ति और निपटान महानिदेशालयमें भी हैं ।

(ख) शाखा सचिवालय, मुंबई

विभाग का मुंबई स्थित शाखा सचिवालय बम्बई उच्च न्यायालय से संबंधित मुकदमा कार्य और संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र के अन्य अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित मुकदमा कार्य का संचालन करता है और विधिक सलाह देता है।

वर्तमान में, इस मुंबई स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार हैं। उनकी सहायता के लिए एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, दो अपर सरकारी अधिवक्ता, एक सहायक विधि सलाहकार और दो अधीक्षक (विधि), एक अनुभाग अधिकारी/डीडीओ और अन्य कर्मचारी हैं।

(ग) शाखा सचिवालय, कोलकाता

इस विभाग का शाखा सचिवालय, कोलकाता कलकत्ता उच्च न्यायालय में तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित उसकी सर्किट बेंच में और पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों के अन्य उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ न्यायालयों में भारत संघ के मुकदमा कार्य को देखता है। यह शाखा सचिवालय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कोलकाता पीठ में और कटक, गुवाहाटी, पटना स्थित उसके अन्य पीठों तथा सिक्किम ओर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में उसके सर्किट बेंच में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को भी देखता है।

शाखा सचिवालय,कोलकाता के प्रधान एक वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताहैं,जो समग्र प्रभारी के तौर पर भी कार्य करते हैं।उनकी सहायता के लिए एक अपर सरकारी अधिवक्ता,एक सहायक विधि सलाहकार और एक अनुभाग अधिकारी /डीडीओ तथा अन्य कर्मचारी हैं ।

(घ) शाखा सचिवालय, चेन्नै

चेन्नै स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं। उनकी सहायता के लिए एक सहायक विधि सलाहकार और एक अनुभाग अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हैं ।

(ड.) शाखा सचिवालय, बंगलूरु

बंगलूरु स्थित शाखा सचिवालय के प्रधान एक उप विधि सलाहकार हैं । उनकी सहायता के लिए दो सहायक विधि सलाहकार और एक अनुभाग अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हैं।

जहां तक संघीय सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के

रूप में कार्य करता है । इसलिए इसके पास ऐसी विशिष्ट स्कीमें नहीं हैं, जिन्हें विनिर्दिष्ट और परिमाणात्मक कार्यपालन के रूप में निष्पादित किया जा सके । तथापि, एक सेवा प्रदाता के रूप में यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है ।

4. विधायी विभाग

विधायी विभाग से मुख्य रूप से संबंधित विशय–वस्तुओं की रूपरेखा निम्नानुसार है :

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों की प्रारूपण एवं सांविधानिक दृष्टि से संवीक्षा करना ;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने से पहले उनका प्रारूपण तैयार करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजना ; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर-सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर-सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं ;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त, प्रवर तथा स्थायी समितियों की सहायता करना । इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी भाामिल है ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना ;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना ;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना ;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है ;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करनाय

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है ;

(x) संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन ;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का केंद्र और राज्यों/विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजन ;

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार ;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन ;

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबधित विशय ;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले ;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान ;

(xviii) संघ एवं राज्य सरकारों आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रकाशन तथा हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवादों का प्रकाशन करना और विधिक तथा कानूनी दस्तावेजों का भी अनुवाद करना ।

(xx) सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का पत्रिकाओं के रूप में प्रकाशन'

2. विधायी विभाग के नियन्त्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है । इसके अधीन दो अन्य खंड हैं अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं ।

(क) विधायी विभाग का **राजभाषा खंड** मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है । यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है । राजभाषा खंड, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो प्रत्यक्ष रूप से विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है ।

(ख) **विधि साहित्य प्रकाशन** प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है । इस संबंध में, विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों तथा विधि महाविद्यालयों में प्रदर्शनियां भी लगाता है । हिन्दी में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन तथा पाठ्य पुस्तक अथवा संदर्भ पुस्तक के रूप में प्रयोग हेतु ऐसी पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान करने की स्कीम के अंतर्गत 5,00,000/- (पांच लाख रू. मात्र) तक के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, हिन्दी में उत्कृश्ट प्रका ान के लिए वार्शिक रूप से रू. 50,000/- (पचास हजार रू. मात्र) के प्रथम पुरस्कार,रू. 30,000/- (तीस हजार रू. मात्र) के द्वितीय पुरस्कार तथा रू. 20,000/- (बीस हजार रू. मात्र) के तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

3. विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी तथा सहायक विधायी परामर्शी सम्मिलित हैं । सभी प्रकार के प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और विभिन्न कानूनों के तहत अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य अधिकारियों के समूहों को वितरित किए गए हैं । प्रत्येक समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं । सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं । विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट **उपबंध II** पर है ।

5. न्याय विभाग

न्याय विभाग (डी.ओ.जे.), विधि एवं न्याय मंत्रालय (एम.ओ.एल.एंड जे.) का एक अंग है। न्याय विभाग को गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) द्वारा भी प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

भारत सरकार (कार्य संचालन) नियमावली, 1961 के अनुसार, न्याय विभाग द्वारा किए जा रहे विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र तथा उन्हें पद से हटाना; उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति संबंधी अधिकार (अवकाश भत्तों सहित), पेंशन और यात्रा संबंधी भत्ते।
2. राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाना आदि, उनका वेतन, अनुपस्थिति की अनुमति संबंधी अधिकार (अवकाश भत्तों सहित), पेंशन और यात्रा संबंधी भत्ते।
3. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।
4. उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोड़कर) (किन्तु इस प्रकार के न्यायालय की अवमानना सहित) तथा उनमें लिया जाने वाला शुल्क।
5. इन न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित प्रावधानों को छोडकर उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों का गठन और आयोजन।
6. संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और आयोजन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।
7. संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी।
8. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन।

9. जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।
10. किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।
11. गरीबों को विधिक सहायता
12. न्याय प्रशासन
13. न्याय तक पहुंच, न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार

संगठनात्मक ढांचा

विभाग के प्रमुख सचिव हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के वरिष्ठ अधिकारी है। इसके संगठनात्मक ढांचे में दिनाँक 01-01-2016 की स्थिति के अनुसार सचिव (न्याय) के अतिरिक्त, चार संयुक्त सचिव, छः निदेशक/उप सचिव और सात अवर सचिव शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मामलों के अतिरिक्त, इस विभाग को हाल ही में गठित न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन, न्यायपालिका और ई न्यायालय के लिए आधारभूत सँरचना के विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना सहित योजनागत एवं योजनेतर स्कीमों के कार्यान्वयन एवं उनकी निगरानी का कार्य भी सौंपा गया है। विभाग का वर्तमान संगठनात्मक ढांचा उपाबंध **III** पर है।

विभाग द्वारा कार्यान्वित और अनुश्रवणित योजनाएं

न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित और निगरानी की जा रही योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

योजनागत स्कीमें

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है और इसकी अवधि 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ है। यह उन मुद्दों के निराकरण का एक मंच प्रदान करता है जो न्यायपालिका के निष्पादन को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय मिशन में जोर दिया जाने वाला क्षेत्र अधीनस्थ न्यायपालिका में आधारभूत संरचना का विकास है। निम्नलिखित अन्य स्कीमें/कार्यक्रम भी राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों में सहायता प्रदान करते हैं:-

(i) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना*

(ii) जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों/ ई-न्यायालय के कंप्यूटरीकरण की योजना।

(iii) न्याय तक पहुंच - भारत सरकार

(iv) भारत में न्याय तक पहुंच को सुदृढ करना (एसएजेआई)(ईएपी)

(v) न्यायिक सुधार संबंधी कार्य अनुसंधान और अध्ययन

न्यायपालिका के लिए आधारपूर्व सुविधाओं के विकास और राज्य सरकारों को ग्राम न्यानालयों की स्थापना और उनके संचालन की लिए सहायता देने की केंदीय प्रायोजित योजना

योजनेतर स्कीमें

न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित एवं अनुश्रवणित योजनेतर स्कीमें निम्नानुसार हैं।

1. विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यांवयन का अनुश्रवण और मूल्यांकन करने और अधिनियम 1987 के अंतर्गत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को सहायता-अनुदान।
2. कुटुम्ब न्यायालयों को संचालित करने के लिए राज्यों को विनिर्दिष्ट दरों पर केन्द्रीय सहायता।
3. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल को इसके संचालन व्यय को पूरा करने हेतु सहायता अनुदान।

न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनागत एवं योजनेतर स्कीमें और इसके द्वारा संभाले जाने वाले विषयों का लक्ष्य सुगठित न्यायिक प्रशासन को सुकर बनाने, न्यायालयों में मामलों के बैकलॉग एवं yacu को कम करने के लिए उच्च न्यायालयों एवं राज्यों को सहायता मुहैया कराना है।

अध्याय 2

वित्तीय और परिणाम बजट

वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या 56- विधि और न्याय के संबंध में स्कीम-वार बजट आबंटनों का सारणीबद्ध प्रारूप निम्नलिखित अनुसार है:

(रुपए करोड़ में)

			बजट अनुमान, 2016-17		
		मुख्य शीर्ष	योजना	गैर-योजना	योग
क्र.सं.	अनुदान सं. 56	राजस्व	900.00	4111.99	5011.99
		पूंजी	0.00	88.01	88.01
		योग	900.00	4200.00	5100.00
1	सचिवालय-साधारण सेवाएं	2052	0.00	126.81	126.81
2	राज्य निर्वाचन के अंग				
	2.01-लोकसभा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्वाचन	2015	0.00	1761.43	1761.43
	2.02-अन्य निर्वाचन व्यय	2015	0.00	1847.86	1847.86
	2.03-मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना	2015	0.00	40.00	40.00
	योग		0.00	3649.29	3649.29
3	कर अधिकरण				
	3.01-आयकर अपीलीय अधिकरण	2020	0.00	73.47	73.47
	3.02-राष्ट्रीय कर अधिकरण	2020	0.00	0.01	0.01
	योग		0.00	73.48	73.48
4	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)	2014	0.00	140.00	140.00
5	अन्य कार्यक्रम	2070	0.00	21.21	21.21
		2014	5.00	101.19	106.19
6	न्याय प्रदायन और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन (केंद्रीय क्षेत्र की योजना)				
	6.01-ई-न्यायालय फेस-II	2014	256.00	0.00	256.00
	6.02- न्यायिक सुधारों के बारे में कार्य अनुसंधान और अध्ययन	2014	9.00	0.00	9.00
	6.03-भारत में न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ बनाना (एस.ए.जे.आई.)	2014	5.00	0.00	5.00
	योग		270.00	0.00	270.00
7	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए योजना				
	7.01-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601	455.00	0.01	455.01
	7.02- ग्राम न्यायालय	3601	5.00	0.00	5.00
	7.03- संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	3601	75.00	0.00	75.00
	7.04- पूर्वोत्तर क्षेत्रों को सहायता अनुदान	3602	90.00	0.00	90.00
	योग		625.00	0.01	625.01
8	पूंजी	4070	0.00	88.01	88.01
	योग		900.00	4200.00	5100.00

अध्याय- II

भाग- II

वित्तीय और परिणाम बजट के बीच तदनुरूपता स्थापित करने के लिए बजट अनुमानों के विवरण के उर्ध्वाकार (वर्टिकल) संकुचन और क्षैतिज (होरिजेंटल) विस्तार को दर्शाने वाला तालिकाबद्ध प्रारूप (वर्ष 2016-17 के लिए न्याय विभाग के लिए प्रस्तावित बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं) (रुपए करोड़ में)

	शीर्ष	**2016-17** का बजट		
		योजना	गैर-योजना	योग
	राजस्व			
सचिवालय-सामान्य सेवाएं				
न्याय विभाग, न्याय प्रदायन एवं विधिक सुधार सम्बंधी राष्ट्रीय मिशन सहित	2052	0.00	7.90 3.20	11.10
न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	2014	5.00	0.00	5.00
न्याय प्रदायन और विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना	2014	**270.00**	**0.00**	**270.00**
न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस)				
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से इतर राज्यों के लिए न्यायपालिका हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं	3601	455.00	0.00	455.00
न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु बिना विधानमंडल वाले और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	3602	75.00	0.00	75.00
अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को सहायता अनुदान	2552	90.00	0.00	90.00
ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्यों को सहायता	3601	5.00	0.00	5.00
विशेष न्यायालय	3601	0.00	0.01	0.01
योग		**625.00**	**0.01**	**625.01**
न्याय प्रशासन				
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एन जे ए)	2014	0.00	20.74	20.74
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) (सहायता अनुदान)	2014	0.00	140 .00	140.00
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)	2052	0.00	8.65	8.65
योग		**0.00**	**169.39**	**169.39**
कुल योग		**900.00**	**180.50**	**1080.50**

2. वित्तीय परिव्ययों, सम्भावित वास्तविक परिणामों और सम्भावित / बजटीय परिणामों, चाहे वे मध्यवर्ती / आंशिक और अंतिम, जैसा भी मामला हो , के ब्यौरे **उपाबंध -IV** में दिए गए हैं। वर्ष 2016-17 के लिए न्याय विभाग की योजनागत स्कीमों के संबंध में लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध -V** में दिया गया है।

अध्याय-III
भाग-1
सुधार उपाय और नीति संबंधी पहल

1. विधायी विभाग

विधायी विभाग एक सेवा उन्मुख विभाग है और इस प्रकार उसके पास ऐसी कोई विनिर्दिष्ट स्कीमें नहीं हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट भौतिक और परिमाणात्मक कार्य पालन से संबद्ध किया जा सके और मानीटर किए जा सकने योग्य कार्यपालन पैरामीटरों में निष्पादित किया जा सके। तथापि, विधायी विभाग द्वारा नीचे वर्णित कतिपय पहल की गई हैं ।

2. विधायी प्रारूपण एवं अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधि प्रारूपण में कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। मौजूदा उपलब्ध व्यक्तियों को विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता होती है । देश में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.) की स्थापना विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खण्ड के रूप में की गई थी। अपनी स्थापना के आरंभ से यह संस्थान विधायी प्रारूपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। अभी आई.एल.डी.आर. की पाठ्यक्रम निदेशक डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय हैं जो संस्थान के नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में भी कार्य करती हैं। 01.01.2015 से आज तक आई.एल.डी.आर. द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया गया है।

2. रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान आई.एल.डी.आर. ने एक बुनियादी पाठ्यक्रम, एक मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा प्रथम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया। विधायी प्रारूपण में सत्ताइसवें बुनियादी पाठ्यक्रम का आयोजन 10 जुलाई, 2015 से 9 अक्तूबर, 2015 के दौरान, विधायी प्रारूपण में अठारवें मूल्यांकन पाठ्यक्रम का आयोजन 19 जनवरी, 2015 से 2 फरवरी, 2015 के दौरान तथा प्रथम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन 20 अप्रैल, 2015 से 19 मई, 2015 के दौरान किया गया था।

3. चेक गणराज्य, अल सल्वादोर, ईस्टोनिया, ईथोपिया, घाना, हंगरी, जमैका, जार्डन, इंडोनेशिया, केन्या, कज़ाकिस्तान, लिसोथो, लिथुआनिया, मंगोलिया, म्यांमार, नौरू, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, फिलीस्तीन, पैन अफ्रीकी संसद, दक्षिण अफ्रीका, स्वाज़ीलैंड, तंजानिया, तथा यूक्रेन के प्रशिक्षु अधिकारियों को आई.एल.डी.आर. द्वारा ऑन–दि–जॉब व्यवहारिक प्रभिक्षण प्रदान किया गया। इन्हें यह प्रभिक्षण संसदीय अध्ययन एवं प्रभिक्षण ब्यूरो, लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित विधायी प्रारूपण में तीसवें अंतर्राश्ट्रीय प्रभिक्षण कार्यक्रम (12 फरवरी, 2015-13 मार्च, 2015) में विभाग के आई.एल.एस. अधिकारियों के साथ दिया गया था।

4. आई.एल.डी.आर. के अधिष्ठापन के सफलतापूर्वक 25 वर्ष पूरे होने तथा देश में विधायी परामर्शी भ्रातृसंघ को अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के उपलक्ष्य में 19 फरवरी, 2015 को रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया था।

5. आई.एल.डी.आर., कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम संचालित करता है ताकि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रूचि पैदा हो सके तथा वे विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी एकत्रित कर सके। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अब तक 15 प्र ाक्षु सफलतापूर्वक इंटर्न ाप पूरी कर चुकें हैं।

6. विधायी विभाग के आर.एफ.डी. को तैयार कर लिया गया है तथा इसे अंतिम रूप देकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय का निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी) आर.एफ.डी. की तैयारी तथा कार्यप्रणाली की निगरानी करता है। उत्कृष्ट निष्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विभाग आर.एफ.डी. 2014-2015 के अनुसार निर्धारित कार्य का निष्पादन कर रहा है। आर.एफ.डी. 2014-2015 में विभाग द्वारा दी गई वचनबद्धता के भाग के रूप में आई.एल.डी.आर. को आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट प्रदान करवाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी। तदोपरांत, एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू.एम.एस.) तैयार की गई है जिसकी स्थापना आई.एल.डी.आर. में की गई है। तत्पश्चात, आंतरिक तथा बाह्य लेखा परीक्षा की गई तथा अंततः आई.एल.डी.आर. में क्यू.एम.एस. के संचालन के मूल्यांकन के आधार पर इसे आईएसओ 9001:2008 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।

3. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम)

मतपेटी के स्थान पर लाई गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) मतदान प्रक्रिया का मुख्य आधार है। ईवीएम में दो इकाईयां होती हैं- कंट्रोल यूनिट (सी यू) तथा बैलट यूनिट (बी यू) जिसमें एक केबल (5 मी. लंबी) होती है जो दोनों को आपस में जोड़ती है। एक बैलट यूनिट में लगभग 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। ईवीएम के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं। इसे समय-समय पर विकसित किया गया है तथा अब यह और अच्छी स्थिति में आ गई है। पूर्व 2006 तथा उत्तर 2006 की की ईवीएम के मामले में 4 (चार) बैलट यूनिटों को एक साथ जोड़ कर अधिकतम 64 उम्मीदवारों (नोटा सहित) के नाम दर्ज किए जा सकते थे, जिसके लिए एक कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जा सकता था। उत्तर 2006 की उन्नत ईवीएम के मामले में 24 (चौबीस) बैलट यूनिटों को एक साथ जोड़ कर 384 उम्मीदवारों (नोटा सहित) के नाम दर्ज किए जा सकते हैं, जिसके लिए एक कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जा सकता है। यह 7.5 वोल्ट की पावर पैक बैटरी पर चलती है। उत्तर 2006 की उन्नत ईवीएम के मामले में, एक कंट्रोल यूनिट के साथ 4 से अधिक बैलट यूनिट जोड़ने की स्थिति में पावर पैक 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं तथा 21वीं बैलट यूनिट में लगाया जाता है। दृष्टिहीन मतदाताओं के मार्गदर्शन हेतु उम्मीदवारों के मतदान बटन के साथ बैलट यूनिट की दायीं ओर ब्रेल संकेतक में 1 से लेकर 16 तक के अंक उभरे होतें हैं। तदोपरांत, मतदान के अनुभव को नई उंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनिंदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम में मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) लागू किया है।

ईवीएम के उन्नयन तथा निपटान संबंधी सभी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) से परामर्श किया जाता है। तत्पश्चात, इस मामले में कोई भी निर्णय लिया जाता है। वर्तमान समय में आयोग में प्रयोग हेतु ईवीएम के तीन प्रकार उपलब्ध हैं- पूर्व 2006, उत्तर 2006। उन्नत उत्तर 2006 (उत्तर 2013) ईवीएम का प्रयोग लोक सभा, 2014 के आम चुनाव में किया गया था।

चूंकि ईवीएम का जीवन लगभग 15 वर्षों का होता है, अतः वर्ष 1989-90 में बनी ईवीएम को नष्ट किया जा रहा है।

अभी तक ईवीएम का प्रापण किया गया है, उसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्रम सं0	खरीद का वर्ष	कुल इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1.	1989-90	150000	750000000
2.	2000-2001	142631	1499880443
3.	2001-2002	135481	1422900000
4.	2002-2003	190592	2006100000
5.	2003-2004	336045	3530000000
6.	2004-2005	125681	1315400000
7.	2006-2007	250000	2893742332
8.	2008-2009	180000	1900000000
9.	2009-2010	100000 जमा 27000 बैलेट यूनिट	1139294685
10.	2013-14	382876 बैलेट यूनिट जमा 251651 कंट्रोल यूनिट	3116900000
11	2015-16		2555780633
	योग	**1610430 ई वी एम** **जमा 409876 बी यू** **जमा 251651 सी यू**	22129998093

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2014-15 के दौरान किसी भी ईवीएम का प्रापण नहीं किया गया था।

4. मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी):

वीवीपीएटी एक स्वतंत्र यंत्र है जो कि इलेक्टऊॅनिक वोटिंग मशीन के साथ लगा होता है जिससे मतदाता जांच सकता है कि मत उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। जब मत डाला जाएगा, प्रिंटर द्वारा उम्मीदवार की क्रम संख्या, उम्मीदवार के नाम तथा उम्मीदवार के चुनाव चिह्न को दर्शाते हुए एक स्लिप मुद्रित होगी तथा 7 सेकंड के लिए पारदर्शी विंडो में दिखाई देगी। इसके पश्चात यह प्रिंटिड स्लिप अपने आप कट जाएगी तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बक्से में गिर जाएगी।

वीवीपीएटी में एक प्रिंटर तथा एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) होता है। वीवीपीएटी 15 वोल्ट के एक पावर पैक (बैटरी) पर चलता है। कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू प्रसाइडिंग ऑफिसर/पोलिंग आफिसर के पास होती है तथा बैलट यूनिट और प्रिंटर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखे जाते हैं।

वीवीपीएटी अभी तक निम्नलिखित चुनावों में प्रयुक्त हुई हैं।

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेभान	मतदान की तिथि	निर्माता
नागालैंड विधानसभा क्षेत्र, 2013 में उपचुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
1	नागालैंड	51–नोकसेन (एसटी) एसी (उपचुनाव)	21	4/9/2013	बीईएल और ईसीआईएल
मिजोरम विधानसभा क्षेत्र, 2013 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
2	मिजोरम	1. 10–आइजोल नार्थ–। (एसटी)		25/11/2013	ईसीआईएल
		2. 11–आइजोल नार्थ–।। (एसटी)			
		3. 12–आइजोल नार्थ–।।। (एसटी)			
		4. 13–आइजोल ईस्ट–। (एसटी)			
		5. 14–आइजोल ईस्ट–।। (एसटी)			
		6. 15–आइजोल वेस्ट–। (एसटी)			
		7. 16–आइजोल वेस्ट–।। (एसटी)			
		8. 17–आइजोल वेस्ट–।।। (एसटी)			
		9. 18–आइजोल साउथ–। (एसटी)			
		10. 19–आइजोल साउथ–।। (एसटी)			
क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेभान	मतदान की तिथि	निर्माता
राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र, 2013 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
3	राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	40–नई दिल्ली एसी		4/12/2013	बीईएल
लोकसभा, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
4	मिजोरम	1– मिजोरम पीसी के 385 पोलिंग स्टेभान	385	11/4/2014	बीईएल
5	बिहार	30– पटना साहिब पीसी	1746	17/4/2014	बीईएल
6	कर्नाटक	26–बंगलौर पीसी	1926	17/4/2014	बीईएल
7	छत्तीसगढ़	8–रायपुर पीसी	2204	24/4/2014	ईसीआईएल
8	तमिलनाडु	4– चेन्नई सेंट्रल पीसी	1153	24/4/2014	बीईएल
9	गुजरात	6–गांधीनगर पीसी	1770	30/4/2014	बीईएल
10	उत्तर प्रदेभा	35– लखनऊ पीसी	1728	30/4/2014	ईसीआईएल
11	पश्चिम बंगाल	22–जादवपुर पीसी	1959	12/5/2014	ईसीआईएल

महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान सितंबर–अक्तूबर, 2014 में निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
12	महाराश्ट्र	38– अमरावती एसी	245	15/10/2014	ईसीआईएल
		42– अचलापुर एसी	290		
		47– वर्धा एसी	332		
		61– भंडारा (एससी)	429		
		71– चंद्रपुर (एससी)	336		
		78– यवतमाल	387		
		107– औरंगाबाद सेंट्रल	258		
		108– औरंगाबाद वेस्ट (एससी)	274		
		109– औरंगाबाद ईस्ट	250		
		123– नासिक ईस्ट	313		
		124– नासिक सेंट्रल	279		
		125– नासिक वेस्ट	290		
		225– अहमद नगर सिटी	259		
क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेभान	मतदान की तिथि	निर्माता
हरियाणा विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
13	हरियाणा	13–थानेसर एसी	161	15/10/2014	बीईएल
		21–करनाल एसी	170		
		25–पानीपत सिटी एसी	168		
		31–सोनीपत एसी	144		
		62– रोहतक एसी	145		
		77– गुड़गांव एसी	171		
झारखण्ड विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
14	झारखण्ड	36– बोकारो एसी	566	14/12/2014	बीईएल
		40– धनबाद एसी	424	14/12/2014	
		48– जमभोदपुर ईस्ट एसी	262	2/12/2014	
		49– जमभोदपुर वेस्ट एसी	290	2/12/2014	
		63– रांची एसी	364	9/12/2014	
		64–हटिया एसी	434	9/12/2014	
		65– कारके (एससी) एसी	388	9/12/2014	
जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
15	जम्मू एवं कश्मीर	71– गांधी नगर	172	20/12/2014	बीईएल
		72– जम्मू ईस्ट	82		
		73– जम्मू वेस्ट	171		
राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, 2015 के आम चुनावों के दौरान जनवरी–फरवरी में निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
16	राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	38– दिल्ली कैंट	150	7/2/2015	बीईएल
		40– नई दिल्ली	220		

बिहार विधानसभा क्षेत्र, 2015 के आम चुनावों के दौरान अक्तूबर–नवंबर, 2015 में निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेभान	मतदान की तिथि	निर्माता
17	बिहार	183– कुम्हरार	355	अक्तूबर–नवंबर, 2015	ईसीआईएल
18		182– बांकीपुर	330		
19		181– दीघा	383		
20		230– गया भाहर	227		
21		94– मुजफ्फरपुर	275		
22		83– दरभंगा	258		
23		194– आरा	261		
24		172– बिहारभारीफ	331		
25		118– छपरा	274		
26		105– सिवान	263		
27		156– भागलपुर	301		बीईएल
28		63– कटिहार	228		
29		62– पूर्णिया	258		
30		165– मुंगेर	284		
31		75– सहरसा	312		
32		208– सासाराम	315		
33		146– बेगुसराय	264		
34		223– औरंगाबाद	273		
35		200– बक्सर	256		
36		54– किभानगंज	238		
37		216– जहानाबाद	286		
38		237– नवादा	303		
39		28– सीतामढ़ी	244		
40		133– समस्तीपुर	227		
41		48– फारबिसगंज	279		
42		241– जमूल	259		
43		36– मधुबनी	281		
44		149– खगारा	210		
45		101– गोपालगंज	285		
46		43– सुपौल	240		
47		73– माधेपुरा	272		
48		161– बंका	238		
49		205– बाबुआ	257		
50		19– मोतीहारी	256		
51		132– हाजीपुर	277		
52		8– बेतिया	213		
मिजोरम विधानसभा क्षेत्र, 2015 में उपचुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में **वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया**					
53	मिजोरम	12– आइजोल एन ई–।।। (एसटी)		21/11/2015	बीईएल

अध्याय – III
भाग-II
न्याय विभाग

<u>सुधार संबंधी उपायों और नीतिगत पहलों का ब्यौरा और ये किस प्रकास से, अन्य बातों के साथ-साथ, वैकल्पिक प्रदायगी तंत्रों, सामाजिक और महिला अधिकारिता आदि के संबंध में मध्यवर्ती परिणामों और अन्तिम परिणामों से संबंधित है:-</u>

(i) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन:

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विद्यमान विलंब और बकायों को कम करके न्याय तक पहुंच बढ़ाने और ढांचागत बदलावों एवं निष्पादन संबंधी मानक और क्षमताएं स्थापित करने के माध्यम से जबावदेही को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थीं। मिशन, न्यायिक प्रशासन में बकायों और लंबित रहने को चरणबद्ध तरीके से कम करने की दिशा में एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कंप्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, अधीनस्थ न्यायपालिका की नफरी में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाज़ी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय की प्रक्रिया में अपेक्षित बदलाव लाना तथा मानव संसाधन विकास पर जोर दिया जाना शामिल है। निम्नाँकित योजनाएँ/ कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्याँ को समर्थित करते हैं।

(क) मिशन मोड परियोजना -(इ-कोर्ट) योजना के रूप में कार्यांवित किए जा रहे जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण इ-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण-I

इ-कोर्ट मिशन मोड परियोजना देश की जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के आईसीटी समर्थकारी के लिए एक राष्ट्रीय गवर्नेंस परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य वादियों, वकीलों और न्यायालयों के आईसीटी समर्थकारी के माध्यम से न्यायपालिका के लिए नामित सेवाएं प्रदान करना है।

इ-कोर्ट परियोजना वर्ष 2005 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की समिति द्वारा अनुमोदित 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' पर आधारित अवधारणा थी। सरकार ने फरवरी. 2007 में 2100 न्यायालय परिसरों में 13,348 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 441.8 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को मंजूरी दी।

सितम्बर 2010 में, सरकार ने 14,249 न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 31 मार्च 2014 को परियोजना समयसीमा में 935 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में संशोधन को मंजूरी दे दी। यह इ-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का पहला चरण है। 95% से अधिक गतिविधियों को 30 नवंबर, 2015 तक पूरा कर लिया गया है।

इ-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का द्वितीय चरण (नई स्कीम)

जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी इ-कोर्ट परियोजना के द्वितीय चरण के लिए नीति और कार्य योजना दस्तावेज (इसके बाद 'पॉलिसी दस्तावेज') को मंजूरी दे दी। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा देश के सभी उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श से उच्चतम न्यायालय की ई कमेटी द्वारा तैयार और अनुमोदित नीति संबंधी दस्तावेज न्यायालयों के आईसीटी समर्थकारी के आगे बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने 16 जुलाई 2015 को हुई बैठक में इ-कोर्ट एमएमपी के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी। 1670 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना को चार साल की अवधि के लिए या परियोजना के पूरा होने तक से, जो भी पहले हो, अनुमोदित किया गया है।

(ख) न्याय तक पहुंच - पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर (भारत सरकार की परियोजना)

परियोजना "न्याय तक पहुंच - पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर" 2012-2017 के पांच साल के लिए 30 करोड़ रुपये की कुल लागत से पूर्वोत्तर के आठ राज्यों (सिक्किम सहित) और जम्मू-कश्मीर में लागू की जा रही है।

परियोजना के उद्देश्य निम्नाँकित हैं:

- समाज के हाशिए पर लोगों और कमजोर वर्गों विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और जनजातीय समुदायों की विधिक जरूरतों का पता लगाना तथा उनके अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करना।
- लोगों की सेवा करने के लिए उनकी क्षमता में सुधार लाने में और आम लोगों को बेहतर सेवाओं की मांग करने और उनके अधिकारों और हकों का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाने में सहयोगी न्याय प्रदायगी प्रणाली।
- असुरक्षित आबादी की विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए और निवारण की तलाश करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए नवीन गतिविधियों का समर्थन ।
- नौ परियोजना राज्यों में असुरक्षित आबादी को विधिक सहायता और विधिक सशक्तिकरण करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को समर्थन ।

परियोजना कवरेज

इस परियोजना को 9 राज्यों में चलाया जा रहा है: -

1. अरुणाचल प्रदेश
2. असम
3. मणिपुर
4. मेघालय
5. मिजोरम
6. नगालैंड
7. सिक्किम
8. त्रिपुरा
9. जम्मू और कश्मीर

(ग) "भारत में हाशिए पर लोगो की न्याय तक पहुंच - यूएनडीपी सहायता प्रदत्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) एसएजेआई (चरण - द्वितीय)

परियोजना की अवधि: **जनवरी 2013 - दिसंबर 2017** ।

परियोजना राज्य: **बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठभूमि

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार यूएनडीपी समर्थन के साथ 'हाशिए के लोगों के लिए न्याय के लिए उपयोग' के बारे में एक परियोजना को लागू कर दिया गया है। परियोजना के प्रथम चरण (2009-2012) में न्याय की आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है और इस प्रयास में, एक सीमा तक हितधारकों की और जमीनी स्तर दोनों पर नीति के स्तर पर हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया गया है। परियोजना में 7000 पैरा-विधिक और युवा वकीलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 2 लाख लोगों तक पहुँच बनाई गयी और सरलीकृत सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री तैयार की गई। यूएनडीपी के समर्थन के साथ परियोजना का एक नया चरण 5 साल (2013-17) की अवधि के लिए शुरू

किया गया है। इस चरण में, इस परियोजना के पिछले चरण में प्राप्त परिणामों को हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

परियोजना, प्रयासों के दोहराव से बचने और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, ग्रामीण विकास राज्य संस्थान, लॉ स्कूलों और गैर सरकारी संगठनों सहित अन्य संस्थानों के साथ काम कर रही है। परियोजना मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में न्याय विभाग की सहायता के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए एम्बेडेड तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रही है।

परियोजना के उद्देश्य (2013-2017):

1. विधिक सेवा प्राधिकरणों को प्रशिक्षित पैनल वकीलों और प्रशिक्षित पैरा-विधिक प्रदान करना।
2. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए चयन नीति ढाँचे का विश्लेषण और आकलन पूरा किया। उपेक्षित समूहों के लोगों की विधिक जागरूकता बढ़ाना।
3. साक्षर भारत, एसआईआरडी और विधि स्कूलों के माध्यम से कार्यान्वित विधिक साक्षरता रणनीति और सामग्री।
4. मौजूदा फास्ट ट्रैक न्यायालयों और न्यायिक प्रशिक्षण की प्रभावशीलता में सुधार के लिए ताजा सबूत एकत्र किये गए।

परियोजना आउटपुट - 2015-16

- ✓ न्याय विभाग ने विधिक साक्षरता को सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और राज्य संसाधन केन्द्र जयपुर और लखनऊ न्याय तक पहुंच परियोजना के समन्वय से 200 संसाधन व्यक्तियों और 600 प्रेरकों को प्रशिक्षित करने के लिए जा रहा है।
- ✓ पायलट परियोजना एसआईआरडी –उत्तर प्रदेश के साथ बाराबंकी जिले में विधिक जागरूकता पर कार्य शुरू किया गया। विधिक सहायता क्लीनिक हाशिए पर व्यक्तियों के लिए क्रमश: नेशनल लॉ

यूनिवर्सिटी, ओडिशा और टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के माध्यम से ओडिशा और महाराष्ट्र में स्थापित किए गए।

- ✓ छत्तीसगढ़ और झारखंड में आवाज आधारित विधिक जानकारी क्योस्क स्थापित किए गए है।
- ✓ परियोजना विभिन्न समुदाय स्तर पर पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ और झारखंड में 34,314 व्यक्तियों तक पहुँच गई है।
- ✓ महिला अनुकूल कोर्ट पर अध्ययन पूरा किया गया ।

(घ) न्याय सुधारों संबंधी कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन

न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन द्वारा न्याय सुधारों संबंधी कार्य अनुसंधान एवं अध्ययन संबंधी एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत न्याय प्रदायगी के क्षेत्र में कार्य अनुसंधान/मूल्यांकन शुरू करने/अध्ययनों की निगरानी करने, संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करने, अनुसंधान एवं निगरानी कार्यकलापों के लिए क्षमता संवर्धन, रिपोर्ट/सामग्री के प्रकाशन, अभिनव कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना की पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय विधि संस्थान (आईएलआइ), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाईड इकनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर), राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए), राज्य न्यायिक अकादमियां (एसजेए) और न्याय प्रदायगी, विधिक शिक्षा और अनुसंधान एवं न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य प्रतिष्ठित संस्थान शामिल हैं। इस योजना के अधीन अब तक 14 अनुसंधान प्रस्ताव / परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं।

(ii) न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)

केन्द्र सरकार न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत वित्तीय सहायता जारी करके राज्य सरकारों के संसाधन बढाती है। केन्द्र और राज्य सरकारें 2011 तक योजना के तहत बराबर का हिस्सा योगदान किया करती थीं, लेकिन 2011-12 के बाद फंड का बंटवारा पैटर्न केंद्र सरकार के फंड का 75% योगदान के साथ संशोधित किया गया । उत्तर-पूर्वी राज्यों में राज्यों के मामले में केंद्र सरकार वित्त पोषण का 90% प्रदान करती है। हालांकि इस

योजना के लिए केंद्रीय वित्त पोषण, बजटीय आवंटन के अधीन है। इस योजना के फंड का बंटवारा पैटर्न को अब संशोधित करके 2015-16 से 75:25 से 60:40 (केन्द्र:राज्य) और (8 उत्तर-पूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) कर दिया गया है।

(iii) ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का अधिनियमन, नागरिकों को उनके घर के पास न्याय तक पहुंच मुहैया कराने के प्रयोजनार्थ बुनियादी स्तरों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए किया गया था। यह अधिनियम, 2 अक्तूबर, 2009 से लागू हुआ। राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने हेतु अनावर्ती व्यय के लिए और पहले तीन वर्षों के लिए इन ग्राम न्यायालयों को चलाने हेतु आवर्ती व्यय की लागत को पूरा करने के लिए वितीय सहायता प्रदान की जाती है। आवर्ती और अनावर्ती सहायता, योजना के दिशानिर्देशों में यथा उपबंधित वितीय सीमा के अध्यधीन है।

(iv) विधिक सहायता (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) (नाल्सा) योजनेत्तर:

विधिक सहायता (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)(नाल्सा) पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धान्तों, दिशानिर्देशों का निर्धारण करता है और उसके लिए प्रभावी और किफायती योजनाएं तैयार करता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ताल्लुक विधिक सेवा समितियां इत्यादि को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्य निष्पादित करने के लिए कहा गया है:

(i) पात्र लोगों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं मुहैया कराना;

(ii) विवादों का सुलहनामा से निपटान करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन; और

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता कैम्प आयोजित करना।

(V) कुटुम्ब न्यायालय

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 सुलह को बढ़ावा देने और शादी और परिवार के मामलों के साथ ही उससे संबंधित मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। राज्यों को हर जिले में कम से कम एक कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार उपलब्ध देश में 438 कुटुम्ब न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में एक विवरण **उपाबंध-VII** के रूप में संलग्न है। 2014-15 में गैर-योजना सहायता के रूप में 3.75 करोड़ रुपये की राशि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को 1.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी थी। 2015-16 के दौरान 3.10 करोड़ रुपए की राशि 31/12/2015 को बिहार की राज्य सरकार को जारी की गई है।

अध्याय-IV
निर्धारित किए गए लक्ष्यों की समीक्षा

पहले से निर्धारित किए गए लक्ष्यों के संबंध में, वर्ष 2014-2015 और चालू वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम तीन तिमाहियों के निष्पादन सहित विगत निष्पादन की समीक्षा । भिन्नता के कारणों सहित भौतिक निष्पादन का विश्लेषण और एक-एक कार्यक्रम के भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियों को दर्शाते हुए, उसका क्षेत्र एवं उद्देश्य।

(i) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार संबंधी राष्ट्रीय मिशन

न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय प्रणाली में देरी और बकाया राशि को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने के द्वारा उपयोग में वृद्धि के दो उद्देश्यों से और निष्पादन के मानकों और क्षमताओं की स्थापना द्वारा स्थापित किया गया है। न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय प्रणाली की सलाहकार परिषद की नौ बैठकें अब तक बुलाई गई है। न्याय वितरण प्रणाली में सुधार और अदालतों में मामलों के लंबित रहने को कम करने के लिए सलाहकार परिषद न्यायिक और विधिक सुधारों के क्षेत्र में अनेक सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों पर कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हैं।

न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन, अन्य बातों के साथ, सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए बेहतर न्यायिक बुनियादी ढांचे, न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण सहित सुविधाओं, न्यायालय प्रक्रियाओं में सुधारों, अत्यधिक मुकदमेबाजी के लिए प्रवण क्षेत्रों में विधायी परिवर्तन, नीतिगत पहलों में शामिल हैं जो न्यायिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा किए गए हैं। अधिवक्ताओं द्वारा उचित पेशेवर आचरण के लिए न्यायिक अधिकारियों और बार सुधारों के लिए बेहतर प्रशिक्षण और जनशक्ति नियोजन पर जोर दिया गया है। सभी हितधारकों द्वारा किए गए ठोस प्रयास के कारण, देश भर में विभिन्न न्यायालयों में मामलों के लंबित होने की बढ़ती प्रवृत्ति की जाँच की गई है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की कमी न्यायालयों में मामलों का बैकलॉग और लँबन मुख्य कारणों में से एक है। राष्ट्रीय मिशन ने नियमित रूप से राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ इस बात का प्रयास किया है। सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों के परिणाम के रूप में, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों / न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2012 के अंत में 17,715 से बढ़ कर जून, 2015, में 20,358 हो गई है। मिशन अब मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ बात कर रहा है। नीचे लिखी योजनाएँ / कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्यों का समर्थन करती हैं :

(क) राज्यों और सँघ राज्य क्षेत्रों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूट्रीकरण (योजनागत)

(i) फरवरी, 2007 में सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रस्तावित ''राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना के आधार पर देश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की एक योजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन दिया था। योजना का पहला चरण वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है। 14,249 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (मार्च, 2012 तक 12,000 न्यायालय और मार्च, 2014 तक 2,249 न्यायालयों) के कम्प्यूटरीकरण के लिए मार्च, 2015 की संशोधित समय सीमा के साथ इस परियोजना की लागत को 935.00 करोड़ रुपए तक संशोधित किया गया था।

(ii) 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्प्यूटरीकरण किये जाने के लिए निर्धारित 14,249 न्यायालयों में से सभी 14,249 न्यायालयों (100 प्रतिशत) में कम्प्यूटरीकरण की तैयारी कर ली गई है जिसमें से 13,643 न्यायालयों (95.75 प्रतिशत) में लैन (लोकल एरिया नेटवर्क), 13,436 न्यायालयों (94.03 प्रतिशत) में हार्डवेयर और 13,672 न्यायालयों (95 प्रतिशत) में सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आई सी टी अवसंरचना का उन्नयन भी किया गया है। 31 दिसम्बर, 2015 तक परियोजना की अन्य गतिविधियों की प्रगति नीचे दी गई है:-

(i) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आईसीटी बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाया गया।

(ii) 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराई गई।

(iii) **सेवा प्रदायगी और एनजेडीजी**: राष्ट्रीय ई-न्यायालय पोर्टल (http://www.ecourts.gov.in) मामलों का पंजीकरण, कारण सूची, मामले की स्थिति, दैनिक आदेश, और अंतिम निर्णय के विवरण जैसी ऑनलाइन सेवाएं वादियों को प्रदान करता है। वर्तमान में, वादी 5.6 करोड़ लंबित मामलों, निर्णित मामलों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अधिक से अधिक 2 करोड़ आदेश/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। वादियों और वकीलों को भी इस तरह मामला दायर करने, आदेश और निर्णय की प्रमाणित प्रतियां, मामले की स्थिति आदि न्यायालय परिसरों में न्यायिक सेवा केंद्र के माध्यम से पोर्टल द्वारा प्रदान की गई सांख्यिकीय सूचना न्यायिक निगरानी और प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(i) परिवर्तन प्रबंधन और प्रशिक्षण: परिवर्तन प्रबंधन कार्य सभी उच्च न्यायालयों में पूरा हो चुका है। 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को यूबीयूएनटीयू-लिनक्स ओएस के उपयोग में

प्रशिक्षित किया गया है और 4000 से अधिक न्यायालय के कर्मचारियों को सिस्टम प्रशासक के रूप में मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) में प्रशिक्षित किया गया है।

(ii) **प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (पीआर):** ई कमेटी ने कार्यकलाप को हाथ में लिया है, पीआर समितियों को अध्ययन करने और मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं और रूपों में संशोधन का सुझाव देने के लिए सभी उच्च न्यायालयों में स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालयों ने पीआर रिपोर्ट प्रस्तुत की है और विधि आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। ई-कमेटी भी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के माध्यम से जनसंपर्क का अध्ययन कर रही है।

(iii) **न्यायालयों और जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) की सुविधा -** ई-कमेटी की देखरेख में वीडियो कान्फ्रेंसिंग पांच जिलों में आरम्भ किया गया है। मार्गदर्शियों के अनुभव के आधार पर भारत के उच्चतम न्यायालय के ई कमेटी के साथ विचार-विमर्श से यह निर्णय लिया गया कि 488 न्यायालय परिसरों और 342 जेलों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की जाए जिसमें से 667 स्थानों पर उपकरण लगा दिया गया है। ई कोर्ट परियोजना के तहत प्रदत्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा के अलावा कुछ राज्यों में भी अपने स्वयं के संसाधनों से न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग को लागू किया गया है।

सरकार ने 16 जुलाई 2015. को हुई बैठक में 1670 करोड़ रुपये की लागत से ई कोर्ट एमएमपी परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी, जिसे चार साल की अवधि के लिए या परियोजना के पूरा होने तक जो भी बाद में हो, अनुमोदित किया गया है। परियोजना का दूसरा चरण में निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों के साथ न्यायालयों की आईसीटी समर्थता को आगे बढ़ाना शामिल है:-

(i) 5751 आसपास के नए न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण

(ii) अतिरिक्त हार्डवेयर के साथ मौजूदा 14,249 कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों की आईसीटी समर्थता को बढाना।

(iii) अंतरसक्रियात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ अंतिम एकीकरण के लिए सुसज्जित, वान और अतिरिक्त बेमानी कनेक्टिविटी के माध्यम से एनजेडीजी करने के लिए देश के सभी न्यायालयों को कनेक्ट करना प्रस्तावित ।

(iv) इस तरह के प्रत्येक न्यायालय परिसर में सेंट्रलाइज्ड फाइलिंग केन्द्रों और टच स्क्रीन आधारित कियोस्क के रूप में नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान करना।

(v) पहले चरण के तहत कवर नहीं किए गए न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस और कनेक्टिविटी का प्रावधान और प्रथम चरण के तहत न्यायिक अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई अप्रचलित हार्डवेयर का प्रतिस्थापन।

(vi) शेष न्यायालय परिसरों और शेष 800 जेलों में 2500 वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापना का प्रावधान।

(vii) राज्य न्यायिक प्राधिकरणों, जिला विधिक सहायता प्राधिकरणों और तहसील विधिक सहायता केंद्रों का कंप्यूटरीकरण।

(viii) डिजिटलीकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन, न्यायिक ज्ञान प्रबंधन और अधिगम उपकरण प्रबंधन के माध्यम से एक मजबूत न्यायालय प्रबंधन प्रणाली बनाना।

(ix) अदालत परिसर में बादल नेटवर्क और सौर ऊर्जा संसाधन की स्थापना।

(x) हाथ से आयोजित उपकरणों के माध्यम से प्रक्रिया सर्विसिंग में सुधार परिवर्तन प्रबंधन और प्रक्रिया फिर से इंजीनियरिंग के माध्यम से अदालतों के निष्पादन के साथ ही सुधार की सुविधा।

(xi) ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और मोबाइल आवेदनों के प्रयोग के माध्यम से आईसीटी समर्थता को बढ़ाया ।

(xii) नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदायगी।

(ख) <u>न्याय तक पहुंच (पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर)- भारत सरकार परियोजना</u>

न्याय तक पहुंच(एन ई एंड जे के) परियोजना के तहत शुरू की गई पहलें नीचे दी गई हैं:-

1. नागालैंड के दो अत्याधिक पिछड़े जिलों त्वैनसांग और मोन जिलों में 46 विधिक सहायता समाधान केन्द्रों की स्थापना : नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नागालैंड के दो अत्याधिक पिछड़े और दूर-दराज़ जिलों त्वैनसांग और मोन जिलों में 46 विधिक सहायता समाधान केन्द्रों की स्थापना का कार्य करेगा। विधिक सहायता समाधान केन्द्र सभी कमजोर वर्गों को विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों इत्यादि को विधिक जागरूकता उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त, एक नि:शुल्क विधिक सहायता केन्द्र के रूप में, ये माध्यस्थम/लोक अदालतों इत्यादि के माध्यम से सामुदायिक विवादों का निपटान करने में सहायता प्रदान करेंगे, और ग्राम परिषदों, गांव बूरावँ/डीबी जैसे पारंपरिक न्यायिक निकायों के सदस्यों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, विधि विद्यार्थियों, पैनल वकीलों, अर्धविधिक स्वयंसेवकों और एनजीओ को प्रशिक्षण देकर स्थानीय संसाधानों का सृजन करेंगे। परियोजना का कार्यकाल 5 वर्ष है। इसका प्रभाव 242 गांवों में रह रहे लगभग 4,50,000 लोगों पर पड़ेगा।

2. **लोगों की विधिक सशक्तिकरण में मौजूद अंतरालों की पहचान करने के लिए आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन :** यह अध्ययन शिलांग, मेघालय स्थित इम्पल्स एन जी ओ नेटवर्क द्वारा कराया गया था। यह, विशेष रूप से उन लोगों, जो गरीब, कमजोर और असुरक्षित हैं, और इसलिए उनके पास अपने अधिकारों की गारन्टी सुनिश्चित करने के संसाधन नहीं हैं, के विधिक सशक्तिकरण में मौजूद अंतरालों की पहचान करने के लिए क्षेत्र आधारित अध्ययन है। इसका लक्ष्य उनके विधिक सशक्तिकरण में आ रही उन बाधाओं एवं अंतरालों की पहचान करना जो न्याय तक पहुंच में बाधक होती हैं और उनकी क्षमताओं में सुधार लाने की दृष्टि से न्याय प्रदायगी

प्रणाली द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का मूल्यांकन करना भी है ताकि ये गरीब और असुरक्षित समुदायों की विधिक सशक्तिकरण के संबंध में प्रभावकारी कार्यक्रमों का विकास करने में सहायक हो सकें।

3. **आठ पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक कल्याण विधानों के बारे में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के अर्ध-विधिक स्वयंसेवियों (पी एल वी) का प्रशिक्षण:** यह कार्यकलाप, ओडिशा के नागरिक समाज संगठन, गरीबों को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु समिति द्वारा किया जा रहा था। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और (प्रत्येक राज्य से 50) नागालैंड से 400 पीएलवी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण के तहत कवर किए गए मुद्दे निम्नलिखित थे - विभिन्न केन्द्रीय और राज्य समाज कल्याण कानूनों, योजनाओं, कार्यक्रमों, न्यायिक प्रक्रियाओं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, अन्यों को विधिक सहायता। प्रशिक्षण का पहला चरण मई 2014 से जुलाई, 2014 के बीच आयोजित किया गया। यह रिफ्रेशर प्रशिक्षण दूसरे चरण में दिसंबर 2014 से फरवरी, 2015 के बीच आयोजित किया गया। इससे आठ पूर्वोत्तर राज्यों के 400 पीएलवी लाभान्वित हुए।

4. जम्मू-कश्मीर में आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन: यह अध्ययन राज्य के लोगों के विधिक सशक्तिकरण में अंतराल की पहचान करने के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा शीर्षक परियोजना "जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लोगों की विधिक सशक्तिकरण में अंतराल की पहचान करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन की जरूरत" पर पहला प्रदेय, पायलट अध्ययन रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन अंतिम चरण में है।

5. जम्मू-कश्मीर में विधिक सहायता क्लीनिकों को समर्थन: परियोजना कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों का समर्थन भी कर रही है। विश्वविद्यालय ने पहले से ही इस परियोजना पर काम खत्म कर लिया है। विभिन्न समर्थक गरीब कानूनों पर कई डिलिवरेबल्स, जैसे 8 किट, तैयार किए गए हैं। दो अनुसंधान परियोजनाओं और विधिक साक्षरता शिविरों आदि जैसे अन्य डिलिवरेबल्स के बारें में कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में हैं।

6. **नौ राज्यों में एक परियोजना टीम की नियुक्ति के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जनशक्ति समर्थन का प्रतिपादन:** नौ परियोजना राज्यों में, राज्यों के स्तर पर न्याय तक पहुँच की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को समर्थन देने के लिए दो व्याव्सायिकों (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) का एक दल प्रस्तावित किया गया है। जम्मू-कश्मीर (पीसी और पीए) राज्य, मेघालय (पीसी और पीए) और मिजोरम (केवल पीसी) को छोड़कर भर्तियों का कार्य पूरा हो चुका है।

7. **आगामी कार्यक्रम: परियोजना में निकट भविष्य में निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए जाएँगे:**

1. पूर्वोत्तर राज्यों के एसआरसी के साथ ही जम्मू-कश्मीर के माध्यम से विधिक साक्षरता कार्यकलाप।
2. महिला एवं बाल विकास, अरुणाचल प्रदेश द्वारा अरुणाचल प्रदेश के चुनिंदा जिलों में संरक्षण अधिकारियों का क्षमता निर्माण।
3. प्रसार भारती, त्रिपुरा के सहयोग से कानून के छात्रों के माध्यम से विधिक साक्षरता।
4. कानून विभाग, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू), शिलांग द्वारा विधिक सहायता पर लॉ कॉलेजों, वकीलों और सिविल सोसायटी के प्रशिक्षण।

(ग) "भारत में हाशिए पर लोगों के लिए न्याय तक पहुँच" - यूएनडीपी सहायता प्रदत्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

इस चरण (2013-17) में, परियोजना के पिछले चरण की उपलब्धियों पर निर्माण और न्याय के लिए मांग के सृजन और इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने पर काम जारी है। न्याय तक पहुँच परियोजना का फोकस गरीब और उपेक्षित लोंगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए विधिक सेवाओं की मांग पर केंद्रित है और साथ-साथ गरीबों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय न्याय वितरण संस्थानों का समर्थन कर रही है।

वर्तमान कार्यकलाप (2015-16):

1. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण में विधिक साक्षरता का समावेशन**

न्याय विभाग (डिओजे), विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने 2 जून 2015 पर विधिक साक्षरता पहल को सुचारू बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

1. बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में विधिक साक्षरता अभियान:

न्याय विभाग उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के 10 ब्लॉकों में एक विधिक साक्षरता अभियान आरंभ करने के लिए ग्रामीण विकास के राज्य संस्थान के साथ एक एमओए पर हस्ताक्षर किए।

2. स्थापना आवाज आधारित विधिक सूचना कियोस्क:

छत्तीसगढ़ और झारखंड के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित 50 आवाज आधारित विधिक जानकारी खोखे विधिक जानकारी आम जनता की विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं।

4. अभिनव विधिक सशक्तिकरण की पहल

समर्थन परियोजना की गतिविधियों को चार एजेंसियों अर्थात् ऐड इंडिया अंत्योदय और बीजीवीएस की सहायता से शुरू किया गया है। ये एजेंसियां तीन परियोजना राज्यों अर्थात झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में विधिक सहायता और विधिक सशक्तिकरण पहलों का आयोजन कर रहे हैं।

5. लॉ स्कूल आधारित विधिक सहायता क्लीनिक की स्थापना

टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई और नेशनल लॉ युनिवर्सिटी (एन एल यू), ओडिशा ने न्याय तक पहुँचने में उपेक्षित वर्गों की सुविधा के लिए परिसर और समुदाय आधारित विधिक सहायता क्लीनिक की स्थापना की।

6. ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एमओए

न्याय विभाग ने सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल, राजस्थान में 500 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से विधिक साक्षरता को सुचारू बनाने पर केंद्रित है।

7. महाराष्ट्र में अवलोकन घरों में किशोरों के लिए हेल्पडेस्क की स्थापना

न्याय तक पहुंच परियोजना के समर्थन से, टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई ने महाराष्ट्र के सुधार गृहों में किशोर न्याय प्रणाली में पेश आ रही कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए सामाजिक-विधिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हेल्पडेस्क स्थापित किए है।

8. यौन अपराध अधिनियम के खिलाफ बच्चों के संरक्षण पर लघु फिल्म (पीओसीएसो)

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अनुरोध के आधार पर न्याय तक पहुंच परियोजना के अंतर्गत बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसो) के बारे में दो लघु फिल्में विकसित कर रहा है।

9. अनुसंधान और अध्ययन

पार्टनर्स फोर लॉ इन डेवलपमेंट "नई दिल्ली के निचले न्यायालयों में न्यायालय कक्ष प्रक्रिया महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए" पर एक अध्ययन किया।

(घ) न्यायिक सुधारों पर कार्य अनुसंधान और अध्ययन:

कार्य अनुसंधान और न्यायिक सुधारों पर अध्ययन के लिए एक योजना स्कीम स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के अनुमोदन के साथ सितंबर, 2013 में न्याय विभाग द्वारा तैयार की गई थी। न्याय विभाग ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और आमंत्रित प्रस्तावों के लिए योजना को परिचालित किया और प्रस्ताव मांगे। परियोजना मंजूरी

समिति की तीन बैठकें 26 अगस्त 2014, 28 जनवरी 2015 और 21 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई, इसकी बैठकों में पीएससी के समक्ष रखे गए बाईस प्रस्तावों में से चौदह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

(ii) केन्द्र प्रायोजित योजना न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए (सीएसएस)

न्यायपालिका के लिए ढांचागत सुविधाओं के विकास से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) 1993-1994 के बाद से न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना में 2011 में संशोधित किया गया और और इस में न्यायालय इमारतों और अधीनस्थ न्यायालयों को कवर करते हुए न्यायाधीश / न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय आवासों का निर्माण भी शामिल किया गया। इस योजना की मुख्य शर्तों में से यह है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा जारी राशि के समान निर्धारित हिस्सेदारी के साथ आगे आना चाहिए। हालांकि, राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त धन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार ने 3,674 करोड रूपए की राशि 2011-12 से प्रभावी संशोधित वित्तपोषण पद्धति के तहत राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों जारी की है। यह 1993-2011 से इस योजना के प्रारंभिक चरण में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई 1,245 करोड़ रुपये की राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान योजना मौजूदा योजना अवधि (मार्च, 2017) के अंत तक जारी रहने की उम्मीद है, उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान न्यायिक बुनियादी सुविधाओं में पर्याप्त अधीनस्थ नयायालय के स्तर काफी वृद्धि होगी। 31/03/2015 की स्थिति के अनुसार, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए न्यायिक अधिकारियों के 15,360 संख्या बल के समक्ष 15,558 न्यायालय हॉल उपलब्ध हैं। 31/03/2015 को 2679 कोर्ट हॉल निर्माणाधीन हैं। 31/03/2015 की स्थिति के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए 10,843 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं और 1712 निर्माणाधीन हैं।

(i) ग्राम न्यायालय:

ग्राम न्यायालय अधिनिमय, 2008 में उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई है जहां पर उक्त अधिनियम लागू होता है। अब तक 10 राज्यों ने 194 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए हैं। इनमें से 159 ग्राम न्यायालयों ने मध्य प्रदेश (89), राजस्थान (45), महाराष्ट्र (10), उड़ीसा (12), हरियाणा (2) और पंजाब (1) राज्यों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अब तक ग्राम न्यायालय योजना के अंतर्गत इन राज्यों 3749.00 लाख रु. की धनराशि जारी हो चुकी है।

योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर दिनांक 7 अप्रैल, 2013 को मुख्यमंत्रियों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ,

यह निर्णय लिया गया कि जहां कहीं व्यवहार्य हो, उनकी स्थानीय समस्याओं पर गौर करते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के प्रश्न पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को निर्णय लेना चाहिए। ग्राम न्यायालय योजना के अंतर्गत उन ताल्लुकों को कवर करने पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां नियमित न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई है।

(iv) विधिक सहायता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) (योजनेत्तर):

विधि एवं न्याय मंत्रालय नाल्सा को अनुदान सहायता स्वीकृत करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 82.65 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई और वर्ष 2015-16 के लिए 145.00 करोड़ रुपए (योजनेतर) की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

1 अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 की अवधि के दौरान 76,557 लोक अदालतों का आयोजन किया गया था इन लोक अदालतों में 34.37 लाख से अधिक मामले निपटाए गए। लगभग 46,768 मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी मामलों में 894.85 करोड़ रुपए के मुआवजे का निर्णय दिया गया है।

दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत : भारत के उच्चतम न्यायालय से लेकर ताल्लुक न्यायालयों तक के सभी न्यायालयों में मामलों के निपटान हेतु पूरे देश में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नाल्सा के तत्वाधान के तहत दिनांक 06.12.2014 को किया गया। उच्चतम न्यायालय से लेकर ताल्लुक न्यायालयों तक, लोक अदालत की खण्डपीठों की बैठकें सफल रहीं हैं और उनमें अनेक लंबित मामलों का निपटान किया गया है जिससे पूरे देश में मामलों की लंबितता में लगभग 9 प्रतिशत की कमी आई है।

(V) **कुटुम्ब न्यायालय (योजनेतर)** : 2013-14 में कुटुम्ब न्यायालय (योजनेतर) के तहत बजट अनुमान में 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और वह बिहार राज्य सरकार को जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 5.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में से 3.75 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जारी किये गए थे और 1.00 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को जारी किये गए थे। वर्ष 2015-16 के लिए योजना हेतु प्रस्तावित बजट अनुमान 5.00 करोड़ रुपए है।

अध्याय – V

वित्तीय समीक्षा और व्यय की प्रवृत्ति

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृतियों को दर्शाते हुए वित्तीय समीक्षा (स्कीम वार) का विवरण **उपाबंध-VII** में दिया गया है।

(करोड़ रू. में)

क्रम संख्या	**योजनागत नाम**	बजट अनुमान 2015-16	संशोधित अनुमान 2015-16	31.01.2016 तक व्यय
1.	राज्य सरकारों को सहायता अनुदान-मुख्य शीर्ष 3601-लघु शीर्ष 04.891-न्याय प्रशासन -40 केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के अनुदान-01-पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों को न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के लिए अनुदान।	443.69	443.69	500.00
2.	संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले और बिना विधानमंडल वाले) की सरकारों को सहायता अनुदान-मुख्य शीर्ष 3602-मुख्य शीर्ष, 4.891-न्याय प्रशासन-40-केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अनुदान-01-न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के लिए अनुदान	63.00	63.00	60.41
3.	पूर्वोतर के राज्यों को सहायता-अनुदान-मुख्य शीर्ष 2552, आधारभूत सुविधाओं के लिए	80.66	80.66	0.00
4.	राज्यों को ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए सहायता-मुख्य शीर्ष-2-14	0.01	0.01	0.00
5.	न्याय और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन	212.29	210.72	195.85
6.	न्याय तक पहुँच-बाहरी तौर पर सहायता	5.00	6.57	0.00
7.	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई-न्यायालय चरण-I)	2.00	2.00	2.00
	कुल योग	**806.65**	**806.65**	**758.26**

न्याय विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 60:40 शेयर पैटर्न पर अनुदान जारी करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए स्कीम के अधीन यह अनुदान 90:10 के आधार पर प्रदान किया जाता है।

अध्याय VI

सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

विधि कार्य विभाग विधि के मामलों में अध्ययन और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए विधि के क्षेत्र में शोध कार्य में लगे कुछ संस्थानों को सहायता अनुदान देता रहा है ।ऐसे निकायों के कार्य निष्पादन का विवरण निम्नलिखित है :

1. **भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई)**

(क) भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) देश का एक प्रमुख विधिक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी । संस्थान के उद्देश्य हैं - विधि के विज्ञान का विकास करना, विधि को सामाजिक-आर्थिक विकास और आम लोगों की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए विधिक शोध के क्षेत्र में उच्च अध्ययन को बढ़ावा देना, विधि की प्रणालीबद्धता को सुनिश्चित करना, विधि शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण करना और उसे प्रोत्साहित करना तथा किए गए अध्ययनों को पुस्तकों के रूप में और पत्रिकाओं में प्रकाशित करना । भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति इसके पदेन अध्यक्ष हैं । इस संस्थान को वर्ष 2004 में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 29.10.2004 की अधिसूचना सं.एफ.9-9/2001-यू.3 के तहत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

(ख) अकादमिक कार्यक्रम: वर्ष 2004 में मानित विश्वविद्यालय घोषित किए जाने के पश्चात, इस संस्थान ने शोधपरक एलएल.एम कार्यक्रम शुरू किया । इस एलएल.एम. कार्यक्रम में दाखिला पूर्णत: योग्यता के आधार पर होता है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के जरिये होता है । वर्तमान में संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं:

कार्यक्रम	अकादमिक सत्र, 2015-2016 में दाखिल छात्र
एल.एल.एम.- 1 वर्ष (पूर्णकालिक)	26
एल.एल.एम.- 2 वर्ष (पूर्णकालिक)	36
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वैकल्पिक विवाद समाधान, कारपोरेट विधि और प्रबंधन, साइबर विधि और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधि)	260
विधि में पीएच.डी.	03
छात्रों की कुल संख्या	325

- संस्थान में एक पी.एच.डी. कार्यक्रम है, जिसमें इस समय 27 छात्र नामांकित हैं ।
- संस्थान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार और साइबर विधि में तीन माह की अवधि के ऑन-लाइन ई-लर्निंग प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी चलाता है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान ऑन-लाइन साइबर विधि के बैच सं. 20, 21, और 22 तथा ऑन-लाइन आई.पी.आर. पाठ्यक्रम के बैच सं. 31, 32 और 33 पूरे हुए।

(ग) **<u>जारी किए गए शोध-प्रकाशन:</u>** रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान द्वारा निम्नलिखित शोध प्रकाशन जारी किए :

- **<u>जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टिट्यूट (जेआईएलआई):</u>**यह भारतीय विधि संस्थान का त्रैमासिक जर्नल है, जिसमें सामयिक और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर शोध आलेख प्रकाशित किए जाते हैं ।

- **<u>आई0एल0आई0 न्यूजलैटर:</u>** यह त्रैमासिक प्रकाशन है और इसमें तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों और आगामी क्रियाकलापों का विवरण प्रकाशित किया जाता है ।

- **<u>दस्तावेजों का डिजिटीकरण:</u>** भारतीय विधि संस्थान ने अपने प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों के 2.5 लाख से अधिक पृष्ठों का डिजिटीकरण किया है और वे डीवीडी के रूप में उपलब्ध हैं ।

(घ) **<u>भारतीय विधि संस्थान की गतिविधियां (संगोष्ठियां/ सम्मेलन/ प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं/ दौरे/ विशेष व्याख्यान) :</u>**

- भारतीय विधि संस्थान ने विधि संकाय, श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसेंटीनरी यूनिवर्सिटी (एसजीटी) गुडगाँव और सेंटर फॉर चाइल्ड एंड लॉ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलूरु के साथ मिल कर दिनांक 15 मई, 2015 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 (संशोधित) पर एक राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन आयोजित किया।

- भारतीय विधि संस्थान ने ओ.पी.जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (लॉ स्कूल) के सहयोग से दिनांक 8 जून, 2015 को भारतीय विधि संस्थान में "यातना, अंतरराष्ट्रीय विधि और मानवाधिकार" विषय पर एक दिन का एक सेमीनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी ने उद्घाटन भाषण दिया।

- भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 18 जून, 2015 को भूटान की शाही सरकार के प्रतिनिधि मंडल के लिए 'भारत में संधि की विधि, अनुसमर्थन प्रक्रिया और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियाँ' विषय पर आधे दिन का एक अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किया।

- भारतीय विधि संस्थान ने विधि संकाय, श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राईसैंटीनेरी यूनवर्सिटी (एसजीटी) और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज (जीजीएसआईपी) के साथ संयुक्त रूप से

दिनांक 19-20 जून, 2015 को जी0जी0एस0आई0पी0 यूनिवर्सिटी, द्वारका, नई दिल्ली में 'विधिक शोध और कार्य प्रणाली' विषय पर एक संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया।

- भारतीय विधि संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से इस वर्ष निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं :

  सत्र I- दिनांक 3-4 अक्तूबर,2015 को न्यायिक अधिकारियों के लिए "मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियाँ" विषय पर दो–दिवसीय कार्यक्रम। **सत्र II -** दिनांक 7 और 8 नवंबर, 2015 को पुलिस कार्मिकों के लिए 'पुलिस और मानवाधिकार: मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, **सत्र III** – दिनांक 12 और 13 दिसंबर, 2015 को जेल कार्मिकों के लिए "मानवाधिकार :मुद्दे और चुनौतियाँ" विषय पर दो-दिवसीय कार्यक्रम ।

- भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली में दिनांक 13 जून, 2015 को अकादमिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित– एल.एल.एम. कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (ऑल इंडिया कॉमन एडमिशन टेस्ट) [सी.एल.ए.टी.] आयोजित की गई। एल.एल.एम.– एकवर्षीय और दो-वर्षीय कार्यक्रमों के लिए 475 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। साक्षात्कार/ मौखिक परीक्षा के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की योग्यता-सूची निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22 जून, 2015 को अधिसूचित की गई।

(ड) <u>शोध परियोजनाएं:</u>

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्थान को '**आतंकवाद से संबंधित मामलों का सार-संग्रह और आदर्श जांच व प्रक्रिया मैनुअल** तैयार करने की एक परियोजना सौंपी है, जिस पर कार्य चल रहा है ।
- **'इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों का अर्थ और स्थिति'** विषय पर न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा सौंपी गई परियोजना पर कार्य चल रहा है ।
- केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद ने संस्थान को केंद्रीय जांच ब्यूरो और कानून का प्रवर्तन करने वाली अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए '**विधि के शासन की प्रमुखता'** विषय पर एक माड्यूल विकसित करने की परियोजना सौंपी है ।
- भारतीय विधि का पुनर्कथन: भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और भारतीय विधि संस्थान के अध्यक्ष ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करों, संवैधानिक विधि और दंड विधि की बाबत '**भारतीय विधि के पुनर्कथन के लिए समितियां**' गठित की हैं।

- पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय विधि संस्थान को 'उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में पंचायती राज से संबंधित निर्णयज विधि पर एक अध्ययन' विषय पर एक परियोजना सौंपी है । इस अध्ययन पर कार्य चल रहा है ।

2. संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस)

(क) संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। इस संस्थान की स्थापना भारत के संविधान के कार्यकरण और सर्वांगीण विकास के विशेष संदर्भ में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन के लिए और उसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिनांक 10 दिसंबर, 1956 को हुई थी ।

(ख) <u>डिप्लोमा पाठ्यक्रम</u>:

यह संस्थान संसदीय फैलोशिप कार्यक्रम और दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एक संवैधानिक विधि में तथा दूसरा संसदीय संस्थाओं और प्रक्रियाओं में चलाता है । संस्थान द्वारा संचालित 3 पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर अंशकालिक पाठ्यक्रम हैं और एक-एक वर्ष के हैं । तीनों पाठ्यक्रमों की कक्षाएं शाम को संस्थान परिसर में लगती हैं। चूंकि संस्थान का अपना कोई संकाय नहीं है, इसलिए तीनों पाठ्यक्रमों के लिए व्याख्यान देने के लिए बाहर से अतिथि व्याख्याता बुलाए जाते हैं । चालू अकादमिक वर्ष 2015-16 के लिए इन तीनों पाठ्यक्रमों के दाखिले जून-जुलाई, 2015 में किए गए और तीनों पाठ्यक्रमों में कुल 50 छात्रों को नामांकित किया गया। जुलाई, 2015 के अंतिम सप्ताह के दौरान छात्रों के हित के लिए आयोजित एक प्रवेश कार्यक्रम के बाद, दिनांक 24 अगस्त, 2015 से इन पाठ्यक्रमों के लिए कक्षाएं शुरू हो गई हैं ।

3. अंतराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र (आईसीएडीआर)

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएडीआर) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन दिनांक 31 मई, 1995 को पंजीकृत हुआ था । यह भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हैदराबाद और बंगलूरू में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं । इसकी स्थापना वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों को प्रोन्नत करने, उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनका प्रचार-प्रसार करने के लिए की गई है ताकि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके और न्यायालयों में लंबित मामलों का भार कम हो सके ।

(क) माध्यस्थम मामले

नई दिल्ली स्थित केन्द्र को माध्यस्थम के लिए 3 अंतरराष्ट्रीय मामलों तथा सुलह के लिए 4 मामलों सहित अब तक माध्यस्थम के 48 मामले प्राप्त हुए हैं ।अधिकरणों द्वारा माध्यस्थम के 41 मामले निपटा दिए गए हैं और शेष 7 मामलों में सुनवाई चल रही है। सुलह के चारों मामले भी निपटा दिए गए हैं ।

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र को भारत सरकार के विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से उन मामलों में मध्यस्थों की नियुक्ति हेतु अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं जिनमें वे पक्षकार हैं । अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मध्यस्थों के पैनल सुलभ कराता रहा है ।

(ख) <u>सम्मेलन/संगोष्ठियाँ/ कार्यशालाएँ/ प्रशिक्षण कार्यक्रम / डिप्लोमा पाठ्यक्रम</u>

अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के 2 सम्मेलन, एक दिनांक 28 नवंबर, 2015 को लखनऊ में और दूसरा दिनांक 6 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किए ।

इन दो सम्मेलनों के अलावा, अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र ने उपरिलिखित अवधि के दौरान, मध्यकता और माध्यस्थम में 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम और वैकल्पिक विवाद समाधान पर 4 कार्यशालाएं भी आयोजित कीं और वैकल्पिक विवाद समाधान (2015) और एफडीआर (2015) के अपने स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को जारी रखा।

(ग) करार: अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र ने निम्नलिखित विदेशी संगठनों के साथ सहयोग के करार किए हैं **:**

(क) जेनेवा का विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन का माध्यस्थम और मध्यकता केंद्र

(ख) थाई माध्यस्थम संस्थान, बैंकाक

(ग) कोरियन कमर्शियल आरबिट्रेशन बोर्ड, सियोल (कोरिया)

(घ) चार्टर्ड इंस्टिट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, लंदन

(ड़) एसोसिएशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स कोर्ट्स ऑफ उजबेकिस्तान और

(च) ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन (एसीआईसीए)

उक्त करारों में तीन क्षेत्र आते हैं, अर्थात सूचना का परस्पर आदान-प्रदान, कार्यवाहियों के संचालन में परस्पर सहयोग तथा प्रशिक्षण और अन्य क्रियाकलापों के आयोजन में परस्पर सहयोग ।

- **<u>अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र ने निम्नलिखित संगठनों के साथ सहयोग के करार (एम.ओ.सी.) भी किए हैं :-</u>**

(i) इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ कन्सल्टेंट्स (आईसीसी) और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमैंट काउंसिल (सीआईडीसी) के साथ सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र के सहयोग से वैकल्पिक विवाद समाधान कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए ।

(ii) इंडिया (सीआईएस) चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली के साथ, मुख्यत: माध्यस्थम और मध्यकता को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक लेन-देन में होने वाले विवादों के निपटान के साधन के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए।

- **<u>अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र ने निम्नलिखित संगठनों के साथ समझौता करार (एम.ओ.यू.) किए हैं :-</u>**

(i) नेशनल अकादमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (एन. ए. एल. एस. ए. आर.) हैदराबाद के साथ संयुक्त रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान, पारिवारिक विवाद समाधान में, नियमित और निकटस्थ शिक्षा, दोनों के जरिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने तथा माध्यस्थम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए ।

(ii) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के साथ, संयुक्त रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान, पारिवारिक विवाद समाधान में नियमित आधार पर तथा निकटस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने तथा माध्यस्थम और मध्यकता में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए ।

(iii) वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, कोच्चि, केरल के साथ, केरल में वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने तथा मध्यकता और माध्यस्थम में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम/ सेमिनार/ सम्मेलन आयोजित करने तथा वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में शोध अध्ययन करने के लिए ।

(iv) दामोदरम संजीवैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (डीएसएनएलयू), विशाखापत्तनम के साथ। इस एमओयू के अधीन डी. एस. एन. एल. यू. अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के सहयोग से विशाखापत्तनम में वैकल्पिक विवाद समाधान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (नियमित पाठ्क्रम) संचालित करेगा ।

(v) जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, (हरियाणा) के साथ संयुक्त रूप से वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों के अध्ययन व अध्यापन और शोध को प्रोत्साहन देने के लिए और उसके लिए वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम तैयार

करने और विभिन्न कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन, प्रशिक्षण-कार्यक्रम आदि आयोजित करने के लिए ।

<u>विधायी विभाग</u>

विधायी विभाग के नियंत्रणाधीन कोई सांविधिक और स्वायत्त निकाय नहीं है। मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वैधानिक और स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा

न्याय विभाग

1. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल

न्याय विभाग अपने नियंत्रण वाले स्वायत्त निकाय अर्थात्, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी है। इसे 17 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया है। अकादमी के कार्यों का प्रबंधन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक शासी परिषद, द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त सोसायटी के मुख्य उद्देश्यों में, देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को बढ़ावा देना और न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण के माध्यम से न्याय प्रशासन को मजबूत करना शामिल हैं।

अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वर्ष 2016-17 के लिए, अकादमी ने बजट अनुमान स्तर पर 20.74 करोड़ रूपए के लिए अनुरोध किया है। पिछले वर्षों की परंपरा को जारी रखने और न्यायिक प्रणाली की वर्तमान जरूरतों को साकार करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए न्यायिक शिक्षा की तीन प्रकार की गतिविधियों को चलाने का प्रस्ताव है। ये (i) न्यायिक प्रशिक्षण (ii) अनुसंधान गतिविधियां; और (iii) संकाय विकास गतिविधियां हैं ।

2. **<u>राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा):</u>**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन (नालसा) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अब से इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नजर रखने और मूल्यांकन करने और अधिनियम क तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और सिद्धांतों को तैयार करने के लिए किया गया है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को विधिक सेवाओं के कार्यक्रम को लागू करने के लिए गठित किया गया है जहाँ तक यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को लागू करने के लिए और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान

करने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन जिलों और तालुकाओं में किया गया है। ।

<u>नालसा एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली</u>

विगत में गरीब और वंचित लोगों के लिए विधिक सेवाएँ अक्सर धर्मार्थ और परोपकारी सरोकारों द्वारा निर्देशित होती रही हैं। हालांकि अधिकार आधारित समाज में विधिक सहायता के दर्शन ने एक नया अर्थ हासिल कर लिया है। मानव अधिकारों के सार्वभौम सिद्धांतों से मोटे तौर पर ली गई सभी मनुष्यों की समानता की अवधारणा पर जोर देने के साथ, समाज के गरीब और हाशिए के सदस्यों को मुफ्त विधिक सहायता को अब इस तरह के लोगों को सशक्त करने के लिए विधि की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है ताकि वे नागरिक के रूप में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए तथा आर्थिक कर्ता के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। भारत में विधिक सहायता की अवधारणा यह बदलाव एक बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है जब अधिक से अधिक महत्व प्राप्त होता है।

तदनुसार, विधिक सेवा संस्थानों को आत्म विकसित, अभिनव और समर्थक सक्रिय संस्था बनाने की मंशा से अधिनियम की धारा 4, 7, 10 और 11-बी में विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यों को प्रगणित किया गया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचा जा सके। अधिनियम में कार्यकारी और न्यायिक पदाधिकारियों की बाधाओं और सीमाओं को भी ध्यान में रखा गया है और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

<u>विधिक सेवा संस्थानों के व्यापक कार्य जो अधिनियम द्वारा अधिदेशित हैं, निम्नलिखित हैं:</u>

(i) व्यक्तियों की पात्र श्रेणियों के लिए विधिक सहायता और सलाह सहित निशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना;

(ii) लोगों, विशेष रूप से, समाज के कमजोर वर्गों के बीच विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता फैलाने और समाज कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमों के साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों द्वारा उनके अधिकारों, लाभों और विशेषाधिकारों की गारंटी के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए उचित कदम उठाना;

(iii) लोक अदालत का आयोजन;

(iv) अन्य एडीआर तंत्र द्वारा विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना;

(v) कार्यनीतिक और निवारक विधिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन;

(vi) नैदानिक विधिक शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का विकास और स्थापना और विश्वविद्यालयों, लॉ कॉलेजों और अन्य संस्थानों में विधिक सेवा क्लीनिक की कार्यप्रणाली की निगरानी करना।

(vii) समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष चिंता के मामलों में सामाजिक न्याय मुकदमेबाजी के माध्यम से आवश्यक कदम उठाना ।

नालसा, अधिनियम के तहत, केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में, नीतियों और सिद्धांतों को तैयार करने और अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध विधिक सेवाओं के लिए प्रभावी और किफायती योजनाएं बनाने के लिए अधिदेशित है। यह भी तालमेल-सीओ और अपने कार्यक्रमों के साथ जुड़े सभी विधिक सेवाओं संस्थानों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों के कामकाज पर नजर रखने के लिए आवश्यक है। नालसा अनुदान सहायता राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि में से स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थाओं को अपने निपटान में रखा गया है और विधिक सेवाओं के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इसके उपयोग की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं प्रदान करता है।

उपाबंध-I

(कृपया अध्याय 1, पैरा 3 देखें)

विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग

संगठन चार्ट (दिनांक 01.02.2016 की स्थिति)

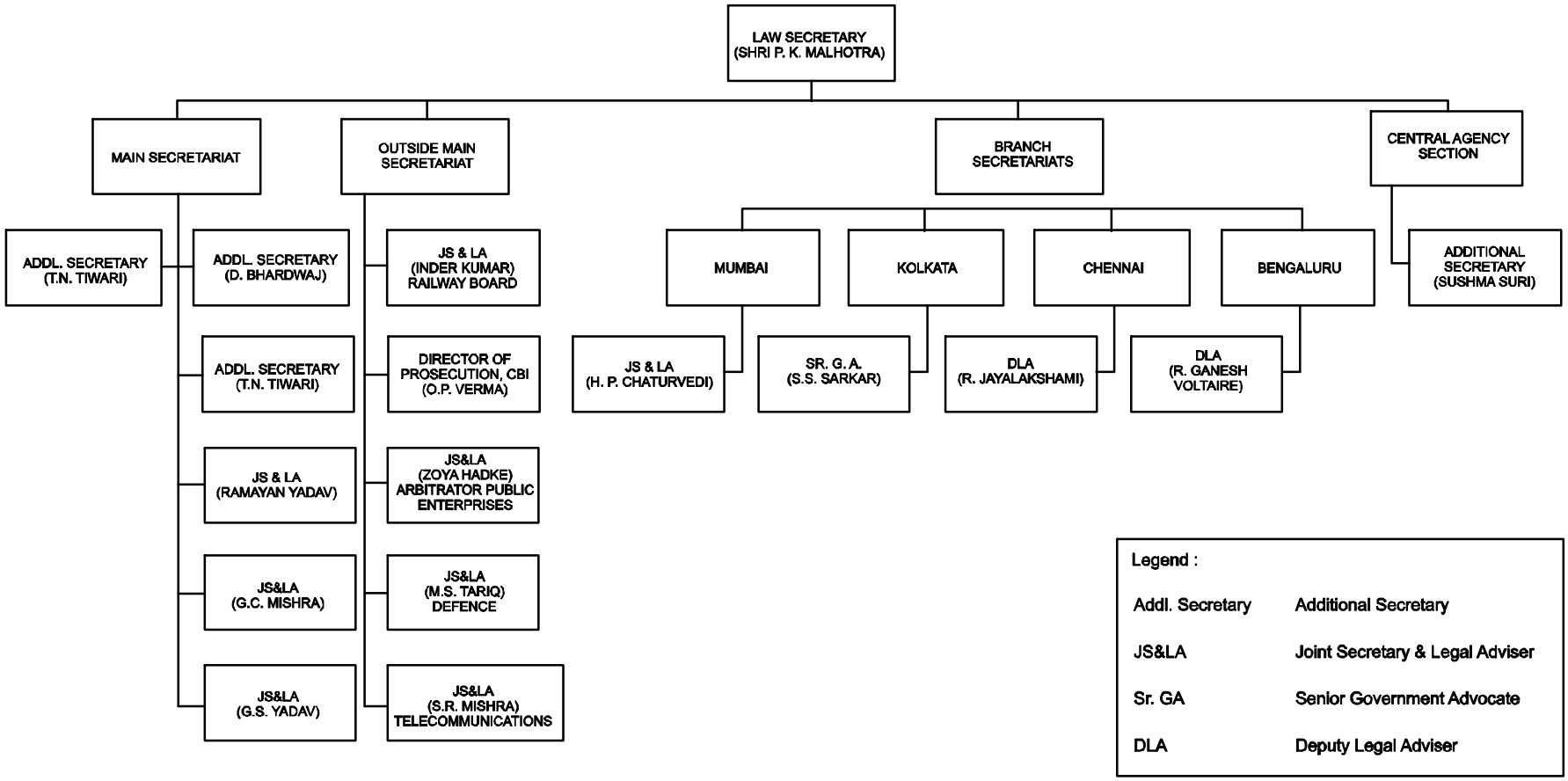

उपाबंध-II

(अध्याय-I पैरा - 4 उप पैरा-3 देखें)

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट (1.1.2016 के अनुसार)

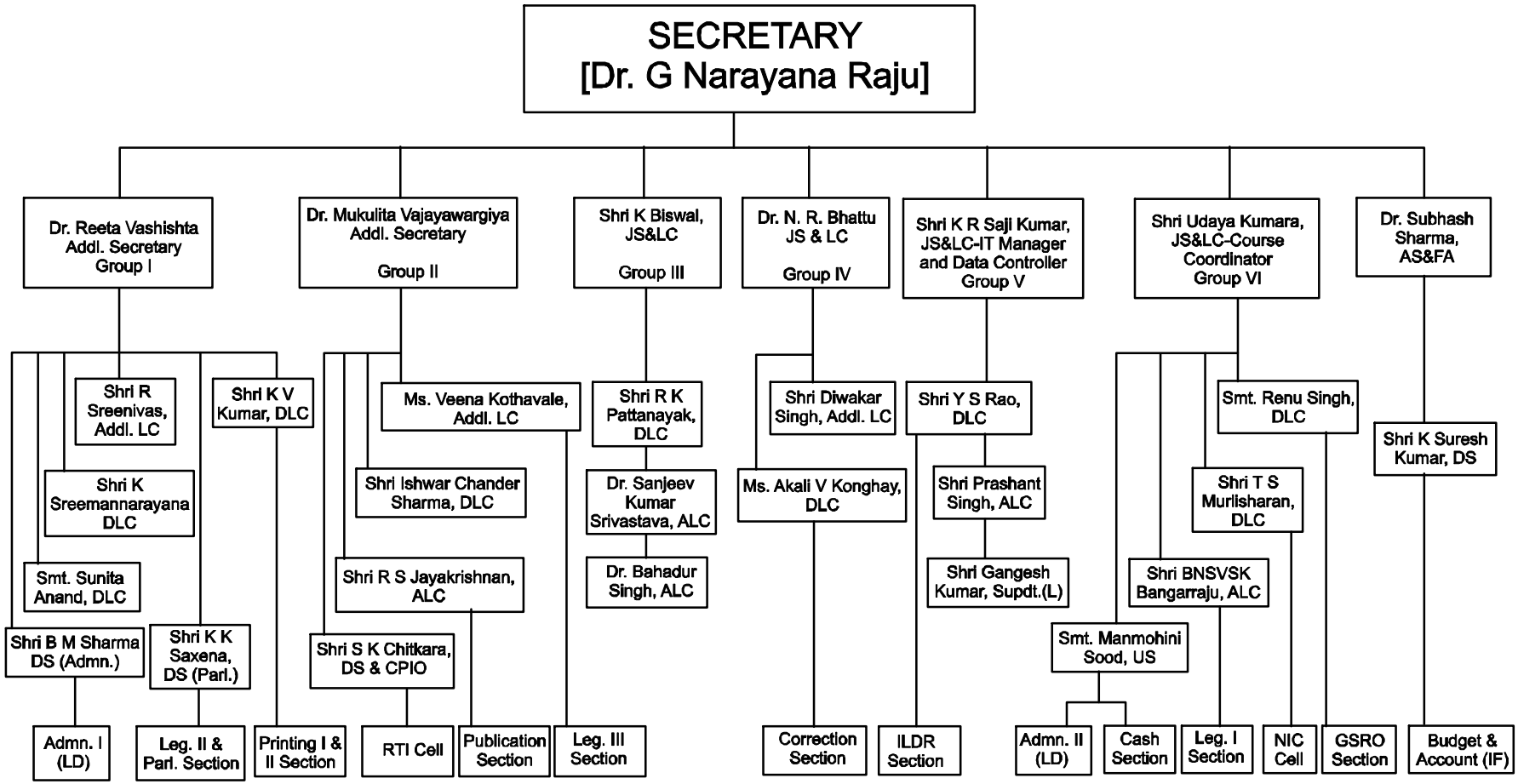

(अध्याय-I पैरा - 5)

न्याय विभाग(मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट

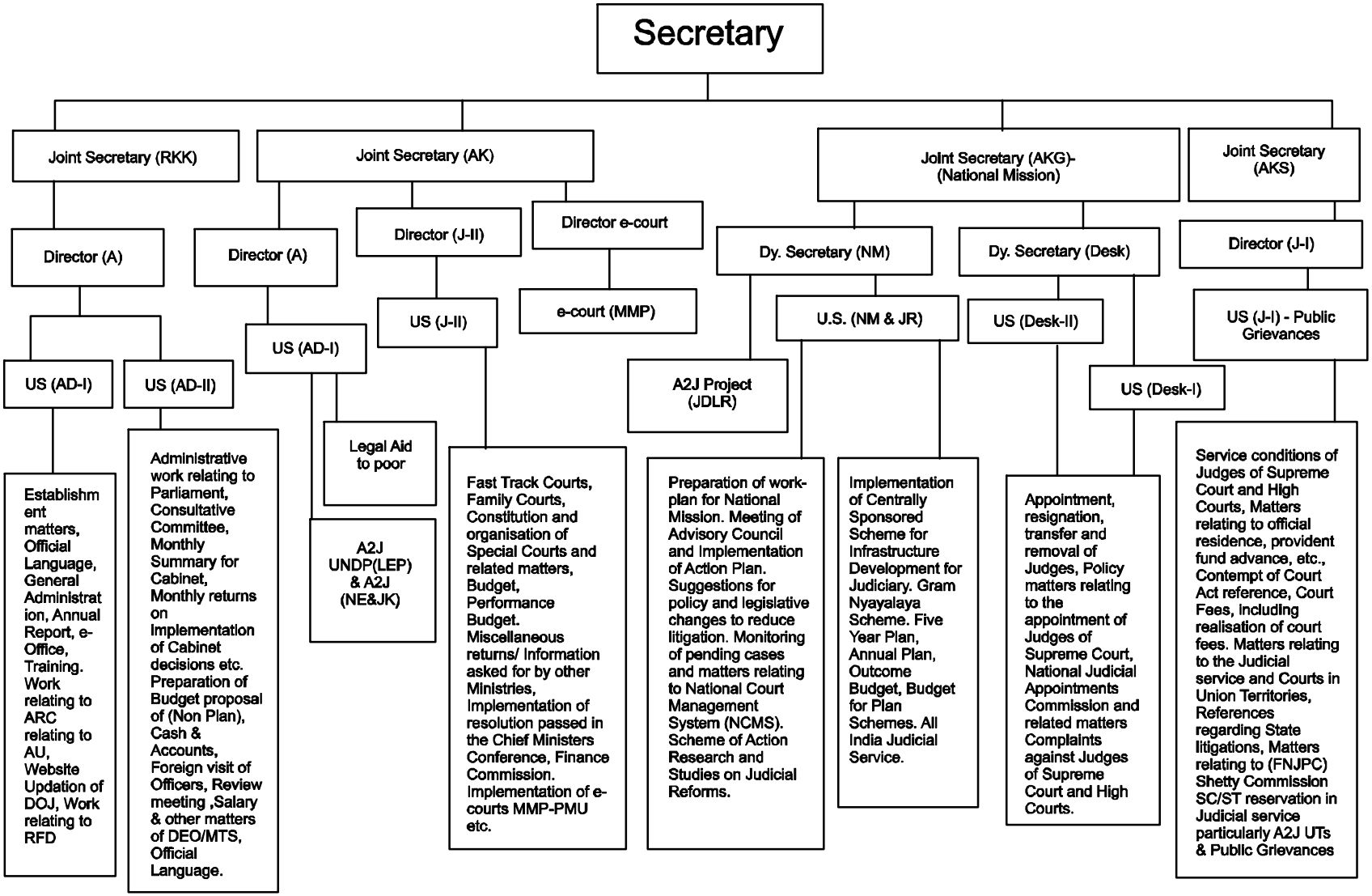

उपाबंध-IV

(कृपया अध्याय-।।, भाग-।।, पैरा -2 देखें)

मंत्रालय/विभाग का नाम- विधि और न्याय मंत्रालय(न्याय विभाग)

(करोड़ रु; में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2016-17 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियां	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
			राजस्व							
	1	2	3	4			5	6	7	8
न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की कैंदीय क्षेत्र की योजना										
1.	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना प्रथम चरण)	ई कोर्ट परियोजना का उद्देश्य वादियों, वकीलों और देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण से न्यायपालिका के लिए निदेशित सेवा प्रदान करना है। यह अन्य बातों के साथ-साथ मामलों को तेजी से निपटाने को सुकर बनाने, मामले की स्थिति आदि के बारे में जानकारी का पारदर्शी प्रवाह प्रदान करेगा।	2014	---	---	शून्य	14249 अदालतों में साइट तैयार करना और कंप्यूटर हार्डवेयर और लैन कनेक्टिविटी का प्रावधान करना, न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों को आईसीटी प्रशिक्षण का प्रावधान, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और वेब आधारित अनुप्रयोगों का प्रावधान करना, उन स्थानों में जहां सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है, लंबित मामलों की डाटा एंट्री करना।	जिला एवं देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों के सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण से देश और न्याय प्रणाली को आईसीटी समर्थकारी बनाकर वादियों, वकीलों और न्यायपालिका के लिए निदेशित सेवा प्रदान करना।	वर्ष 2007 में सरकार ने ₹441.80 करोड़ रुपये की लागत से दो साल की अवधि में 13,348 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी। सितंबर, 2010 में, वर्ष 2010 में समय से अधिक समय और लागत के आलोक में, सीसीईए ने 14249 अदालतों के	सभी 14,249 न्यायालयों (100%) में कंप्यूटरीकरण के लिए साइटें तैयार कर ली गयी हैं, जिसमें से 13,643 न्यायालयों (95.75%), में लैन, 13,672 न्यायालयों (95%) में हार्डवेयर और 13,436 न्यायालयों (94.3%) में सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2016-17 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियां	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
			राजस्व							
	1	2	3	4			5	6	7	8
									कम्प्यूटरीकरण के लिए 31 मार्च 2014 को परियोजना समयसीमा और में 935 करोड़ रूपए की परियोजना लागत में संशोधन को मंजूरी दे दी। 30 नवंबर, 2015 पर, 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के कुल लक्ष्य और किया जा करने के लिए के रूप में, सभी 14,249 न्यायालयों (100%) के लिए 13,643 न्यायालयों (95.75%) में साइटों में लैन	

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2016-17 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियां	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
			राजस्व							
	1	2	3	4			5	6	7	8
									स्थापित किया गया है, जिनमें से कंप्यूटरीकरण के लिए तैयार किए गए 13,436 न्यायालयों (94.3%) में सॉफ्टवेयर और 13,672 न्यायालयों (95%) में हार्डवेयर अवस्थापित कर दिए गए हैं।	
2	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना द्वितीय चरण)	परियोजना का दूसरा चरण में न्यायालयों की आईसीटी समर्थता को बढ़ाना शामिल है।	2014	--	256.00	शून्य	(i) नए न्यायालयों, डीएलएसए, टीएलसी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, मौजूदा न्यायालयों में अतिरिक्त हार्डवेयर; एसजेए में कंप्यूटर प्रशिक्षण, (ii) कनेक्टिविटी में सुधार, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईसीजेएस तत्परता; (iii) न्यायालय परिसरों में टच-स्क्रीन और प्रिंटर के साथ केंद्रीकृत फाइलिंग	सेवा के चार्टर के तहत सभी पहलों और उपायों का समेकन हाथ में लिया जाना और वादियों के लिए बहु मंच सेवाओं के परिणामस्वरूप परियोजना के द्वितीय चरण में नियोजित घटकों की स्थापना प्रस्तावित है। सेवाओं का चार्टर, परियोजना के द्वितीय चरण को	ई न्यायालय परियोजना के द्वितीय चरण को 1670 करोड़ रुपये की लागत से चार साल की अवधि या परियोजना के पूरा होने तक जो भी बाद में हो, के लिए अनुमोदित किया गया है।	सरकार ने 16 जुलाई 2015 को हुई अपनी बैठक में ई न्यायालय एमएमपी के द्वितीय चरण को मंजूरी दी

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2016-17 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियां	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
			राजस्व							
	1	2	3	4			5	6	7	8
							केन्द्र और कियोस्क; (iv) दस्तावेज़ प्रबंधन, प्रबंधन उपकरण सीखना, परिवर्तन प्रबंधन और न्यायिक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली; और (v) ई फाइलिंग, ई-पेमेंट गेटवे और मोबाइल अनुप्रयोगों, वादी का चरित्र आदि	वादी सेवा केंद्रित बनाने के लिए मार्गदर्शक आधार रेखा के रूप में काम करेगा। परियोजना के तहत परिकल्पित सेवाएं समान रूप से न्यायिक, नागरिकों, वादियों और अधिवक्ताओं सहित सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगीं।		
3	न्याय तक पहुंच, भारत सरकार	परियोजना का अभिप्राय हाशिए के लोगों के लिए न्याय की मांग को लेकर उनकी क्षमता के विकास के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाना है। यह लोगों की बेहतर सेवा में न्याय प्रदायगी संगठनों का समर्थन भी करती है।					परियोजना का व्यापक उद्देश्य निम्नांकित ध्येय हासिल करना है: * पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लोगों की विधिक सशक्तिकरण में अंतराल की पहचान करने के लिए किए गए एक अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाना * प्रशिक्षित पैरा विधिक स्वयंसेवकों और पैनल वकीलों को नौ	नौ परियोजना राज्यों में बाधाओं को कम करने और हाशिए पर लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को बढाना। पीएलवी और पैनल वकीलों के एक प्रशिक्षित काडर को प्रदान करके राज्यों में एलएसए को मजबूत बनाना।	पांच वर्ष	शून्य

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2016-17 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियां	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
			राजस्व							
	1	2	3	4			5	6	7	8
							एसएलएसए उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्घाटन और सफलतापूर्वक नगालैंड में देश के दो सबसे पिछड़े जिलों तुएनसांग और मोन के साथ ही विधि कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में विधिक सहायता क्लीनिक चलाना। * न्याय परियोजना के लिए उपयोग के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नौ एसएलएसए को जनशक्ति समर्थन का प्रावधान। * परियोजना राज्यों के उपेक्षित वर्गों की विधिक जागरूकता। फोकस नवीन गतिविधियों को आरंभ करने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास के साथ 5 साल के लिए अभि निर्धारित समग्र परियोजना के अनुरूप होगा।			
4.	यूएनडीपी सहायता प्रदत्त बाह्य सहायता	हाशिए पर लोगों के लिए वृद्धित न्याय तक पहुंच सुनिश्चित					साक्षर भारत, एसआईआरडी, सूचना कियोस्क और लॉ स्कूलों	एनएलएमए और राज्य संसाधन केंद्र जयपुर और लखनऊ	पांच वर्ष	शून्य

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2016-17 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियां	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
			राजस्व							
	1	2	3	4			5	6	7	8
	प्राप्त परियोजना - "भारत में हाशिए पर लोगों के लिए न्याय तक पहुंच	करने के लिए उनकी क्षमता के विकास के द्वारा और लोगों की बेहतर सेवा में न्याय प्रदायगी संगठनों के समर्थन से न्याय की मांग में वृद्धि सुनिश्चित करने का प्रावधान है।					के माध्यम कानूनी साक्षरता सामग्री को सुचारू बनाना और प्रचारित करना।	A2J परियोजना के समन्वय में 200 संसाधन व्यक्तियों और 600 प्रेरकों को प्रशिक्षित करने जा रहा है। न्याय की तलाश और मांग के लिए समुदाय को सशक्त करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के 10 ब्लॉकों में विधिक साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन। विधिक सहायता क्लीनिक: एनएलयूओ और टीआईएसएस के माध्यम से ओडिशा और महाराष्ट्र में स्थापित विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से उपेक्षित वर्गों को कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। झारखंड, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर		

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2016-17 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियां	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
			राजस्व							
	1	2	3	4			5	6	7	8
								प्रदेश में विभिन्न समुदाय के स्तर पर पहल के माध्यम से अधिक से अधिक 50000 व्यक्तियों तक पहुँचना। राजस्थान में 500 सीएससी के माध्यम से विधिक जागरूकता फैलाना।		
5	न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई शोध और अध्ययन	वित्तीय सहायता, अभिनव कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के कार्रवाई अनुसंधान / मूल्यांकन / निगरानी अध्ययन करने सेमिनार / सम्मेलन के आयोजन / कार्यशालाओं, रिपोर्ट / सामग्री के प्रकाशन, नवीन गतिविधियां प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी कार्यक्लापों / न्याय					इस योजना के तहत राष्ट्रीय मिशन के द्वारा शुरू की जाने वाली संभावित गतिविधियों में राष्ट्रीय मिशन के जनादेश लागू करने में मदद करने के लिए बकाया मामलों को कम करने और न्याय प्रदायगी प्रणाली में विलंब को कम करने और न्यायिक सुधारों के अन्य क्षेत्रों के लिए कार्य शामिल हैं।	आईआईएम, आईएलआई, एनजेए, नेशनल लॉ विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च परिषद आदि जैसे संगठनों के माध्यम से अध्ययन किए जा रहे हैं	कोई समय रेखा तय नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रस्तावित गतिविधियां व्यक्तिपरक स्वरूप की हैं। इस योजना के तहत कार्याकलाप साल भर चलेंगे।	यह न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अनुसंधान अध्ययन करने के लिए चौदह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2016-17 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियां	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
			राजस्व							
	1	2	3	4			5	6	7	8
		प्रदायगी के क्षेत्रों में गतिविधियां, विधिक अनुसंधान और न्यायिक सुधार।								
6.	उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान	न्यायालयों की इमारतों और जजों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण के लिए प्रावधान है।	3601	0.00	455.00	0.00	न्यायालयों की इमारतों और जजों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण	अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के न्याय और न्यायिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का एक प्रमुख क्षेत्र है। इस स्तर पर कोई परिणाम पेश नहीं किया जा सकता है।	इस योजना के तहत गतिविधियां साल भर चलती रहती हैं। हालांकि अनुदान, राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद न्याय प्रदायगी और न्यायिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा निर्धारित किए गये लक्ष्य की तुलना में पूर्ण वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग में लाया जाता है।	इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा निधियों की उपयोगिता उत्साह वर्धक रही है। राज्यों ने बहुत अधिक केंद्रीय आवंटन की मांग रखी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, इस योजना के तहत अधीनस्थ न्यायपालिका के ढांचागत कठिनाइयों को दूर करने के लिए अखिल भारतीय न्यायाधीश एसोसिएशन बनाम भारत संघ से के मामले में नियमित रूप से प्रगति की निगरानी कर रहा है ।
7	उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान		3602	0.00	75.00	0.00				
8	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं / योजना के लिए	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं / योजनाओं के लिए विशेष योजना	2552	0.00	90.00	0.00	लागू नहीं, चूंकि यह एक गैर कार्यात्मक शीर्ष है और इस तरह शीर्ष के अंतर्गत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त कार्यात्मक शीर्ष में धन के हस्तांतरण के लिए प्रावधान कर रहे हैं।			

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	वर्ष 2016-17 के लिए परिव्यय				परिमाणपरक सुपुर्दगियां	संभावित परिणाम	प्रक्रिया/समय-सीमा	टिप्पणियां
			मुख्य शीर्ष	योजनेतर	योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान				
			राजस्व							
	1	2	3	4			5	6	7	8
	एकमुश्त प्रावधान।	योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रावधान को उपयुक्त कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत लाया जाता है।								
9	ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने के लिए और उनके संचालन के लिए राज्य को सहायता	नागरिकों को उनके घर पर न्याय तक पहुँच प्रदान करना।	3601	0.00	5.00	0.00	राज्य सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम के प्रावधान के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन किया जाएगा।	ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ता न्याय उनके घर पर उपलब्ध कराया जाएगा।	इस योजना के तहत गतिविधियां साल भर चलती रहती हैं। हालांकि अनुदान वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग में लाई जानी हैं।	शून्य

उपाबंध -**V**

(कृपया अध्याय-II, भाग-II, पैरा-2 देखें)

वर्ष 201**5**-1**6** के लिए न्याय विभाग की योजना/गैर-योजना स्कीमों के संबंध में लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिमाणपरक सुपुर्दगियां	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना प्रथम चरण)	ई कोर्ट परियोजना का उद्देश्य वादियों, वकीलों और देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण से न्यायपालिका के लिए निदेशित सेवा प्रदान करना है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों को तेजी से निपटाने को सुकर बनाने, मामले की स्थिति आदि के बारे में जानकारी का पारदर्शी प्रवाह प्रदान करेगा।	14249 अदालतों में साइट तैयार करना और कंप्यूटर हार्डवेयर और लैन कनेक्टिविटी का प्रावधान करना, न्यायिक अधिकारियों और अदालत के कर्मचारियों को आईसीटी प्रशिक्षण का प्रावधान, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और वेब आधारित अनुप्रयोगों का प्रावधान करना, उन स्थानों में जहां सॉफ्टवेयर लगा दिया गया है, लंबित मामलों की डाटा एंट्री करना।	क) 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, चरण-1 के अंतर्गत, 95% कार्यकलाप पूरे कर लिए गए हैं। सभी 14,249 न्यायालयों (100%) में कंप्यूटरीकरण के लिए साइटें तैयार कर ली गयी हैं। 13,643 न्यायालयों (95.75%), में लैन अवस्थापित कर दिया गया है। 13,436 न्यायालयों (94.3%) में हार्डवेयर और 13,672 न्यायालयों (95%) में सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया है। ख) 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, 24 में से 21 उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित 5.6 करोड मामलों और 2 करोड से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में आकडे एनजेडीजी पर लिड कर दिए गए हैं। ग) इकोर्ट पोर्टल (http://www.ecourts.gov.in) वादियों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है और इस समय वादी 13000 से अधिक न्यायालयों में 5 करोड से अधिक लंबित मामलों और निर्णित मामलों के बारे में मामले की स्थिति संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
2	यूएनडीपी सहायता प्रदत्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना - "भारत में हाशिए पर लोगों के लिए न्याय तक पहुंच (द्वितीय चरण)	हाशिए पर लोगों के लिए वृद्धित न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनकी क्षमता के विकास के द्वारा और लोगों की बेहतर सेवा में न्याय प्रदायगी संगठनों के समर्थन से न्याय की मांग में वृद्धि सुनिश्चित करने का प्रावधान है।	साक्षर भारत, एसआईआरडी , सूचना कियोस्क और लॉ स्कूलों के माध्यम कानूनी साक्षरता सामग्री को सुचारू बनाना और प्रचारित करना।	1. एनएलएमए में विधिक साक्षरता का समावेशन न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने 2 जून 2015 को विधिक साक्षरता पहल को सुचारू बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 2. बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में विधिक साक्षरता अभियान: न्याय विभाग ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के 10 ब्लॉकों में एक विधिक साक्षरता अभियान आरंभ करने के लिए ग्रामीण विकास राज्य संस्थान के साथ एमओए पर हस्ताक्षर किए। 3. आवाज आधारित कानूनी सूचना कियोस्क की स्थापना: छत्तीसगढ़ और झारखंड के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित 50 आवाज आधारित विधिक जानकारी कियोस्क विधिक जानकारी प्रदान करने और आम जनता की विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए हैं। 4. अभिनव विधिक सशक्तिकरण की पहल के लिए समर्थन परियोजना की गतिविधियों को चार एजेंसियों अर्थात् एड इण्डिया अन्त्योदय और बीजीवीएस की सहायता से शुरू किया गया है। ये अभिकरण तीन परियोजना राज्य झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिमाणपरक सुपुर्दगियां	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
				में विधिक सहायता और विधिक सशक्तिकरण की पहल का आयोजन कर रहे हैं। 5. लॉ स्कूल आधारित विधिक सहायता क्लीनिक की स्थापना टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), मुंबई और नेशनल लॉ युनिवर्सिटी (एन एल यू), ओडिशा ने न्याय तक पहुँचने में उपेक्षित वर्गों की सुविधा के लिए परिसर और समुदाय आधारित विधिक सहायता क्लीनिक की स्थापना की। 6. ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एमओए न्याय विभाग ने सीएससी ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल राजस्थान में 500 सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से विधिक साक्षरता को सुचारू बनाने पर केंद्रित है। 7. महाराष्ट्र में सुधार गृहों में किशोरों के लिए हेल्पडेस्क की स्थापना न्याय तक पहुंच परियोजना के सहयोग से, टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) मुंबई के समर्थन से, किशोर न्याय प्रणाली का सामना करने के लिए उन लोगों के लिए सामाजिक-विधिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के सुधार गृहों में हेल्पडेस्क स्थापित किए है। 8. यौन अपराध के प्रति बाल संरक्षण अधिनियम पर लघु फिल्म राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अनुरोध के आधार पर न्याय तक पहुंच परियोजना यौन अपराध के प्रति बाल संरक्षण अधिनियम पर दो लघु फिल्मों विकसित कर रही है। 9. अनुसंधान और अध्ययन विकास में कानून-व्यवस्था के लिए भागीदार ने नई दिल्ली के निचले न्यायालयों के अध्ययन में न्यायालय कक्ष को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने की प्रक्रिया पर एक अध्ययन किया।
3	राष्ट्रीय मिशन	न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन ने विभाग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय परामर्श के अंत में पारित और संकल्प प्रस्ताव द्वारा पृष्ठांकित और समर्थित विजन दस्तावेज में निर्धारित उद्देश्यों को साकार करने और लंबन और देरी को कम करने की दिशा में न्यायपालिका को मजबूत	न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन को प्रणाली में देरी और बकाया मामलों को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने तथा निष्पादन और क्षमता मानकों के निर्धारण द्वारा वृद्धित पहुंच के दो उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है।	न्यायिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा अन्य बातों के साथ अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे अदालतों के कम्प्यूटरीकरण, अदालत प्रक्रियाओं में सुधार, अत्यधिक मुकदमेबाजी के लिए प्रवण क्षेत्रों में विधायी परिवर्तन, सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नीतिगत पहल, न्यायिक अधिकारियों बेहतर प्रशिक्षण और जनशक्ति नियोजन पर जोर, अधिवक्ताओं द्वारा उचित पेशेवर आचरण के लिए बार सुधार सहित बेहतर न्यायिक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं शामिल है । सभी हितधारकों द्वारा किए गए ठोस प्रयास के कारण, देश भर में विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगी है।

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिमाणपरक सुपुर्दगियां	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
		बनाने के लिए किया था।		
4.	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण (ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना द्वितीय चरण)	द्वितीय चरण, डॉकेट में मामलों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण कायम करने के लिए न्यायालयों को सक्षम बनाएगा। परियोजना के तहत परिकल्पित सेवाएं इस प्रकार न्यायिक, वादियों और वकीलों सहित सभी हितधारकों को प्राप्त होगी। आईसीटी समर्थता से न्याय प्रदायगी प्रणाली पर एक समग्र सकारात्मक असर पड़ेगा, जो न्यायालयों के कामकाज को कुशल और पारदर्शी बनाएगा।	परियोजना के द्वितीय चरण से सर्विसेज के चार्टर के तहत वादियों के लिए बहु मंच सेवाएं प्राप्त होगी। इन सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ मामला पंजीकरण, कारण सूचियों, दैनिक मामले की स्थिति, और अंतिम आदेश / निर्णय जिन्हें प्रथम चरण में अपलोड किया गया है, शामिल हैं। इसके अलावा, मामलों की ई-फाइलिंग, कोर्ट फीस का ई-भुगतान, ई-मेल के माध्यम से प्रक्रिया सेवा और हाथ उपकरणों वाले प्रक्रिया सर्वर के माध्यम से, फैसले की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतियां की प्राप्ति जैसी कुछ सेवाओं को द्वितीय चरण में जोडा जाना है। सेवा का चार्टर वादी सेवा केंद्रित करने के लिए परियोजना के द्वितीय चरण के लिए एक मार्गदर्शक आधार रेखा के रूप में काम करेगा।	उच्चतम न्यायालय की समिति द्वारा अनुमोदित नीति संबंधी दस्तावेज के आधार पर इ कोर्ट एमएमपी के द्वितीय चरण को 16/07/ 2015 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। परियोजना की स्वीकृति के आदेश 04/08/2015 को जारी किया गया है और इसे लागू करने की कार्रवाई की पहल की। 31 दिसंबर 2015 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालयों से हार्डवेयर की खरीद शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है और जिसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई गई है ।
5	न्याय तक पहुंच, भारत सरकार	परियोजना हाशिए पर लोगों के लिए न्याय की मांग को लेकर उनकी क्षमता के विकास के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए अभिप्रेत	परियोजना का व्यापक उद्देश्य निम्नांकित प्रयोजन हासिल करना है: समाज के हाशिए पर लोगों और कमजोर वर्गों, विशेष रूप	**(1) नागालैंड के 2 सर्वाधिक पिछड़े जिले-तुऐनसांग और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिकों की स्थापना**: नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नागालैंड के सर्वाधिक अंदरूनी एवं सुदूर जिलों-तुनसांग और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित करेगा। दोनों जिलों में जनजातीय लोग रहते हैं विधिक सहायता क्लीनिक से विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के बीच कानूनी जागरूकता फैलेगी। इसके अतिरिक्त एक

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिमाणपरक सुपुर्दगियां	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
		है। यह लोगों की बेहतर सेवा में लगे न्याय प्रदायगी संगठनों का समर्थन भी करती है	से महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातीय समुदायों जिनके पास अपेक्षित साधन नहीं है कि वे सुनिश्चित कर सकें कि उनके अधिकारों की गारंटी है, को पूरा करना। लोगों की सेवा करने के लिए उनकी क्षमता में सुधार लाने और आम लोगों को बेहतर सेवाओं की मांग करने और उनके अधिकारों और हकों का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाने में न्याय प्रदायगी प्रणाली का समर्थन । -- असुरक्षित आबादी और निवारण की तलाश में उनकी सक्षमता की विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए नवीन गतिविधियों का समर्थन। -- नौ परियोजना राज्यों में हाशिए पर लोगों को विधिक सशक्तिकरण प्रदान करने में विधिक सेवा प्राधिकरणों को समर्थन।	नि:शुल्क कानूनी सहायता केन्द्र होने के नाते इससे मध्यस्थता/लोक अदालतों के माध्यम से समुदायिक विवाद का निपटान करने में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर ग्राम परिषदों/गांव बूरा/डीबी जैसे पारंपरिक न्यायिक निकायों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने तथा कानून के छात्रों, पैनल अधिवक्ताओं, पराविधिक स्वयंसेवियों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करके स्थानीय संसाधन सृजित करने में सहायता प्राप्त होगी। इस परियोजना की अवधि दो वर्ष है। इससे 242 गांवों में रहने वाले लगभग 4 लाख 50 हजार लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। (2) **लोगों के विधिक सशक्तिकरण में कमियों की पहचान करने के लिए आवश्यकता आकलन अध्ययन**: यह अध्ययनशिलांग मेघालय के इंपल्स एनजी नेटवर्क द्वारा कराया गया था। यह लोगों विशेष रूप से निर्धन वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों, जिनके पास अपने अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साधन मौजूद नहीं हैं, के विधिक सशक्तिकरण में कमियों की पहचान करने हेतु एक क्षेत्र आधारित अध्ययन था। इसका लक्ष्य उनके विधिक सशक्तिकरण में उन अड़चनों और कमियों की पहचान करना था जो न्याय तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा न्याय प्रदायिगी प्रणालियों की सेवा करने की क्षमता बेहतर बनाने, उनकी आकलन करना तथा निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगों के विधिक सशक्तिकरण के एक प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने में सहायता प्रदान करना भी था। (3) **8 पूर्वोत्तर राज्यों में सामाजिक कल्याण विधायनों पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के पराविधिक स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण:** यह गतिविधि ओडिशा में स्थित एक सिविल सोसाइटी संगठन कमेटी फॉर लीगल एड टू पुअर द्वारा चलाई जा रही है। यह समिति असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड से 400 पराविधिक स्वयंसेवियों (प्रत्येक राज्य से 50) को प्रशिक्षित करेगी। पराविधिक स्वयं सेवियों को अन्य विषयों के साथ-साथ विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण विधानों, योजनाओं, कार्यक्रमों, न्यायिक प्रक्रियाओं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, कानूनी सेवा की जानकारी दी जाएगी। सभी राज्यों में प्रशिक्षण का एक सैट पूरा हो चुका है। पुनश्चर्या प्रशिखण दिसम्बर, 2014 से आरंभ होगी। (4) **जम्मू एवं कश्मीर में आवश्यकता आकलन अध्ययन**: यह अध्ययन कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के वंचित लोगों के विधिक सशक्तिकरण में कमियों की पहचान करने के लिए आयोजित किया गया था। विश्व विद्यालय में परियोजना पर अपना कार्य फिर से आरंभ कर दिया है जो बीच में बाढ़ के कारण रूक गया था। अभिमुखीकरण संबंधी बैठक 11 दिसम्बर, 2014 को विधि विभाग में आयोजित की गई थी जिसमें न्याय विभाग के परियोजना प्रबंधन दल ने भी भाग लिया था। विधि विभाग का दल वर्तमान में अध्ययन के आयोजन हेतु प्रश्नावलियां तैयार कर रहा है तथा क्षेत्रों की पहचान कर रहा है। (5) **जम्मू एवं कश्मीर में विधिक सहायता क्लीनिकों की सहायता:** इस परियोजना से कश्मीर विश्व

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिमाणपरक सुपुर्दगियां	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
				विद्यालय द्वारा स्थापित विधिक सहायता क्लीनिक को सहायता भी दी जा रही है। विश्वविद्यालय में इस परियोजना पर कार्य आरंभ कर दिया है, कई सुपुर्दगी योग्य कार्य पूरे हो चुके हैं, अनुसंधान परियोजनाओं तथा विधिक साक्षरता शिविरों पर कार्य आरंभ किया गया है। इस परियोजना के लिए अभिमुखीकरण बैठक 11 दिसम्बर, 2014 को आयोजित की जा चुकी है। (6) **9 राज्यों में एक परियोजना दल की नियुक्ति के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को जनशक्ति संबंधी सहायता प्रदान करना**: सभी 9 परियोजना राज्यों में 2 विशेषज्ञों (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) के एक दल की नियुक्ति की जा रही है ताकि राज्यों के स्तर पर न्याय तक पहुंच (पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर) परियोजना के क्रियाकलापों का समन्वय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की सेवा की जा सकती है। जम्मू और कश्मीर (पीसी एंव पीए), मेघालय(पीसी एंव पीए), और मिजोरम (पीसी), को छोड कर सभी राज्यों में नियुक्तियां पूरी कर ली गई हैं।
6	न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई शोध और अध्ययन	नीतिगत पहलों के लिए एक्शन रिसर्च और न्यायिक सुधारों के उपायों, लंबित मामलों में कमी ड्राइव का प्रभाव आदि को पूरा किया जा सका। न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा अनुशंसित अध्ययन भी आयोजित किया जा सकता है।	इस योजना के तहत न्याय प्रदायगी प्रणाली में न्यायिक सुधारों के लिए की बकाया मामलों और देरी को कम करने में राष्ट्रीय मिशन के जनादेश को लागू करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा गतिविधियों को शुरू किए जाने की संभावना है।	यह योजना न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अनुसंधान अध्ययन करने के लिए चौदह प्रस्तावों को अब तक अनुमोदित किया गया है।
7	न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना	प्रावधान न्यायालयों की इमारतों और न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर के निर्माण के लिए है।	न्यायालय भवनों तथा न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण।	2014-15 के दौरान 933.00 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान 31 दिसम्बर, 2015 तक 542.62 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 7 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। यह निर्णय लिया गया कि में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1989 की रिट याचिका (सी) संख्या 1022 में आइए नंबर 279 में जिला और राज्य समितियों के लिए तैयार किये गए तंत्र को स्थाई विषेशता बनाया जाए और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को न्यायालय इमारतों और आवासों के बुनियादी ढांचे के निर्माण, साज-सज्जा, रखरखाव और विकास के लिए सक्रिय रूप से समय पर प्रस्तावों को सुनिश्चित करने के इस तंत्र का उपयोग करना चाहिए। राज्य सरकारें मामले में उच्च न्यायालयों को सहायता प्रदान करेंगी। इसके अलावा, राज्य सरकारें, न्यायालय

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>योजना/कार्यक्रम का नाम</th><th>लक्ष्य/परिणाम</th><th>परिमाणपरक सुपुर्दगियां</th><th>उपलब्धियां</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>परिसरों और आवासीय क्वार्टर के प्रयोजन के लिए प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त और उपयुक्त भूमि / स्थान आवंटित करेंगी।</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने और संचालित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता</td><td>ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है।</td><td>अधिनियम 2009 में अधिसूचित किया है और 2 अक्टूबर 2009 को अस्तित्व में लाया।</td><td>मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, हरियाणा और गोवा राज्यों में अब तक कुल अधिसूचित किए गए 194 ग्राम न्यायालयों में से 160 को सक्रिय किया जा चुका है। 2014-15 के दौरान 300 लाख रुपये की राशि आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए उपर्युक्त राज्यों को वितरित की जा चुकी। वर्ष 2015-16 में कोई व्यय नहीं किया गया है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>विधिक सहायता (एनएएलएसए) (योजनेतर)</td><td>विधिक सहायता कार्यक्रमों पर नजर रखने और उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने और इस अधिनियम के तहत नीतियों और सिद्धांतों को तैयार करने और विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए।</td><td>(i) पात्र व्यक्तियों को नि: शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने;
(ii) विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करने के लिए और
(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।</td><td>1 अप्रैल 2015 से 30 सितंबर 2015 तक की अवधि के दौरान 81,962 लोक अदालत का आयोजन किया गया। इन लोक अदालतों में 28.40 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ। 53,049 मोटर वाहन दुर्घटना दावों के मामलों में, 1017.86 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया है।
मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत
<table>
<tr><th>क्रम संख्या.</th><th>दिन</th><th>विषय</th><th>कुल निपटान (वाद पूर्व+वाद पश्चात चरण)</th><th>समाधान राशि (करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>11.04.2015</td><td>श्रम एवं परिवार</td><td>5,31,872</td><td>366.04</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>09.05.2015 & 13.06.2015</td><td>एमएसीटी और बीमा दावे</td><td>3,18,724</td><td>951.55</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>11.07.2015</td><td>बिजली / पानी / टेलीफोन / जनोपयोगी विवाद</td><td>8,68,254</td><td>553.60</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>08.08.2015</td><td>बैंक मैटर्स और एनआई एक्ट की</td><td>3,53,167</td><td>1,499.42</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिमाणपरक सुपुर्दगियां	उपलब्धियां				
1	2	3	4	5				
						धारा 138, वसूली वाद आदि.		
				5.	12.09.2015	आपराधिक मिश्रयोग्य मामले	5,71,714	416.12
				6.	10.10.2015	आवागमन,छोटे मामले, नगर निगम मामले	16,39,229	362.94
				7.	12.12.2015	सभी प्रकार के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत ।	93,04,824	4,497.39
				कुल योग			**1,35,87,784**	**8,647.06**
10	कुटुंब न्यायालय	कुटुंब न्यायालयों को शादी और परिवार के मामलों के लिए और इस मामले से जुड़े मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए सुलह को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया जाता है।	स्थापित कुटुंब न्यायालयों और निपटाए गए मामलों की संख्या ।	प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 443 कुटुंब न्यायालय स्थापित किए गए हैं।				

उपाबंध-VI

कार्य कर रहे कुटुम्ब न्यायालयों की संख्या

म सं.	राज्य का नाम	राज्य में कार्यात्मक कुटुंब न्यायालयों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	14
2	अरुणाचल प्रदेश	-
3	असम	03
4	बिहार	39
5	छत्तीसगढ़	19
6	दिल्ली	15
7	गोवा	-
8	गुजरात	17
9	हरियाणा	07
10	हिमाचल प्रदेश	-
11	जम्मू एवं कश्मीर	-
12	झारखंड	21
13	कर्नाटक	27
14	केरल	28
15	मध्य प्रदेश	44
16	महाराष्ट्र	22
17	मणिपुर	05
18	मेघालय	-
19	मिजोरम	04
20	नागालैंड	02
21	ओडिशा	17
22	पंजाब	7
23	पुडुचेरी	01
24	राजस्थान	28
25	सिक्किम	04
26	तमिलनाडु	14
27	तेलंगाना	12
28	त्रिपुरा	03
29	उत्तर प्रदेश	76
30	उत्तराखंड	7
31	पश्चिम बंगाल	02
	कुल	**438**

उपाबंध-VII

{अनुदान सं. 64 विधि और न्याय}

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान 2015-16			इस मंत्रालय द्वारा अधिकृत राशि			इस मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2015 तक बुक किया गया व्यय			अधिकृत मंत्रालय द्वारा बुक व्यय			कुल व्यय			व्यय, बजट अनुमान के % के रुप में		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल**	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1	2						3			4			5			6		
"2014"- न्याय प्रशासन	219.30	192.26	411.56	14.00		14.00	2.42	100.64	103.06	5.47		5.47	7.89	100.64	108.53	3.60	52.35	26.37
"2015"- निर्वाचन	0.00	2142.40	2142.40		255.58	255.58		1055.94	1055.94		217.12	217.12	0.00	1273.06	1273.06		59.42	59.42
"2020"-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	0.00	146.08	146.08		0.30	0.30		49.32	49.32		0.05	0.05	0.00	49.37	49.37		33.80	33.80
"2052"-सचिवालय सामान्य सेवाएं	0.00	108.66	108.66		0.79	0.79		74.26	74.26		0.21	0.21	0.00	74.47	74.47		68.53	68.53
"2070" -अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	19.85	19.85			0.00		13.88	13.88			0.00	0.00	13.88	13.88		69.92	69.92
"2552"-पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सहायता अनुदान	80.66	0.00	80.66			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
"3601" -राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	443.69	5.00	448.69			0.00	479.62	3.10	482.72			0.00	479.62	3.10	482.72	108.10	62.00	107.58
"3602" संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	63.00	0.00	63.00			0.00	60.40		60.40			0.00	60.40	0.00	60.40	95.87		95.87
"4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	102.75	102.75		6.20	6.20		0.70	0.70		4.07	4.07	0.00	4.77	4.77		4.64	4.64
कुल योग मुख्य शीर्ष	**806.65**	**2717.00**	**3523.65**	**14.00**	**262.87**	**276.87**	**542.44**	**1297.84**	**1840.28**	**5.47**	**221.45**	**226.92**	**547.91**	1519.29	**2067.20**	**67.92**	**55.92**	**58.67**

व्यय का विवरण 2015-16-दिसम्बर, 2015 तक
व्यय का यूनिटवार और विषयवार ब्यौर

	राजस्व खंड:			(वास्तविक राशि)	
	विषय शीर्ष	इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय (12/15 तक)	इस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत की गई राशि	प्राधिकृत राशि की तुलना में व्यय	कुल व्यय
	मुख्य शीर्ष 2014- न्याय प्रशासन				
	00.114 - विधि सलाहकार और परामर्शी-लघु शीर्ष				
	07- विधि कार्य विभाग				
	मजदूरी	3,23,265			3,23,265
	कार्यालय व्यय	57,18,705			57,18,705
	व्यावसायिक सेवाएं	26,57,04,214			26,57,04,214
	योग - 114	**27,17,46,184**	**0**	**0**	**27,17,46,184**
	मुख्य शीर्ष 2014- न्याय प्रशासन				
	00.118 -जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण				
	01 - ई-न्यायालय				
	01.99 - सूचना प्रौद्योगिकी				
	अन्य प्रभार		2,00,00,000	1,47,19,333	1,47,19,333
	योग- 118	**0**	**2,00,00,000**	**1,47,19,333**	**1,47,19,333**
	मुख्य शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन				
	00.800 -अन्य व्यय -लघु शीर्ष				
	02 -राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी				
	सहायता अनुदान	5,50,00,000			5,50,00,000
	05 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण				
	सहायता अनुदान	67,97,00,000			67,97,00,000
	18- न्याय प्रदायन एवं विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन				
	18.01- न्याय प्रदायन एवं विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन				
	घरेलू यात्रा व्यय	2,65,237			2,65,237
	कार्यालय व्यय	4,56,898			4,56,898
	अन्य प्रशासनिक व्यय	18,97,337			18,97,337
	व्यावसायिक सेवाएं	21,28,662			21,28,662
	सहयता अनुदान	1,20,58,154			1,20,58,154
	अन्य प्रभार	57,77,441	8,00,00,000		57,77,441
	योग - 18.02 - न्याय प्रदायन एवं विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन	**2,25,83,729**	**8,00,00,000**	**0**	**2,25,83,729**
	18.02- एसएजेआई				
	व्यावसायिक सेवाएं		4,00,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000

	राजस्व खंड:			(वास्तविक राशि)	
	विषय शीर्ष	**इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय (12/15 तक)**	**इस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत की गई राशि**	**प्राधिकृत राशि की तुलना में व्यय**	**कुल व्यय**
	अन्य प्रभार	15,97,721			15,97,721
	योग-एसएजेआई	**15,97,721**	**4,00,00,000**	**4,00,00,000**	**4,15,97,721**
	योग - 18 -न्याय प्रदायन एवं विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन	**2,41,81,450**	**12,00,00,000**	**4,00,00,000**	**6,41,81,450**
	योग- 800 - अन्य व्यय	**75,88,81,450**	**12,00,00,000**	**4,00,00,000**	**79,88,81,450**
	घटाएं, अधिक भुगतान की वसूली			(7,71,91,414)	(7,71,91,414)
	योग मुख्य शीर्ष 2014	**1,03,06,27,634**	**14,00,00,000**	**-2,24,72,081**	**1,00,81,55,553**
	मुख्य शीर्ष 2015- निर्वाचन				
	लघु शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	निर्वाचन अधिकारी	36,00,00,000			36,00,00,000
	मतदाता सूचियां तैयार करना और उनका मुद्रण	54,00,00,000			54,00,00,000
	लोकसभा आदि के निर्वाचन कराने पर व्यय	9,27,09,34,906		48,97,400	9,27,58,32,306
	बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय	1,84,28,091		68,99,325	2,53,27,416
	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	37,00,00,000			37,00,00,000
	इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन पर व्यय		2,55,57,80,633	2,15,94,35,745	2,15,94,35,745
	योग मुख्य शीर्ष 2015	**10,55,93,62,997**	**2,55,57,80,633**	**2,17,12,32,470**	**12,73,05,95,467**
	मुख्य शीर्ष 2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण				
	00.001 निदेशन और प्रशासन-लघु शीर्ष				
	05- आयकर अपीलीय अधिकरण				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	38,31,83,590			38,31,83,590
	मजदूरी	3,98,569			3,98,569
	समयोपरि भत्ता	33,665			33,665
	चिकित्सा उपचार	50,49,373			50,49,373
	घरेलू यात्रा व्यय	1,51,75,283			1,51,75,283
	कार्यालय व्यय	6,33,61,758	16,38,442	5,19,219	6,38,80,977
	किराया, दरें और कर	2,37,07,775			2,37,07,775
	अन्य प्रशासनिक व्यय	34,809			34,809
	लघु कार्य और रख-रखाव	55,500	13,27,486		55,500
	व्यावसायिक सेवाएं	4,71,710			4,71,710
	अन्य प्रभार	17,31,060			17,31,060
	घटाएं, अधिक भुगतान की वसूली	-8,801			(8,801)
	योग मुख्य शीर्ष 2020	**49,31,94,291**	**29,65,928**	**5,19,219**	**49,37,13,510**
	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं				
	00.090 - सचिवालय लघु शीर्ष				

	राजस्व खंड:			(वास्तविक राशि)	
	विषय शीर्ष	**इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय (12/15 तक)**	**इस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत की गई राशि**	**प्राधिकृत राशि की तुलना में व्यय**	**कुल व्यय**
	06-विधि कार्य विभाग				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	24,53,09,312			24,53,09,312
	मजदूरी	29,76,864			29,76,864
	समयोपरि भत्ता	1,85,502			1,85,502
	चिकित्सा उपचार	32,94,997			32,94,997
	घरेलू यात्रा व्यय	34,40,564			34,40,564
	विदेश यात्रा व्यय	32,54,721			32,54,721
	कार्यालय व्यय	3,05,84,593	2,12,000		3,05,84,593
	किराया, दरें और कर	3,30,207			3,30,207
	प्रकाशन	19,325			19,325
	अन्य प्रशासनिक व्यय	12,45,149			12,45,149
	लघु कार्य एवं रख-रखाव	6,30,823	42,04,445	11,84,517	18,15,340
	व्यावसायिक सेवाएं	26,95,640			26,95,640
	सहायता अनुदान	98,25,000			98,25,000
	सहायता अनुदान वेतन	3,66,20,860			3,66,20,860
	अन्य प्रभार	21,59,769			21,59,769
	योग	**34,25,73,326**	**44,16,445**	**11,84,517**	**34,37,57,843**
	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं				
	00.090 - सचिवालय-लघु शीर्ष				
	31-विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	81,45,555			81,45,555
	मजदूरी	90,000			90,000
	चिकित्सा उपचार	59,473			59,473
	कार्यालय व्यय	13,70,950			13,70,950
	किराया, दरें और कर	5,24,07,871			5,24,07,871
	अन्य प्रशासनिक व्यय	59,644			59,644
	योग	**6,21,33,493**	**0**	**0**	**6,21,33,493**
	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं				
	00.090- सचिवालय-लघु शीर्ष				
	07-विधायी विभाग				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	10,02,85,543			10,02,85,543
	मजदूरी	22,02,881			22,02,881
	समयोपरि भत्ता	45,673			45,673
	चिकित्सा उपचार	12,69,781			12,69,781
	घरेलू यात्रा व्यय	2,45,662			2,45,662
	कार्यालय व्यय	84,35,412	56,700		84,35,412
	प्रकाशन	3,15,141			3,15,141

	राजस्व खंड:			(वास्तविक राशि)	
	विषय शीर्ष	**इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय (12/15 तक)**	**इस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत की गई राशि**	**प्राधिकृत राशि की तुलना में व्यय**	**कुल व्यय**
	अन्य प्रशासनिक व्यय	3,64,777			3,64,777
	व्यावसायिक सेवाएं	20,06,182			20,06,182
	अन्य प्रभार	96,411			96,411
	योग	**11,52,67,463**	**56,700**	**0**	**11,52,67,463**
	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं				
	00.090- सचिवालय-लघु शीर्ष				
	04-राजभाषा खंड				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	4,51,72,024			4,51,72,024
	मजदूरी	10,918			10,918
	समयोपरि भत्ता	2,850			2,850
	चिकित्सा उपचार	14,10,530			14,10,530
	घरेलू यात्रा व्यय	2,82,016			2,82,016
	कार्यालय व्यय	40,43,350	1,27,500		40,43,350
	किराया, दरें और कर	85,92,955			85,92,955
	प्रकाशन	92,78,802			92,78,802
	अन्य प्रशासनिक व्यय	2,91,665			2,91,665
	विज्ञापन और प्रचार		1,78,705		-
	व्यावसायिक सेवाएं	7,66,585			7,66,585
	अन्य प्रभार	4,31,679			4,31,679
	योग	**7,02,83,374**	**3,06,205**	**0**	**7,02,83,374**
	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं				
	00.090 - सचिवालय-लघु शीर्ष				
	08-न्याय विभाग				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	2,72,50,643			2,72,50,643
	मजदूरी	26,56,574			26,56,574
	चिकित्सा उपचार	4,03,463			4,03,463
	घरेलू यात्रा व्यय	2,58,312			2,58,312
	कार्यालय व्यय	5,02,338			5,02,338
	प्रकाशन	1,19,53,723			1,19,53,723
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	6,70,358			6,70,358
	लघु कार्य और रख-रखाव		24,81,128	8,76,693	8,76,693
	व्यावसायिक सेवाएं	37,18,018			37,18,018
	अन्य प्रभार	2,42,165			2,42,165
	योग	**4,76,55,594**	**24,81,128**	**8,76,693**	**4,85,32,287**
	42-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	1,30,27,624			1,30,27,624
	समयोपरि भत्ता	41,877			41,877

	राजस्व खंड:			(वास्तविक राशि)	
	विषय शीर्ष	**इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय (12/15 तक)**	**इस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत की गई राशि**	**प्राधिकृत राशि की तुलना में व्यय**	**कुल व्यय**
	चिकित्सा उपचार	52,236			52,236
	घरेलू यात्रा व्यय	2,87,970			2,87,970
	कार्यालय व्यय	43,04,193			43,04,193
	प्रकाशन	13,39,406			13,39,406
	अन्य प्रशासनिक व्यय	57,840			57,840
	विज्ञापन और प्रचार	17,24,293			17,24,293
	योग	**2,08,35,439**	**0**	**0**	**2,08,35,439**
	47-उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	68,45,662			68,45,662
	चिकित्सा उपचार	1,33,807			1,33,807
	कार्यालय व्यय	15,38,372			15,38,372
	योग	**85,17,841**			**85,17,841**
	योग लघु शीर्ष 00.090 सचिवालय		**66,72,66,530**	**72,60,478**	**20,61,210**
	मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं				
	00.092 - अन्य कार्यालय-लघु शीर्ष				
	01- एकीकृत वाद अभिकरण				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	4,05,04,907			4,05,04,907
	मजदूरी	7,75,111			7,75,111
	समयोपरि भत्ता	41,445			41,445
	चिकित्सा उपचार	3,62,825			3,62,825
	घरेलू यात्रा व्यय	66,163			66,163
	कार्यालय व्यय	61,61,183			61,61,183
	किराया, दरें और कर	1,50,06,417			1,50,06,417
	अन्य प्रशासनिक व्यय	1,14,399			1,14,399
	अन्य प्रभार	1,80,300			1,80,300
	योग	**6,32,12,750**	**0**	**0**	**6,32,12,750**
	05 - राष्ट्रीय न्याय प्रदायन मिशन				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	58,50,749			58,50,749
	मजदूरी	24,65,711			24,65,711
	घरेलू यात्रा व्यय	22,768			22,768
	विदेश यात्रा व्यय	3,445			3,445
	कार्यालय व्यय	8,05,470			8,05,470
	अन्य प्रशासनिक व्यय	2,19,037			2,19,037
	लघु कार्य और रख-रखाव		6,26,400		-
	व्यावसायिक सेवाएं	19,01,616			19,01,616
	अन्य प्रभार	8,84,394			8,84,394

	राजस्व खंड:			(वास्तविक राशि)	
	विषय शीर्ष	**इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय (12/15 तक)**	**इस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत की गई राशि**	**प्राधिकृत राशि की तुलना में व्यय**	**कुल व्यय**
	योग	**1,21,53,190**	**6,26,400**	**0**	**1,21,53,190**
	योग-अन्य कार्यालय	**7,53,65,940**	**6,26,400**	**0**	**7,53,65,940**
	घटाएं, अधिक भुगतान की वसूली	**-19,962**			**(19,962)**
X	**योग मुख्य शीर्ष-2052**	**74,26,12,508**	**78,86,878**	**20,61,210**	**74,46,73,718**
	मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
	00.105 - विशेष जांच आयोग				
	01-विधि आयोग				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**	**0**		
	वेतन	3,34,28,632			3,34,28,632
	समयोपरि भत्ता	1,25,870			1,25,870
	चिकित्सा उपचार	2,04,709			2,04,709
	घरेलू यात्रा व्यय	7,19,901			7,19,901
	विदेश यात्रा व्यय	2,04,384			2,04,384
	कार्यालय व्यय	83,22,914			83,22,914
	किराया, दरें और कर	5,91,97,202			5,91,97,202
	अन्य प्रशासनिक व्यय	11,87,853			11,87,853
	व्यावसायिक सेवाएं	3,70,400			3,70,400
	अन्य प्रभार	2,76,361			2,76,361
	योग	**10,40,38,226**	**0**	**0**	**10,40,38,226**
	मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं				
	00.800-अन्य व्यय				
	01.-विधि साहित्य प्रकाशन				
	विषय शीर्ष	**12/15 तक व्यय**			
	वेतन	2,63,31,329			2,63,31,329
	मजदूरी	78,967			78,967
	समयोपरि भत्ता	2,650			2,650
	चिकित्सा उपचार	11,62,829			11,62,829
	घरेलू यात्रा व्यय	1,42,921			1,42,921
	कार्यालय व्यय	34,03,808			34,03,808
	प्रकाशन	33,58,727	47,988		33,58,727
	अन्य प्रशासनिक व्यय	75,267			75,267
	व्यावसायिक सेवाएं	50,200			50,200
	अन्य प्रभार	1,52,355			1,52,355
	योग	**3,47,59,053**	**47,988**	**0**	**3,47,59,053**
	योग मुख्य शीर्ष-2070	**13,87,97,279**	**47,988**	**0**	**13,87,97,279**
	मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान				
	गैर-योजना अनुदान-विशेष न्यायालय-सहायता अनुदान	3,10,00,000			3,10,00,000
	केंद्र प्रायोजित प्लान योजनाओं के लिए अनुदान	4,79,62,00,000			4,79,62,00,000

	राजस्व खंड:			(वास्तविक राशि)	
	विषय शीर्ष	**इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय (12/15 तक)**	**इस मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत की गई राशि**	**प्राधिकृत राशि की तुलना में व्यय**	**कुल व्यय**
	सहायता अनुदान				-
	योग मुख्य शीर्ष-3601	**4,82,72,00,000**	**0**	**0**	**4,82,72,00,000**
	मुख्य शीर्ष-3602-संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान				
	आधारभूत सुविधाओं के लिए अनुदान				
	सहायता अनुदान	60,40,31,674			60,40,31,674
	योग मुख्य शीर्ष 3602	**60,40,31,674**	**0**	**0**	**60,40,31,674**
	योग राजस्व खंड	**18,39,58,26,383**	**2,70,66,81,427**	**2,15,13,40,818**	**20,54,71,67,201**
	पूंजी खंड:				
	मुख्य शीर्ष 4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
	निर्देशन एवं प्रशासन				
	आयकर अपीलीय अधिकरण हेतु भूमि अधिग्रहण एवं भवन निर्माण - मुख्य कार्य	70,00,596	6,20,00,000	4,07,01,793	4,77,02,389
	विधि कार्य विभाग- मुख्य कार्य				-
	योग मुख्य शीर्ष-4070	**70,00,596**	**6,20,00,000**	**4,07,01,793**	**4,77,02,389**
	योग राजस्व + पूंजी खंड	**18,40,28,26,979**	**2,76,86,81,427**	**2,19,20,42,611**	**20,59,48,69,590**

विभागवार व्यय का विवरण 2015-16

(राशि करोड़ रु0 में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	प्राधिकरण	इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय	प्राधिकृत मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय	कुल व्यय	वास्तविक राशि बजट अनुमान के % के रुप में
2014-न्याय प्रशासन						
विधि सलाहकार और परामर्शी	36.50		27.17		27.17	74.44
ई-न्यायालय	2.00	2.00		1.47	1.47	73.50
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी	10.74		5.50		5.50	51.21
अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र	0.02				0.00	0.00
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	145.00		67.97		67.97	46.88
ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता	0.01				0.00	0.00
न्याय और विधि सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन	212.29	8.00	2.26		2.26	1.06
एसएजेआई	5.00	4.00	0.16	4.00	4.16	83.20
घटाएं, अधिक भुगतान की वसूली				-7.71	-7.71	
योग मुख्य शीर्ष-2014	**411.56**	**14.00**	**103.06**	**-2.24**	**100.82**	**24.50**
2015-निर्वाचन						
निर्वाचन अधिकारी	60.00		36.00		36.00	60.00
मतदाता सूचियों को तैयार करना तथा उनका मुद्रण	80.00		54.00		54.00	67.50
लोकसभा और राज्य/संघशासित क्षेत्र विधानसभाओं के निर्वाचन एक साथ होने की स्थिति में उन पर व्यय	1555.40		927.09	0.49	927.58	59.64
राज्यसभा के निर्वाचन कराने पर व्यय	0.31				0.00	0.00
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों पर व्यय	6.60		1.84	0.69	2.53	38.33
मतदाताओं को फोटो-पहचान पत्र जारी करना -राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति	40.00		37.00		37.00	92.50
इलेक्ट्रानिक मतदाता मशीनों पर व्यय	400.00	255.58		215.94	215.94	53.99
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर व्यय	0.09				0.00	0.00
योग मुख्य शीर्ष - 2015	**2142.40**	**255.58**	**1055.93**	**217.12**	**1273.05**	**59.42**
2020 - आय और व्यय पर करों का संग्रहण						
आयकर अपीलीय अधिकरण	146.05	0.30	49.32	0.05	49.37	33.80
राष्ट्रीय कर अधिकरण	0.03					0.00
योग मुख्य शीर्ष- 2020	**146.08**	**0.3**	**49.32**	**0.05**	**49.37**	**33.80**
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं						
राजभाषा खंड	9.23	0.03	7.03		7.03	76.16
विधि कार्य विभाग	46.93	0.44	34.26	0.12	34.38	73.26
विधायी विभाग	17.63	0.01	11.53		11.53	65.40

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	प्राधिकरण	इस मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय	प्राधिकृत मंत्रालय द्वारा बुक किया गया व्यय	कुल व्यय	वास्तविक राशि बजट अनुमान के % के रुप में
न्याय विभाग	6.47	0.25	4.77	0.09	4.86	75.12
विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण	9.32		6.21		6.21	66.63
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण	5.65		2.08		2.08	36.81
एसएएलएसए	2.06		0.85		0.85	41.26
एकीकृत विधि अभिकरण	8.41		6.32		6.32	75.15
राष्ट्रीय न्याय प्रदायन एवं विधि सुधार मिशन	2.96	0.06	1.22		1.22	41.22
योग मुख्य शीर्ष - 2052	**108.66**	**0.79**	**74.27**	**0.21**	**74.48**	**68.54**
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं						
विशेष जांच आयोग-विधि आयोग	14.03		10.40		10.40	74.13
अंतरराष्ट्रीय विधि एसोसिएशन	0.01				0.00	0.00
विधि साहित्य प्रकाशन	5.81		3.48		3.48	59.90
योग मुख्य शीर्ष-2070	**19.85**		**13.88**	**0.00**	**13.88**	**69.92**
2552 - पूर्वोत्तर के राज्यों को सहायता अनुदान	**80.66**		**0.00**		0.00	0.00
					0.00	
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान						
न्याय प्रशासन-विशेष अदालतें	5.00		3.10		3.10	62.00
न्याय प्रशासन-अन्य अनुदान- न्यायपालिका के लिए आधारभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	443.69		479.62		479.62	108.10
योग मुख्य शीर्ष - 3601	**448.69**		**482.72**	**0.00**	**482.72**	**107.58**
3602-संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	**63.00**		**60.40**		**60.40**	**95.87**
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
विधायी प्रारुपण और शोध संस्थान के लिए भूमि का अर्जन और भवन निर्माण	0.01					
आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि का अर्जन और भवन निर्माण	102.73	6.20	0.70	4.07	4.77	4.64
राष्ट्रीय कर अधिकरण के लिए भूमि का अर्जन और भवन निर्माण	0.01				0.00	0.00
योग मुख्य शीर्ष-4070	**102.75**	**6.20**	**0.70**	**4.07**	**4.77**	**4.64**
कुल योग	**3523.65**	**276.87**	**1840.28**	**219.21**	**2059.49**	**58.45**

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

परिणाम बजट

OUTCOME BUDGET

2016-2017

विधि और न्याय मंत्रालय

Ministry of Law and Justice

CONTENTS

Sl. No.	Chapter	Subject	Page No.
1.	I.	Functions and Organisational set up	1-10
2.	II.	Financial and Outcome Budget	11-13
3.	III.	Reform Measures and Policy Initiatives	14-26
4.	IV.	Review of Past Performance	27-35
5.	V.	Financial Review and Trends of Expenditure Department of Justice	36
6.	VI.	Review of Performance of Statutory and Autonomous Bodies	37-44
7.	Annexure – I	Organisation Chart of the Department of Legal Affairs	45
8.	Annexure – II	Organisation Chart of the Legislative Department (Main)	46
9.	Annexure – III	Organisation set up of Department of Justice	47
10.	Annexure – IV	Details of Financial Outlays, projected physical outputs and projected	48-57
11.	Annexure – V	Statement showing targets vis-à-vis achievements in respect of Plan	58-65
12.	Annexure – VI	Number of Family Courts Functional	66-67
13.	Annexure – VII	Expenditure up to 31 December 2015	68
14.		Expenditure Statement 2015-16	69-76
15.		Department Wise Expenditure	77-79

CHAPTER-I

FUNCTIONS AND ORGANISATIONAL SET UP

The Union Ministry of Law and Justice comprises of three Departments, namely the Department of Legal Affairs, Legislative Department and Department of Justice and through the said Departments, the Ministry assists in the process of orderly change directed towards realisation of the objectives set out in the Constitution.

2. The Legislative Department and the Department of Legal Affairs act as service providers in so far as the legislative business of the Government and tendering advice on legal matter to Ministries/Departments, is respectively concerned. Thus the said two Departments do not have any specific schemes, which can translate into specific and quantifiable outputs.

2. DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

Functions and Responsibilities

1. The Department has been allocated the following items as per the Government of India {Allocation of Business} Rules, 1961:-

a) Advice to Ministries on legal matters including interpretation of the Constitution and the laws, conveyancing and engagement of counsel to appear on behalf of the Union of India in the High Courts and subordinate courts where the Union of India is a party.

b) Attorney General of India, Solicitor General of India, and other Central Government law officers of the States whose services are shared by the Ministries of the Government of India.

c) Conduct of cases in the Supreme Court and the High Courts on behalf of the Central Government and on behalf of the Governments of States participating in the Central Agency Scheme.

d) Reciprocal arrangements with foreign countries for the service of summons in civil suits for the execution of decrees of Civil Courts, for the enforcement of maintenance orders, and for the administration of the estates of foreigners dying in India intestate.

e) Authorization of officers to execute contracts and assurances and of property on behalf of the President under Article 299(1) of the Constitution, and authorization of officers to sign and verify plaints or written statements in suits by or against the Central Government.

f) Indian Legal Service.

g) Treaties and agreements with foreign countries in matters of civil law.

h) Law Commission.

i) Legal Profession including the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) and persons entitled to practice before High Courts.

j) Enlargement of the jurisdiction of Supreme Court and the conferring thereon of further powers; persons entitled to practice before the Supreme Court, references to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India.

k) Administration of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952)

l) Income-tax Appellate Tribunal.

m) Appellate Tribunal for Foreign Exchange

2. The Department has also been allocated administration of the following Acts:-

(a) The Advocates Act, 1961

(b) The Notaries Act, 1952

(c) The Advocates' Welfare Fund Act, 2001;

(d) The National Tax Tribunal Act, 2005

3. The Department is also administratively in-charge of the Appellate Tribunal for Foreign Exchange, the Income Tax Appellate Tribunal, National Tax Tribunal and the Law Commission of India. The Department is also administratively concerned with all the matters relating to the Indian Legal Service. It is further connected with the appointment of Law Officers namely the Attorney General of India, the Solicitor General of India and the Additional Solicitor Generals of India. With a view to promote studies and research in law and with a view to promoting Alternative Disputes Resolution Mechanism, improvement in legal profession, this Department sanctions grant in aid to certain institutions engaged in these fields like Indian Law Institute, International Centre for Alternative Dispute Resolution, Institute of Constitutional and Parliamentary Studies and Bar Council of India.

3. ORGANISATIONAL SET-UP

The Department of Legal Affairs has a two tier set up, namely, the Main Secretariat at New Delhi and the Branch Secretariats at Mumbai, Kolkata, Chennai and Bengaluru. The nature of duties discharged can be broadly classified into two areas- Advice work and Litigation work. The Organisational Chart of the Department of Legal Affairs is at Annexure-I.

(A) MAIN SECRETARIAT –

1) The set up at the Main Secretariat includes Law Secretary, Additional Secretaries, Joint Secretary and Legal Advisers and other Legal Advisers at various levels. The work relating to tendering of legal advice and conveyancing has been distributed amongst groups of officers. Each group is normally headed by an Additional Secretary or a Joint Secretary and Legal Adviser, who, in turn, is assisted by a number of other Legal Advisers at different levels.

2) The litigation work in the Supreme Court on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India and some administrations of the Union Territories is handled by the Central Agency Section presently headed by an Additional Secretary.

3) The litigation work in the High Court of Delhi on behalf of all the Ministries/Departments of the Government of India is processed by the Litigation (High Court) Section presently headed by a Deputy Legal Adviser.

4) The litigation work in the Subordinate Courts in Delhi is handled by the Litigation (Lower Court) Section presently headed by an Assistant Legal Adviser.

5) The Department has a special cell, namely, Implementation Cell for dealing with the implementation of the recommendations of the Law Commission and the administration of the Advocates Act, 1961. It also deals with the legal profession. This Cell is also concerned with the National Tax Tribunal Act, 2005 and it has also been entrusted with the work of coordination under the Right to Information Act, 2005.

6) There is one post of Joint Secretary & Legal Adviser each in Railway Board and Department of Telecommunications respectively and the incumbents to the posts function from the said offices. Further, there is one sanctioned post of Joint Secretary and Legal Adviser in the Department of Public Enterprises and the incumbent functions as an Arbitrator under the scheme of Permanent Machinery of Arbitration in that Department. One Deputy Legal Adviser functions as an Arbitrator in the Arbitration cases in the DGS&D. Further, one Deputy Legal Adviser functions from the Army Purchase Organisation under the Ministry of Defence. In addition, some posts of

different levels such as Additional Legal Adviser, Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser also exist in the Ministry of Defence, Ministry of Labour, Ministry of Urban Development and DGS&D.

(B) BRANCH SECRETARIAT, MUMBAI

The Branch Secretariat of this Department at Mumbai tenders legal advice, handles litigation work pertaining to Bombay High Court, litigation pertaining to other subordinate courts which falls under the entire western region.

The Secretariat is presently headed by a Joint Secretary and Legal Adviser/ In-charge. He is assisted by one Senior Government advocate, two Additional Govt. Advocates, One Assistant Legal Adviser and Two Supt. (Legal), one Section Officer/DDO and other officials.

(C) BRANCH SECRETARIAT, KOLKATA

The Branch Secretariat at Kolkata is looking after litigation of the Union of India in the High Courts & Circuit Bench of Calcutta High Court in Port Blair and other High Courts and Ld. Courts below, covering 12 States of the Eastern Region. The Branch Secretariat also looks after the service matters relating to Central Government employees before the Central Administrative Tribunal, Calcutta Bench as well as the other benches of CAT at Cuttack, Guwahati, Patna and Circuit Benches at Sikkim and Andaman & Nicobar Islands.

The Branch Secretariat, Kolkata is headed by a Senior Government Advocate, who also functions as overall In-charge. He is assisted by an Additional Government Advocate, One Assistant Legal Adviser and one Section Officer/DDO and other officials.

(D) BRANCH SECRETARIAT, CHENNAI

Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat at Chennai and is assisted by an Assistant Legal Adviser and a Section Officer with other staff.

(E) BRANCH SECRETARIAT, BENGALURU

Deputy Legal Adviser heads the Branch Secretariat at Bengaluru and is assisted by Two Assistant Legal Advisers and a Section Officer with other staff.

4. LEGISLATIVE DEPARTMENT

FUNCTIONS AND ORGANISATIONAL SET-UP

Legislative Department acts mainly as a service provider in so far as the legislative business of the Union Government is concerned. As such, it does not have any specific scheme that can be translated into physical and quantifiable outputs. However, as a service provider, it ensures smooth and speedy processing of legislative proposals of various administrative Departments and Ministries.

An overview of the subject matter mainly dealt with by the Legislative Department is as follows :-

(i) Scrutiny of Notes for the Cabinet in relation to all legislative proposals from drafting and constitutional angles;

(ii) Drafting of all Government Bills including Constitution (Amendment) Bills before introduction in Parliament; their translation into Hindi and forwarding of both English and Hindi versions of the Bills to the Secretariats of Lok Sabha and Rajya Sabha; drafting of official amendments to Bills, scrutiny of non-official amendments and rendering assistance to administrative Departments and Ministries to decide the acceptability or otherwise of non-official amendments;

(iii) Rendering assistance to Parliament and its Joint, Select and Standing Committees at all stages through which a Bill passes before enactment. This includes scrutiny of and assistance in preparation of reports and revised Bills to the Committees;

(iv) Drafting of Ordinances promulgated by the President;

(v) Drafting of legislation enacted as President's Acts in respect of States under President's rule;

(vi) Drafting of Regulations made by the President;

(vii) Drafting of Constitution Orders, *i.e.* Orders required to be issued under the Constitution;

(viii) Scrutiny of all statutory rules, regulations, orders, notifications, resolutions, schemes etc., and their vetting and translation into Hindi;

(ix) Scrutiny of State legislation in the concurrent field, which require assent of the President under article 254 of the Constitution;

(x) Scrutiny of legislation to be enacted by the Union territory Legislatures;

(xi) Elections to Parliament, Legislatures of States and Union territories and Offices of the President and Vice-President;

(xii) Apportionment of expenditure on elections between the Centre and the States/Union Territories with Legislatures;

(xiii) Election Commission of India and electoral reforms;

(xiv) Administration of the Representation of the People Act, 1950; the Representation of the People Act, 1951; the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xv) Matters relating to the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners under the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991;

(xvi) Matters relating to the Delimitation of Parliamentary and Legislative Assembly Constituencies.

(xvii) Legislation on matters relating to personal laws, transfer of property, contracts, evidence, civil procedure, etc., in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution;

(xviii) Imparting training in legislative drafting to the officers of the Union and State Governments, etc.

(xix) Publication of Central Acts, Ordinances and Regulations and their authorised translations in Hindi and other languages specified in the Eighth Schedule to the Constitution and also translation of legal and statutory documents.

(xx) Publication of Patrikas containing Hindi translation of selected judgments of the Supreme Court and High Courts on cases pertaining to constitutional, civil and criminal laws.

2 Legislative Department does not have any statutory or autonomous body under its control. It has two other wings under it namely, the Official Languages Wing and Vidhi Sahitya Prakashan, which are responsible for propagation of Hindi and other Official Languages in the field of Law.

(a) **Official Languages Wing** of the Legislative Department is responsible for preparing and publishing standard legal terminology and also for translating into Hindi all the Bills to be introduced in Parliament, all Central Acts, Ordinances, Subordinate legislations, etc. as required under the Official Languages Act, 1963. This Wing is also responsible for arranging translation of the Central Acts, Ordinances, etc., into the Official Languages as specified in the Eight Schedule to the Constitution as required under the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973. The Official Languages Wing also releases Grants-in-aid to various registered voluntary organisations engaged in promotion and propagation of Hindi and other regional languages and those organisations, which are directly engaged for the publication of legal literature and propagation of Hindi and other languages in the field of Law.

(b) **Vidhi Sahitya Prakashan** is mainly concerned with bringing out authoritative Hindi versions of reportable judgments of the Supreme Court and the High Courts with the objective of promoting the progressive use of Hindi in the legal field. In this connection, the Vidhi Sahitya Prakashan brings out various publications of legal literature in Hindi. It also holds exhibitions in High Courts, District Courts and Law Colleges of various States for giving wide publicity to legal literature available in Hindi and to promote sales. Under the Scheme for writing, translating and publishing of law books in Hindi and awarding prizes to such books for use as text books or reference books, an award to the tune of Rs.5,00,000/- (Rupees Five lakh only) has been instituted. Under this Scheme, 1st prize of Rs.50,000/-(Rupees fifty thousand only), 2nd prize of Rs.30,000/-(Rupees thirty thousand only) and 3rd prize of Rs.20,000/-(Rupees twenty thousand only) are awarded annually for the best publication in Hindi.

3. The organisational set-up of the Legislative Department includes the Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary & Legislative Counsel, Additional Legislative Counsel, Deputy Legislative Counsel and Assistant Legislative Counsel. The work relating to legislative drafting in relation to all forms of principal legislation and scrutinising and vetting of subordinate legislation under various

statutes has been distributed amongst Legislative Groups of officers. Each Group is headed by a Joint Secretary & Legislative Counsel or Additional Secretary, who in turn is assisted by a number of Legislative Counsel at different levels. The Secretary acts as the Chief Parliamentary Counsel and the Additional Secretary is in charge of all subordinate legislation. The Organisational Chart of the Legislative Department(Main) is at Annexure-II.

5. DEPARTMENT OF JUSTICE

INTRODUCTORY NOTE ON THE FUNCTIONS OF THE DEPARTMENT

The Department of Justice (DoJ) is a part of the Ministry of Law & Justice (MoL&J). However, the Administrative support to the Department of Justice is also being provided by the Ministry of Home Affairs (MHA).

As per the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the subjects handled by the Department of Justice include the following:-

1. Appointment, resignation and removal of the Chief Justice of India and Judges of the Supreme Court of India; their salaries, rights in respect of leave of absence (*including* leave allowances), pensions and travelling allowances.
2. Appointment, resignation and removal *etc*. of the Chief Justice and Judges of High Courts, their salaries, rights in respect of leave of absence (*including* leave allowances), pensions and travelling allowances.
3. Appointment of Judicial Commissioners and Judicial Officers in Union Territories.
4. Constitution and organization (*excluding* jurisdiction and powers) of the Supreme Court (but *including* contempt of such Court) and the fees taken therein.
5. Constitution and organization of the High Courts and the Courts of Judicial Commissioners, *except* provisions as to officers and servants of these courts.
6. Administration of Justice and constitution and organization of courts in the Union Territories and fees taken in such courts.
7. Court fees and Stamp duties in the Union Territories.
8. Creation of All India Judicial Service (AIJS).

9. Conditions of service of District Judges and other Members of Higher Judicial Service of Union Territories.

10. *Extension* of the jurisdiction of a High Court to a Union territory or *exclusion* of a Union Territory from the jurisdiction of a High Court.

11. Legal Aid to the poor.

12. Administration of Justice.

13. Access to Justice, Justice Delivery and Legal Reforms.

ORGANIZATIONAL SET UP

The Department is headed by the Secretary, who is a Senior Indian Administrative Service (IAS) Officer. Below Secretary (Justice), the organizational set up includes four Joint Secretaries, six Directors / Deputy Secretaries and seven Under Secretaries as on 01.01.2016. In addition to the matters connected with the appointment of Judges of the Supreme Court and the High Courts, the Department is also assigned the task of implementation and monitoring of various Plan and Non-Plan Schemes; *including* the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms, Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure of Judiciary and eCourts MMP.

The present organisational set up of the Department is at ***Annex-III.***

SCHEMES IMPLEMENTED AND MONITORED BY THE DEPARTMENT

The Schemes, which are implemented and monitored by the Department of Justice, are as follows:-

PLAN SCHEMES:

National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms has been set up with its period coinciding with the 12th Five Year Plan. It provides a platform for addressing the issues which affect the performance of the Judiciary. Infrastructure Development for Subordinate Judiciary is the thrust area of

the National Mission. The Schemes / programmes mentioned below support the objectives of the National Mission:

(i) The Central Sector Scheme of National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms includes---

(a) Scheme for Computerization of the District and Subordinate Courts / E-Courts.

(b) Access to Justice – Government of India.

(c) Strengthening of Access to Justice in India (SAJI (EAP).

(d) Action Research and Studies on Judicial Reforms.

(ii) The Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructural Facilities for the Judiciary; and Assistance to the States Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas.

NON-PLAN SCHEMES:

The Non-Plan Schemes / programmes being implemented and monitored by the Department of Justice are as under:-

1. Grants-in-aid to the National Legal Services Authority (NALSA) to monitor and evaluate implementation of legal-aid programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Legal Services Authorities Act, 1987.

2. Central assistance to the States at specified rates for the operation of Family Courts.

3. Grant-in-aid to the National Judicial Academy (NJA), Bhopal for meeting its operational expenditure.

The Plan and Non-Plan Schemes implemented by the Department of Justice and the subjects dealt with by the Department of Justice aim at providing support to the High Courts and the States for facilitating improved administration of justice, reducing backlog and pendency of cases in the courts.

CHAPTER II

FINANCIAL AND OUTCOME BUDGET

PART-I

The tabular format of the scheme-wise budgetary allocations in respect of the Grant No. 56 – Law & Justice for the year 2016-2017 is as follows:

(Rupees in crores)

Grant NO. 56		MAJOR HEAD	BE 2016-17		
			PLAN	NON-PLAN	TOTAL
S.No		**Revenue**	**900.00**	**4111.99**	**5011.99**
		Capital	**0.00**	**88.01**	**88.01**
		Total	**900.00**	**4200.00**	**5100.00**
1	**Secretariat-General Services**	**2052**	**0.00**	**126.81**	**126.81**
2	**Organs of State Elections**				
	2.01-Elections for Lok Sabha and State/UTs	**2015**	0.00	1761.43	1761.43
	2.02-Other Election Expenses	**2015**	0.00	1847.86	1847.86
	2.03-Issue of Identity Cards to voters	**2015**	0.00	40.00	40.00
	TOTAL		**0.00**	**3649.29**	**3649.29**
3	**Tax Tribunals**				
	3.01-Income Tax Appellate Tribunal	**2020**	0.00	73.47	73.47
	3.02-National Tax Tribunal	**2020**	0.00	0.01	0.01
	TOTAL		**0.00**	**73.48**	**73.48**
4	**National Legal Services Authority(NALSA)**	**2014**	**0.00**	**140.00**	**140.00**
5	**Other Programmes**	**2070**	**0.00**	**21.21**	**21.21**
		2014	**5.00**	**101.19**	**106.19**
6	**National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms (Central Sector Scheme)**				
	6.01-E-Courts Phase-II	**2014**	256.00	0.00	256.00

Grant NO. 56		MAJOR HEAD	BE 2016-17		
			PLAN	NON-PLAN	TOTAL
	6.02-Action Research and Studies on Judicial Reforms	**2014**	9.00	0.00	9.00
	6.03-Strengthening of Access to Justice in India(SAJI)	**2014**	5.00	0.00	5.00
	Total		**270.00**	**0.00**	**270.00**
7	**Scheme for Development of Infrastructure Facilities for State/UTs**				
	7.01-Grants-in Aid to State Governments	**3601**	455.00	0.01	455.01
	7.02-Gram Nyayalayas	**3601**	5.00	0.00	5.00
	7.03-Grants-in-Aid to UTs	**3601**	75.00	0.00	75.00
	7.04-Grants-in-aid to North Eastern Areas	**3602**	90.00	0.00	90.00
	TOTAL		**625.00**	**0.01**	**625.01**
8	**Capital**	**4070**	**0.00**	**88.01**	**88.01**
	Total		**900.00**	**4200.00**	**5100.00**

CHAPTER – II

PART-II

A Tabular format indicating the vertical compression and horizontal expansion of the Statement of Budget Estimates to establish a one-to-one correspondence between financial and the outcome budgets.

(The budgetary allocations for Department of Justice for the year 2016-17 are indicated as below):-

(Rs. in Crore)

	Head Revenue	2016-17 Budget		
		Plan	Non-Plan	Total
Secretariat-General Services				
Department of Justice *including* National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms.	2052	0.00	7.90 3.20	**11.10**
Grant-in-aid to Union Territories without Legislature for Insfrastructural Facilities for Judiciary.	2014	5.00	0.00	**5.00**
Central Sector Scheme of National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms	2014	**270.00**	**0.00**	**270.00**
Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary				
Infrastructural facilities for Judiciary for the States, *other than NER States*.	3601	455.00	0.00	455.00
Grants-in-aid to Union Territories with and without Legislature for infrastructural facilities for judiciary.	3602	75.00	0.00	75.00
Grants-in-aid to NE States including Sikkim – for infrastructure facilities.	2552	90.00	0.00	90.00
Assistance to State for setting up and operationalisation of Gram Nyayalayas	3601	5.00	0.00	5.00
Special Courts	3601	0.00	0.01	0.01
Total		**625.00**	**0.01**	**625.01**
Administration of Justice				
National Judicial Academy (NJA)	2014	0.00	20.74	20.74
National Legal Service Authority (NALSA) (Grants-in-Aid)	2014	0.00	140.00	140.00
National Legal Service Authority (NALSA)	2052	0.00	8.65	8.65
Total		**0.00**	**169.39**	**169.39**
Grand Total		**900.00**	**180.50**	**1080.50**

The details of the financial outlays, projected physical outputs and projected / budgeted outcomes, whether intermediate/ partial and final, as the case may be, are indicated in ***Annexure-IV***. The Statement showing targets *vis-à-vis* achievements in respect of Plan Schemes of Department of Justice for the year 2015-16 are indicated in ***Annexure – V***.

CHAPTER-III

PART-1

REFORM MEASURES AND POLICY INITIATIVES

1. LEGISLATIVE DEPARTMENT

Legislative Department is a service oriented Department and as such, it does not have any specific schemes which can be related to specific physical and quantifiable out-puts translating into monitorable performance parameters. However, certain initiatives narrated below have been taken by the Legislative Department.

2. INSTITUTE OF LEGISLATIVE DRAFTING AND REASEARCH (ILDR)

Legislative Drafting is a specialised job which involves drafting skill and expertise. Continuous and sustainable efforts are required to enhance the skills in drafting of laws. The existing resource persons need training and orientation to develop the aptitude and the skill in legislative drafting. In January, 1989, with a view to increasing the availability of trained Legislative Counsel in the country, the Institute of Legislative Drafting and Research (ILDR) was established as a Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice. Since its inception, ILDR has been imparting theoretical as well as practical training in Legislative Drafting. Now Dr. Mukulita Vijaywargiya is Course Director of ILDR, who also functions as the controlling officer of the Institute. The following activities have been performed by ILDR during the period 01-01-2015 till date.

2.1 During the period under report, ILDR has conducted one Basic Course, one Appreciation Course and first refresher course. The Twenty-Seventh Basic Course in Legislative Drafting was conducted from 10th July, 2015 to 9th October, 2015, the Eighteenth Appreciation Course in Legislative Drafting was conducted from 19th January, 2015 to 2nd February, 2015 and first refresher course was conducted from 20th April, 2015 to 19th May, 2015.

2.2 The Trainee Officers from the Czech Republic, El Salvador, Estonia, Ethiopia, Ghana, Hungary, Jamaica, Jordan, Indonesia, Kenya, Kazakhstan, Lesotho, Lithuania, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nigeria, Oman, Palestine, Pan African Parliament, South Africa, Swaziland, Tanzania and Ukraine were given on-the-job practical training in ILDR by attaching them with the ILS officers of this Department during the Thirtieth International Training Programme in Legislative Drafting (12th February, 2015 to 13th March, 2015) organised by Bureau of Parliamentary Studies and Training, Lok Sabha Secretariat.

2.3. On successful completion of 25 years of ILDR's existence and its remarkable service rendered to the fraternity of Legislative Counsel in the Country, Silver Jubilee function was organised on 19th February, 2015.

2.4 ILDR offers Voluntary Internship Scheme for Law Students to motivate students in creating interest in legislative drafting skills and secure knowledge about the nature and working of the Legislative Department. So far, 15 interns have successfully completed the internship during the reported period.

2.5 The RFDs for Legislative Department have been prepared, finalised and uploaded on the website of this Department. The Performance Management Division (PMD) in the Cabinet Secretariat monitors the preparation and working of RFD. The tasks as per the RFD 2014-2015 are being undertaken to achieve the goal of best performance by the Department. As part of the commitment made by the Department in RFD 2014-2015, an Action Plan to get ILDR ISO Certification was drawn up. Consequently, a Quality Management System (QMS) has been developed and put in place in ILDR. Thereafter, internal and external audits were undertaken and finally, ILDR has been awarded ISO 9001:2008 Certification on the basis of evaluation of the working of QMS in ILDR.

3. ELECTRONIC VOTING MACHINE (EVM)

The Electronic Voting Machine (EVM), the replacement of the ballot box is mainstay in the electoral process. An EVM consists of two units, namely, Control Unit (CU) and Ballot Unit (BU) with a cable (5 mtr long) for connecting the both. A Ballot Unit caters upto 16 candidates. There are number of variants available for the EVMs. Time-to-time it has evolved and has become more robust. In case of pre-2006 and post-2006 EVMs, 4 (Four) Ballot Units can be cascaded together to accommodate upto a maximum of 64 candidates (including NOTA), which can be used with one Control Unit. In case of upgraded post-2006 EVMs, 24 (Twenty Four) Ballot Units can be cascaded together catering to 384 candidates (including NOTA) which can be used with one Control Unit. It runs on a power pack (Battery) having 7.5 volts. In case of upgraded post-2006 EVM, power packs are inserted in 5th, 9th, 13th, 17th& 21st Ballot Units, if more than 4 BUs are connected to a Control Unit. On the right side of the BU along the candidates' vote button digits 1 to 16 are embossed in Braille signage for guidance of visually impaired electors. Subsequently, the Election Commission has introduced Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) with the EVMs in select assembly constituencies to take the voting experience at higher level.

All the matters, related to upgradation and disposal of EVMs, are consulted with the Technical Expert Committee (TEC) and thereafter a decision in the matter is taken. At present, the Commission

has three version of EVMs in use i.e. Pre-2006, Post-2006 and Upgraded Post-2006. The upgraded Post-2006 (Post-2013) EVMs were used in the General Elections to the House of the People, 2014.

The EVMs manufactured in the year 1989-90 are being destroyed, as the life of EVMs is about 15-years.

The details of EVMs, procured till date are as under:-

S.No.	Year of Purchase	Total EVMs	Amount Sanctioned (in Rs.)
1	1989-90	150000	750000000
2	2000-01	142631	1499880443
3	2001-02	135481	1422900000
4	2002-03	190592	2006100000
5	2003-04	336045	3530000000
6	2004-05	125681	1315400000
7	2006-07	250000	2893742332
8	2008-09	180000	1900000000
9	2009-10	100000 plus 27000 BUs	1139294685
10	2013-14	382876 BUs and 251651 CUs	3116900000
11	2015-16	-	2555780633
	TOTAL	**1610430 EVMs plus 409876 BUs plus 251651 CUs**	**22129998093**

During the year 2010-11, 2011-12, 2012-13 and 2014-15, no EVM was procured.

4. VOTER VERIFIABLE PAPER AUDIT TRAIL (VVPAT)

Voter Verifiable Paper Audit Trail is an independent system attached with the Electronic Voting Machines that allows the voters to verify that their votes are cast as intended. When a vote is cast, a slip is printed containing the serial number, name and symbol of the candidate and remains exposed through a transparent window for 7 seconds. Thereafter, this printed slip automatically gets cut and falls in sealed drop box of the VVPAT. VVPAT consists of a Printer and a VVPAT Status Display Unit

(VSDU). VVPAT runs on a power pack (Battery) of 15 volts. Control Unit and VSDU are kept with the Presiding Officer/Polling Officer and Ballot Unit and Printer are kept in the voting compartment.

The VVPATs have been used in the following elections, so far.

Sl.No.	Name of State	No. and Name of AC/PC/	Polling Station	Date of Poll	Manufacturer
During bye- election to Nagaland Legislative Assembly, 2013 VVPAT used in the following AC					
1.	Nagaland	51-Noksen (ST) AC (Bye-election)	21	4/9/2013	BEL& ECIL
During General Election to Mizoram Legislative Assembly, 2013 VVPAT used in the following ACs					
2.	Mizoram	1. 10-Aizawl North-I (ST)		25/11/2013	ECIL
		2. 11-Aizwal North-II (ST)			
		3. 12-Aizwal North-III (ST)			
		4. 13-Aizwal East-I			
		5. 14-Aizwal East-II (ST)			
		6. 15-Aizwal West-I (ST)			
		7. 16-Aizwal West-II (ST)			
		8. 17-Aizwal West-III (ST)			
		9. 18-Aizwal South-I (ST)			
		10. 19-Aizawl South-II (ST)			
During General Election to NCT of Delhi Legislative Assembly, 2013 VVPAT used in the following AC					
3.	NCT of Delhi	40-New Delhi AC		4/12/2013	BEL
During General Election to LokSabha, 2014 VVPAT used in the following PCs					
4.	Mizoram	385 Polling Stations of 1-Mizoram PC	385	11/4/ 2014	BEL
5.	Bihar	30- Patna Sahib PC	1746	17/4/2014	BEL
6.	Karnataka	26- Bangalore PC	1926	17/4/2014	BEL
7.	Chhattisgarh	8- Raipur PC	2204	24/4/2014	ECIL
8	Tamil Nadu	4- Chennai Central PC	1153	24/4/2014	BEL
9	Gujarat	6- Gandhinagar PC	1770	30/4/2014	BEL

Sl.No.	Name of State	No. and Name of AC/PC/	Polling Station	Date of Poll	Manufacturer
10.	Uttar Pradesh	35- Lucknow PC	1728	30/4/ 2014	ECIL
11.	West Bengal	22- Jadavpur PC	1959	12/5/2014	ECIL
During General Election to Maharashtra Legislative Assembly, 2014 VVPAT used in the following ACs in September-October, 2014					
12.	Maharashtra	38-Amravati AC	245	15/10/2014	ECIL
		42-Achalpur AC	290		
		47-Wardha	332		
		61-Bhandara (SC)	429		
		71-Chandrapur (SC)	336		
		78-Yavatmal	387		
		107-Aurangabad Central	258		
		108- Aurangabad West (SC)	274		
		109- Aurangabad East	250		
		123-Nashik East	313		
		124-Nashik Central	279		
		125-Nashik West	290		
		225-Ahmednagar City	259		
During General Election to Haryana Legislative Assembly, 2014 VVPAT used in the following ACs					
13	Haryana	13-Thanesar AC	161	15/10/2014	BEL
		21-Karnal AC	170		
		25-Panipat City AC	168		
		31-Sonipat AC	144		
		62-Rohtak AC	145		
		77-Gurgaon AC	171		
During General Election to Jharkhand Legislative Assembly, 2014 VVPAT used in the following ACs					
14.	Jharkhand	36-Bokaro AC	566	14/12/2014	BEL
		40-Dhanbad AC	424	14/12/2014	
		48-Jamshedpur East AC	262	2/12/2014	

Sl.No.	Name of State	No. and Name of AC/PC/	Polling Station	Date of Poll	Manufacturer
		49-Jameshdpur West AC	290	2/12/2014	
		63-Ranchi AC	364	9/12/2014	
		64-Hatiya AC	434	9/12/2014	
		65-Karke (SC) AC	388	9/12/2014	
During General Election to Jammu & Kashmir Legislative Assembly, 2014 VVPAT used in the following ACs					
15.	J&K	71-Gandhi Nagar	172	20/12/2014	BEL
		72-Jammu East	82		
		73-Jammu West	171		
During General Election to NCT of Delhi Legislative Assembly, 2015, held in January-February, VVPAT used in the following ACs					
16.	NCT of Delhi	38-Delhi Cant.	150	7/2/2015	BEL
		40-New Delhi	220		
During General Election to Legislative Assembly of Bihar, 2015, held in October-November, VVPAT used in the following ACs					
17.	BIHAR	183-Kumhrar	355		ECIL
18.		182-Bankipur	330		
19.		181-Digha	383		
20.		230-Gaya Town	227		
21.		94-Muzaffarpur	275		
22.		83-Darbhanga	258		
23.		194-Arrah	261		
24.		172-Biharsarif	331		
25.		118-Chapra	274		
26.		105-Siwan	263		
27.		156-Bhagalpur	301		BEL
28.		63-Katihar	228		
29.		62-Purnia	258		
30.		165-Munger	284		

Sl.No.	Name of State	No. and Name of AC/PC/	Polling Station	Date of Poll	Manufacturer
31.		75-Saharsa	312	Oct-Nov-2015	
32.		208-Sasaram	315		
33.		146-Begusarai	264		
34.		223-Aurangabad	273		
35.		200-Buxar	256		
36.		54-Kishanganj	238		
37.		216-Jahanabad	286		
38.		237-Nawada	303		
39.		28-Sitamarhi	244		
40.		133-Samastipur	227		
41.		48-Forbesganj	279		
42.		241-Jamul	259		
43.		36-Madhubani	281		
44.		149-Khagaria	210		
45.		101-Gopalganj	285		
46.		43-Supaul	240		
47.		73-Madhepura	272		
48.		161-Banka	238		
49.		205-Babua	257		
50.		19-Motihari	256		
51.		132-Hajipur	277		
52.		8-Bettiah	213		
During bye- election to Mizoram Legislative Assembly, 2015, VVPAT used in the following AC					
53.	Mizoram	12-Aizwal NE-III (ST)		21.11.2015	BEL

CHAPTER-III

PART-II

DEPATMENT OF JUSTICE

(Details of reform measures and policy initiatives and how they relate to the intermediate outputs and the final outcomes *inter-alia* for alternate delivery mechanisms, social and gender empowerment *etc*.)

(i) National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms

National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms was set up in August, 2011 with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities. The Mission has been pursuing a co-ordinated approach for phased liquidation of arrears and pendency in judicial administration, which, *inter-alia,* involves better infrastructure for courts including computerisation, increase in strength of subordinate judiciary, policy and legislative measures in the areas prone to excessive litigation, re-engineering of court procedure for quick disposal of cases and emphasis on human resource development. The Schemes / programmes mentioned below support the objectives of the National Mission:

(a) Computerisation of District & Subordinate Courts Being Implemented as Mission Mode Project—(eCourts) Plan eCourts Mission Mode Project Phase-I

eCourts Mission Mode Project is a national eGovernance project for ICT enablement of district/subordinate courts of the country. The objective of the project is to provide designated services to litigants, lawyers and the judiciary through ICT enablement of courts.

The eCourts project was conceptualized based on 'The National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology in the Indian Judiciary' approved by the eCommittee of the Supreme Court of India in the year 2005. In February 2007, Government approved the project for computerization of 13,348 district and subordinate courts in 2100 court complexes at a cost of Rs. 441.8 crore.

In September 2010, the Government approved revision in project cost to Rs. 935 crore and revision in the project timelines to 31st March, 2014 for computerisation of 14,249 courts. This is Phase-

I of the eCourts Mission Mode Project. More than 95% of the activities have been completed by 30th November, 2015.

eCourts Mission Mode Project Phase-II (New Scheme)

In January 2014, eCommittee of the Supreme Court approved Policy and Action Plan Document (hereafter 'Policy Document') for Phase II of the eCourts Project. The Policy Document prepared by the eCommittee of Supreme Court in consultation with all the High Courts in the country and approved by Hon'ble the Chief Justice of India envisages further enhancement of ICT enablement of Courts. The Government approved Phase II of the eCourts MMP in its meeting held on 16th July, 2015. The project has been approved for the duration of four years or until the project is completed, whichever is later, at the cost of Rs.1670 crores.

(b) Access to Justice – NE and J&K (Government of India Project)

The Project "Access to Justice – NE and J&K" is being implemented in the eight States of North-East (including Sikkim) and in Jammu & Kashmir at the total cost of Rs. 30 crore for five years for 2012-2017.

The objectives of the project are to:

- Address the legal needs of the marginalized and vulnerable sections of the society, *particularly* women, children, Scheduled Castes, Tribal communities who do not have the requisite means to ensure that their rights are guaranteed.
- Support justice delivery systems in improving their capacities to serve the people and in empowering the ordinary people to demand improved services and to access their rights and entitlements.
- Support innovative activities to enhance legal awareness of the vulnerable populations and their ability to seek redress.
- Support Legal Services Authorities in providing legal aid and legal empowerment of the marginalized in the nine project States.

PROJECT COVERAGE

The project is being steered in the following 9 States:-

1. Arunachal Pradesh

2. Assam
3. Manipur
4. Meghalaya
5. Mizoram
6. Nagaland
7. Sikkim
8. Tripura
9. Jammu & Kashmir

(c) Access to Justice for Marginalized in India" - UNDP assisted externally aided project (EAP) SAJI (Phase – II)

Project duration: **January 2013 - December 2017.**

Project States: **Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh.**

Background

The Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India has been implementing a project on 'Access to Justice for Marginalized People' with UNDP support. The first phase of the Project (2009-2012) has focused on both the demand side as well as supply side of justice, and has in this endeavour promoted interventions at both the grassroots and at the policy level, across a range of stakeholders. The Project reached out to 2 million people, provided trainings to 7,000 para-legals and young lawyers, created simplified information, education and communication materials. With the support of UNDP a new phase of the Project has been initiated for a period of 5 years (2013-17). In this phase, the project is trying to build on the results achieved in the previous phase.

The Project is working with other institutions including National Literacy Mission Authority (NLMA), State Institute of Rural Development (SIRD), Law Schools and NGOs with a view to forge synergies, avoid duplication of efforts and maximize impact. The Project is also providing embedded technical support to the National Mission with a view to assist the Department of Justice in achieving the goals of the Mission.

Project Objectives (2013-2017):

1. Legal Services Authorities provided with trained panel lawyers and trained para-legals.
2. Analysis and assessment of select policy frameworks completed for National Mission on Justice Delivery and Legal Reforms. Enhance legal awareness of people belonging to marginalized groups.
3. Legal literacy strategy and content implemented through Sakshar Bharat, SIRDs and law schools.
4. Fresh evidence gathered for improving effectiveness of existing Fast Track Courts and Judicial training.

Project Output – 2015-16

- ✓ Department of Justice has signed Memorandum of Understanding (MOU) with National Literacy Mission Authority (NLMA) for mainstreaming of legal literacy. In coordination with NLMA and State Resource Centre Jaipur and Lucknow Access to Justice Project is going to train 200 Resource Persons and 600 Preraks.
- ✓ Pilot project commenced on legal awareness in Barabanki district with SIRD-UP.
- ✓ Legal aid clinics set up in Odisha and Maharashtra through National Law University, Odisha (NLUO) and Tata Institute of Social Sciences (TISS) respectively for marginalised persons.
- ✓ Voice based legal information kiosks established in Chhattisgarh and Jharkhand.
- ✓ The project has reached out to 34,314 persons through various community level initiatives in Chhattisgarh and Jharkhand.
- ✓ Study completed on women friendly courts.

(d) Action Research and Studies on Judicial Reforms

A Plan Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms is being implemented by the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. Under the Scheme, financial assistance is being extended for undertaking action research / evaluation / monitoring studies, organising seminars /

conferences / workshops, capacity building for research and monitoring activities, publication of report / material, promotion of innovative programmes / activities in the areas of Justice Delivery, Legal Research and Judicial Reforms. The eligible implementing authorities for the Scheme are Indian Institute of Public Administration (IIPA), Administrative Staff College of India (ASCI), Indian Institute(s) of Management (IIMs), Indian Law Institute (ILI), National Law Universities (NLUs), National Council of Applied Economic Research (NCAER), National Judicial Academy (NJA), State Judicial Academies (SJAs) and other reputed institutions working in the field of justice delivery, legal education and research and judicial reforms. Fourteen research proposals / projects have so far been approved under the Scheme.

(ii) Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary

The Central Government augments the resources of the State Governments by releasing financial assistance under a Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of judicial infrastructure. Until 2011, the Central and State Governments used to contribute an equal share under the scheme but from 2011-12 onwards the fund-sharing pattern was revised with the Central Government contributing 75% of the funds. In case of States in the North-Eastern States, the Central Government provides 90% of the funding. Central funding is, however, subject to budgetary allocation for the Scheme. Fund sharing pattern of the Scheme has now been revised from 75:25 to 60:40 (Centre: State) (90:10 for the 8 North-Eastern and 3 Himalayan States) with effect from 2015-16.

Gram Nyayalayas

Gram Nyayalayas Act, 2008 was enacted to establish Gram Nyayalayas at the grass root level for the purposes of providing access to justice to the citizens at their doorsteps. The Act came into force on 2nd October, 2009. To encourage the States, the financial assistance is provided for non-recurring expenses for setting up of Gram Nyayalayas, and for meeting the cost of recurring expenditure towards running these Gram Nyayalayas for the first three years. The recurring and non-recurring assistance is subject to financial ceilings as provided in the guidelines of the scheme.

(iii) Legal Aid (National Legal Service Authority) (NALSA) (Non-Plan):

National Legal Service Authority (NALSA) lays down policies, principles, guidelines and frames effective and economical schemes for the State Legal Services Authorities to implement the Legal Services Programmes throughout the country.

The State Legal Services Authorities, District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees, *etc.* have been asked to discharge the following main functions on regular basis:

(I) To provide Free and Competent Legal Services to the eligible persons;

(II) To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes; and

(III) To organize legal awareness camps in the rural areas.

(iv) Family Courts

The Family Courts Act, 1984 provides for establishment of Family Courts by the State Governments in consultation with the High Courts with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs as well as the matters connected therewith. The States have been asked to consider setting-up at least one Family Court in each district. As per the information available 438 Family Courts are functional in the country. A statement in this regard is enclosed as per **Annexure-VI**. In 2014-15, an amount of Rs. 3.75 crore was released to the State Government of Uttar Pradesh and Rs. 1.00 crore to the State Government of Chhattisgarh as non-plan assistance. During 2015-16, an amount of Rs 3.10 crore has been released to the State Government of Bihar as on 31/12/2015.

***

CHAPTER – IV

REVIEW OF PAST PERFORMANCE

Review of past performance including performance for 2014-2015 and for first three quarters of the current financial year 2015-16, in terms of target already set. Analysis of physical performance with reasons for variation and scope and objectives of individual programmes giving their physical targets and achievements.

(i) National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms

National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms has been set up with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities. Nine meetings of the Advisory Council of National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms have so far been convened. The Advisory Council has made a number of recommendations in the area of judicial and legal reforms so as to improve justice delivery system and reduce pendency of cases in courts. These recommendations are at various stages of implementation.

A number of steps have been taken by National Mission for judicial reforms which *inter-alia* include better judicial infrastructure facilities including computerisation of courts, reforms in the court processes, legislative changes in the areas prone to excessive litigation, policy initiatives for reducing Government litigation, emphasis on better training and manpower planning for judicial officers and bar reforms for proper professional conduct by the advocates. On account of concerted efforts made by all stakeholders, the increasing trend of pendency of cases in various courts across the country has been checked.

Shortage of judicial officers / judges in district and subordinate courts is one of the main causes for backlog and pendency of cases in courts. The National Mission has regularly pursued this matter with the State Governments and the High Courts. As a result of the concerted efforts of all the stakeholders, the sanctioned strength of judicial officers / judges in district and subordinate courts has increased from 17,715 at the end of 2012 to 20,358 in June, 2015. The mission is now pursuing the matter with the High Courts for filling up the existing vacancies. The Schemes / programmes mentioned below support the objectives of the National Mission:

(a) Computerisation of District & Subordinate Courts in the States and Union Territories (Plan)

(i) In February 2007, Government approved the implementation of a scheme for the computerization of all District and Subordinate Courts of the country, based on the National Policy & action Plan proposed by the E-Committee of The Supreme Court of India. The first phase of the scheme is currently under implementation. The project cost was revised to Rs 935 crore, with timelines revised to March 2014 for computerization of 14,249 district & subordinate courts (12000 courts by March 2012 and 2249 courts by March 2015).

(ii) As on 31st December, 2015, of the total target of 14,249 District and Subordinate courts to be computerized, sites for all 14,249 courts (100%) have been made ready for computerization, out of which LAN has been installed at 13,643 courts (95.75%), hardware at 13,436 courts (94.3%) and software at 13,672 courts (95%).

In addition to above, ICT infrastructure of the Supreme Court and High Court has also been upgraded. Progress on other activities of the project till 31st December, 2015 is as given below:

i. ICT infrastructure of the Supreme Court and High Court upgraded

ii. Laptops provided to 14,309 judicial officers.

iii. **Service Delivery & NJDG**: The national e-Courts portal (http://www.ecourts.gov.in) provides online services to litigants such as details of case registration, cause list, case status, daily orders, and final judgments. Currently, litigants can access case status information in respect of over 5.6 crore pending and decided cases and more than 2 crore orders/judgments pertaining to district and subordinate Courts. Litigants and lawyers are also provided services through Judicial Service Centre at the court complexes such as Case Filing, Certified copies of orders and judgments, Case status etc. The statistical information provided by the portal can be used for judicial monitoring and management.

iv. **Change Management and Training**: Change Management exercise has been completed in all the High Courts. Over 14,000 Judicial Officers have been trained in the use of UBUNTU-Linux OS and more than 4000 court staff have been trained in Case Information System (CIS) as System Administrators.

v. **Process Re-engineering (PR)**: eCommittee has taken up the activity, PR Committees have been set up in all High Courts to study and suggest modifications in existing rules, processes, procedures and forms. The High Courts have submitted PR reports and the Law Commission has been requested to study the reports and submit its recommendations. The eCommittee is also undertaking a study of PR through retired High Court Judges.

vi. **Video Conferencing (VC) facilities in courts and jails** - VC has been piloted in five districts under the supervision of eCommittee. Based on the experience of pilots, it was decided in consultation with the eCommittee of Supreme Court of India to provide VC facilities for 488 Court complexes and 342 jails out of which equipment has been delivered at 667 locations. Apart from VC facilities being provided under the eCourts Project, some States have implemented VC in courts from their own resources also.

The Government approved Phase II of the eCourts MMP in its meeting held on 16th July, 2015. The project has been approved for the duration of four years or until the project is completed, whichever is later, at the cost of Rs.1670 crores. The phase-II of the Project involves further enhancement of ICT enablement of Courts with the broad objective of

(i) Computerisation of around 5751 new courts

(ii) Enhanced ICT enablement of existing 14,249 computerised courts with additional hardware.

(iii) Connecting all courts in the country to the NJDG through WAN and additional redundant connectivity, equipped for eventual integration with the proposed interoperable criminal justice system (ICJS).

(iv) Citizen centric facilities such as Centralised Filing Centres and touch screen based Kiosks in each Court Complex.

(v) Provision of laptops, printers, UPS and connectivity to Judicial Officers not covered under Phase I and replacement of obsolete hardware provided to Judicial Officers under Phase I.

(vi) Installation of Video Conferencing facility at 2500 remaining Court Complexes and 800 remaining jails.

(vii) Computerisation of SJAs, DLSAs and TLSCs.

(viii) Creating a robust Court Management System through digitisation, document management, Judicial Knowledge Management and learning tools management.

(ix) Installation of Cloud network and solar energy resource at Court Complexes.

(x) Facilitating improved performance of courts through change management and process re-engineering as well as improvement in process servicing through hand-held devices.

(xi) Enhanced ICT enablement through e-filing, e-Payment and use of mobile applications.

(xii) Citizen centric service delivery.

(b) Access to Justice (NE & JK) – Government of India Project

Initiatives under the A2J (NE&JK) project:

1. **Established 46 Legal Aid Clinics in two most backward districts of Nagaland -Tuensang and Mon:** Nagaland State Legal Services Authority has successfully established and running 46 Legal Aid Clinics (LACs) in the most interior and remote districts of Nagaland - Tuensang and Mon. Both the districts are inhabited by Scheduled Tribes. Legal Aid Clinic will provide legal awareness to all weaker sections with special reference to Women, Schedule Tribes and Workers in the unorganized sector *etc*. Further, as a Free Legal Support Centre, it will assist in settling community disputes through Mediation / Lok-Adalats *etc*., train the members of customary judicial bodies such as Village Councils / Gaon Buras / DBs on principles of natural justice, create local resources by training law students, panel lawyers, para legal volunteers and NGOs. Duration of the Project is 2 years. It will impact a population of approximately 4,50,000 people living in 242 villages.

2. **Needs Assessment Study to Identify Gaps in the Legal Empowerment of People:** This study was conducted by Impulse NGO Network based in Shillong, Meghalaya. It is a field based study to identify the gaps in the legal empowerment of people *particularly* those that are poor, marginalised and vulnerable, and therefore do not have the means to ensure that their rights are guaranteed. It also aims to identify the obstacles and gaps in their legal empowerment which hinder access to justice, and to assess supporting justice delivery systems with a view to improving their capacities to serve the people and to assist in the development of an effective programme for the legal empowerment of poor and vulnerable communities.

3. **Training of Para Legal Volunteers (PLVs) of State Legal Services Authorities on Social Welfare Legislations in Eight North Eastern States:** This activity was being undertaken by Committee for Legal Aid to Poor (CLAP), a civil society organisation based in Odisha. CLAP had

successfully trained 400 PLVs from Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim and Nagaland (50 from each State). The issues which were covered under training were-various Central and State social welfare legislations, schemes, programmes, judicial processes, role of State Legal Services Authority, legal aid among others. The first phase of training was held between May 2014 to July 2014. In the second phase, the refresher training was organized between December 2014 to February 2015. It has benefitted 400 PLVs in the eight North Eastern States.

4. **Needs Assessment Study in Jammu and Kashmir:** This Study is being conducted by University of Kashmir to identify gaps in the legal empowerment of people of the State. As the first deliverable, *Pilot Study report* on the project Titled "*Needs Assessment Study to identify Gaps in the Legal Empowerment of People in the State of Jammu and Kashmir*" has been submitted by the University. The study is in the final phase.

5. **Supporting Legal Aid Clinics in Jammu and Kashmir:** The project is also supporting legal aid clinic established by University of Kashmir. University has already finished work on this project. Several deliverables have been completed such as 8 kits have been prepared on different pro poor laws. Others are in the last phase of completion like 2 research projects and legal literacy camps *etc*.

6. **Rendering Manpower support to SLSAs through appointment of a Project Team in the Nine States:** A team of two professionals (Project Coordinator and Project Assistant) has been proposed in all the nine project States to coordinate the activities of Access to Justice (NE&JK) project at the States level and support the State Legal Services Authority. The recruitments have been completed for all the States *except* J&K (PC & PA), Meghalaya (PC & PA) & Mizoram (only PC).

7. **Upcoming Programs: Following activites will be undertaken in the near future in the project:**

   i. Legal literacy activities through SRCs of North East States as well as Jammu & Kashmir.

   ii. Capacity building of Protection Officers in selected districts of Arunachal Pradesh by Department of Women & Child Development, Arunachal Pradesh.

   iii. Legal literacy *through* law students in collaboration with Prasar Bharti, Tripura.

   iv. *Training of Law Colleges, Lawyers and Civil Society on Legal Aid by Department of Law, North East Hill Univeristy(NEHU), Shillong.*

   v.

(c) "Access to Justice for Marginalized in India" - UNDP assisted externally aided project

In this phase (2013-17), the Project is building upon achievements of previous phase and continues to work on creation of demand for justice and ensuring its supply. The focus of the Access to Justice Project is on empowering the poor and marginalized to be aware of their rights and demand legal services, while at the same time supporting national and local justice delivery institutions to bring justice to the poor.

Present Activities (2015-16):

1. Incorporation of Legal literacy into National Literacy Mission Authority (NLMA)

The Department of Justice (DoJ), Ministry of Law and Justice, Government of India and National Literacy Mission Authority (NLMA) have signed a MoU for mainstreaming of legal literacy initiatives on 2nd June 2015.

2. Legal literacy campaign in Barabanki, Uttar Pradesh:

Department of Justice executed an MOA with State Institute of Rural Development (SIRD) to initiate a Legal Literacy Campaign in 10 blocks of Barabanki district of Uttar Pradesh.

3. Establishment of Voice Based Legal Information Kiosks:

50 voice based legal information kiosks installed in various District Legal Services Authorities (DLSAs) across Chhattisgarh and Jharkhand to provide legal information and raise legal awareness of the masses.

4. Support for innovative legal empowerment initiatives

Project activities have been initiated with four agencies *namely* AID India, Antodaya and BGVS. These agencies are conducting legal aid and legal empowerment initiatives in three Project States - Jharkhand, Odisha and Madhya Pradesh.

5. Setting up law school based legal aid clinics

Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai and National Law University (NLU), Odisha established campus and community based legal aid clinics to facilitate marginalized sections in accessing justice.

6. MOA with e-Governance Services India Ltd.

DoJ has signed MoA with Common Services Centers (CSCs) e-Governance Services India Limited. This initiative focuses on mainstreaming of legal literacy through 500 Common Services Centers (CSCs) in Rajasthan.

7. Establishing Helpdesks for Juveniles in Observation Homes in Maharashtra

With support of Access to Justice Project, Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai has established helpdesks in Observation Homes in Maharashtra to provide socio-legal guidance to those faced with the juvenile justice system.

8. Short films on Protection of Children Against Sexual Offences Act (POCSO)

Based on request of National Judicial Academy (NJA) Access to Justice Project is developing two short films on Protection of Children Against Sexual Offences Act (POCSO).

9. Research and Study

Partners for Law in Development (PLD) conducted a study on "*Making Court Room Procedures Friendly to Women: Study of the Trial Courts of New Delhi*".

(d) Action Research and Studies on Judicial Reforms:

A Plan Scheme for Action Research and Studies on Judicial Reforms was formulated by the Department of Justice in September, 2013 with approval of Standing Finance Committee (SFC). The Department of Justice circulated the Scheme to all implementing agencies and invited proposals. Three meetings of the Project Sanctioning Committee were held on 26th August, 2014, 28th January, 2015 and 21st December, 2015. Out of the twenty two proposals placed before the PSC in its meetings, fourteen proposals were approved.

(ii) Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure Facilities for the Judiciary

The Centrally Sponsored Scheme (CSS) relating to development of infrastructural facilities for the judiciary is being implemented by the Department of Justice since 1993-1994. The scheme was revised in 2011 and includes construction of court buildings and residential accommodation for Judges / Judicial Officers covering Subordinate Courts. One of the main conditions of the scheme is that the State Government must come forward with their prescribed share to the amount released by the Central

Government. However, the State Governments are free to utilize additional funds from their own resources.

As of 31st December, 2015, the Central Government has released an amount of Rs.3,674 crore to the State Governments and UT administrations under the revised funding pattern effective from 2011-12. This represents a significant increase over the sum of Rs.1,245 crore that was provided by the Central Government in the initial phase of the scheme from 1993-2011. As the present scheme is expected to continue till the end of current plan period (March, 2017), it is expected that substantial addition to judicial infrastructure will take place at the subordinate court level during this period. 15,558 Court Halls are available for Subordinate Judiciary as on 31.03.2015 against the working strength of 15,360 judicial officers. 2,679 Court Halls are under construction as on 31.03.2015. 10,843 Residential Units are available for Subordinate Judiciary and 1,712 under construction as on 31.03.2015.

Gram Nyayalayas:

The Gram Nyayalayas Act, 2008 envisages setting up of Gram Nyayayalays at intermediate panchayat level in the States / UTs to which the Act extends. So far, 10 States have notified 194 Gram Nyayalayas. Of them, 160 have started functioning in the States of Madhya Pradesh (89), Rajasthan (45), Maharashtra (10), Orissa (13), Haryana (2) and Punjab (1). Rs. 3,749.00 lakhs have been released so far to these States under Gram Nyayalayas Scheme. Recently information has been received about establishment of 92 additional Gram Nyayalays in the State of Uttar Pradesh. However, a copy of notification constituting these additional Gram Nyayalyas is awaited.

The issues affecting the implementation of the Gram Nyayalayas scheme were discussed in the Conference of Chief Justices of High Courts and Chief Ministers of the States on 7th April, 2013. It has, *inter-alia*, been decided in the Conference that the State Governments and High Courts should decide the question of establishment of Gram Nyayalayas wherever feasible, taking into account their local problems. The focus is on covering those Talukas under the Gram Nyayalayas scheme where regular courts have not been set up.

(iii) Legal Aid (National Legal Service Authority) (NALSA) (Non-Plan):

1. The Ministry of Law and Justice has been sanctioning grants-in-aid to NALSA. Out of the Budget Estimates of Rs.120 crores for the current financial year 2015-16, a grant of Rs. 67.97 Crore has been released to NALSA after making adjustment of the unspent grant of about Rs.52 crores.

2. During the period from 1st April, 2015 to 30th September, 2015, 81,962 Lok Adalats were organized. These Lok Adalats settled more than 28.40 lakh cases. In about 53,049 Motor Vehicle Accident Claim Cases, compensation to the tune of Rs.1017.86 Crore has been awarded.

3. **MONTHLY NATIONAL LOK ADALAT**:

S. No.	Date	Subject	Total Disposal (pre + post litigation stage)	Settlement Amount (Rs. in crores)
1.	11.04.2015	Labour & Family	5,31,872	366.04
2.	09.05.2015 & 13.06.2015	MACT and Insurance Claims	3,18,724	951.55
3.	11.07.2015	Electricity / Water / Telephone / Public Utility dispute	8,68,254	553.60
4.	08.08.2015	Bank Matters & U/s 138 NI Act, Recovery Suits etc.	3,53,167	1,499.42
5.	12.09.2015	Criminal Compoundable matters	5,71,714	416.12
6.	10.10.2015	Traffic, Petty matters, Municipal matters	16,39,229	362.94
7.	12.12.2015	National Lok Adalat relating to all types of cases.	93,04,824	4,497.39
Grand Total			**1,35,87,784**	**8,647.06**

(iv) Family Courts:

The financial assistance for Family Courts was started in 2002-03. A grant of Rs. 10 lakh per court was being provided for construction of the building of Family Court on the basis of the notification issued by the State Government to establish a new Family Court till 11th Plan. It has been decided to converge the Family Courts with the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for infrastructure facilities.

In 2014-15, an amount of Rs. 3.75 crore was released to the State Government of Uttar Pradesh and Rs. 1.00 crore to the State Government of Chhattisgarh as non plan assistance. During 2015-16, an amount of Rs. 3.10 crore has been released to the State Government of Bihar as on 31/12/2015.

****

CHAPTER - V

FINANCIAL REVIEW AND TRENDS OF EXPENDITURE

DEPARTMENT OF JUSTICE

The financial review (scheme-wise) covering overall trends in expenditure vis-à-vis the Budget Estimates/Revised Estimates is indicated in the statement at **Annexure-VII.**

(Rs. in crore)

S. No.	Name of the Plan Scheme	BE 2015-16	RE 2015-16	Expenditure upto 31.01.2016
1.	Grants-in-aid to State Governments-Major Head 3601-Minor Head 04.891-Administrative of Justice-40-Grants to Centrally Sponsored Scheme (CSS)-01-Grants to States other than NE States for infrastructure facilities for judiciary.	443.69	443.69	500.00
2.	Grants-in-aid to UT Governments (with and without Legislature)- Major Head 3602-Major Head 4.891-Administration of Justice-40 Grants to Centrally Sponsored Scheme(CSS)-01-Grants for infrastructure facilities for judiciary.	63.00	63.00	60.41
3.	Grants in aid to NE States-Major Head 2552 for infrastructure facilities.	80.66	80.66	0.00
4.	Assistance to States for Estabilishing Gram Nyayalayas Major Head 2014.	0.01	0.01	0.00
5.	National Mission for Justice and Legal Reforms	212.29	210.72	195.85
6.	Access to Justice-Externally aided	5.00	6.57	0.00
7.	Computerisation fo Districts and Subordinate Courts (eCourts Phase I)	2.00	2.00	2.00
	Grand Total	**806.65**	**806.65**	**758.26**

The Department of Justice releases grants to the State/UTs for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary on the 60:40 share pattern. The grant, under the Scheme for NE States, is provided on 90:10 basis.

****

CHAPTER-VI

REVIEW OF PERFORMANCE OF STATUTORY AND AUTONOMOUS BODIES

Department of Legal Affairs has been sanctioning Grants-in-aid to certain institutions engaged in research work in the field of law, to promote studies and research in the matters of Law. The performance of such bodies is discussed hereunder:

1. INDIAN LAW INSTITUTE (ILI)

(a) **Indian Law Institute** (ILI) is a Premier Legal Research Institute founded in 1956 with the objectives to cultivate the science of Law, to promote advanced studies in legal research with a view to relating law with socio-economic development and needs of the people, to ensure systematization of law, to encourage and conduct investigation in legal education system and to publish studies in the form of books and periodicals. Hon'ble Chief Justice of India is the Ex-officio President of the Institute. The Institute has been granted Deemed University Status in 2004 vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No. F.9-9/2001-U.3 dated 29.10.2004

(b) **Academic Programmes:** After the declaration of Deemed University in the year 2004, the institute launched research oriented LL.M. programme. The admission in LLM programme is strictly on merit in Common Admission Test (CAT) conducting every year and Interview. Presently the following programmes are conducted by the institute:

Programme(s)	Students Enrolled in academic session 2015-16
LL.M.- 1 Year (Full Time)	26
LL.M.- 2 Year (Full Time)	36
P G Diploma Courses (Alternative Dispute Resolution, Corporate Laws and Management, Cyber Law and Intellectual Property Rights Laws)	260
Ph.D in Law	03
Total No. of Students	325

- The Institute has a Ph.D. programme. There are 27 scholars enrolled as on date.

- The Institute also conducts on line e learning certificate courses on IPR and Cyber Law of three months duration. The Online Cyber Law Course batch No. 20, 21 & 22 was completed and Batch of 31, 32 & 33 of Online IPR Course was completed**.**

(c) Research Publication Released: The following research publication has been released by the ILI during period of report:

- *Journal of the Indian Law Institute* (JILI). It has been publishing the quarterly and contains research articles on topics of current International Importance.

- *ILI Newsletter.* It has been published quarterly and contains details of the activities undertaken by the Institute during the quarter and the forthcoming activities.

- *Digitization of Documents*. The ILI digitized more than 2.5 lakh pages of the ILI publication and rare documents and available in DVD form.

(d) Activities in ILI (Seminar/conference/training/workshop/visits/special lectures)

- The Indian Law Institute along with Faculty of Law, Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University (SGT) University, Gurgaon and Centre for Child and the Law, National Law School of India University, Bengaluru organised a National Consultation Conference on The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2014 (revised) on May 15, 2015.

- The Indian Law Institute in collaboration with O.P Jindal Global University (Law School) organised One Day Seminar and Training Programme on, Torture, International Law and Human Rights on June 8, 2015 at the Indian Law Institute. Hon'ble Mr. Justice Arjan Kumar Sikri, Judge Supreme Court of India was the Chief Guest and delivered the inaugural address.

- The Indian Law Institute organized a half day study programme for the Delegation from Royal Government of Bhutan on June 18, 2015 on, "Law of Treaties, Ratification Procedure and Best Practices in India".

- The Indian Law Institute along with Faculty of Law, Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University (SGT) University and University School of Law and Legal Studies (GGSIP) University jointly organised a faculty development programme on "Legal Research and Methodology" on 19-20 June, 2015 at GGSIP University, Dwarka, New Delhi.

- The Indian Law Institute in collaboration National Human Rights Commission have organised the following Training Programmes in this year:

Session I- Two-Days Programme for Judicial Officers On Human Rights: Issues And Challenges on October 3-4, 2015. **Session II**- Two Day Training Programme for Police Personnel On Police And Human Rights: Issues And Challenges on November 7 & 8, 2015. **Session III-** Two-Days ProgrammeFor Prison Officials On Human Rights: Issues And Challenges on December 12 & 13, 2015.

- As approved by the Academic Council, the All India Common Admission Test (CLAT) for admission to the LL.M. Programmes was conducted on June 13, 2015 at ILI, New Delhi. 475 candidates appeared for LL.M. – One Year and Two Year programmes. The merit list of candidates shortlisted for interview/ viva was notified on June 22, 2015 as per the approved schedule.

(e) Research Projects:

- The National Investigation Agency (NIA) Ministry of Home Affairs, Govt of India has entrusted a project to prepare a "compendium of Terrorism Related cases and to draft a model investigation and procedural manual". The work is under progress.

- The project on "Meaning and status of pendency in Allahabad High Court and Calcutta High Court" entrusted by Department of Justice, Ministry of Law and Justice is under process.

- The CBI Academy Ghaziabad has entrusted a project for the Development of a module on" Primacy of Rule of Law" to be introduced in the training modules for the officers of the CBI and other law enforcement agencies.

- Restatement of Indian Law: Hon'ble Chief Justice of India, President of ILI has constituted the "Restatement of Indian Law Committees" on Direct-Indirect Taxes, Constitutional law and Criminal law.

- The Ministry of Panchayati Raj (MoPR), has entrusted a project to the Indian Law Institute on "*A Study on Case laws Relating to Panchayati Raj in Supreme Court and Different High Courts*". The study is under progress.

2. INSTITUTE OF CONSTITUTIONAL AND PARLIAMENTARY STUDIES (ICPS):

(a) The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies (ICPS) is an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860. The Institute was set up on 10th December, 1956, with aim to promote and provide for Constitutional and Parliamentary Studies with special reference to the evolution and working of the Indian Constitution in all aspects.

(b) Diploma Courses

Institute offers Parliamentary Fellowship Programme and two diploma courses, one in Constitutional Law and another in Parliamentary Institutions and Procedures. The three courses offered by the Institute are post-graduate part-time courses and are an annual feature. Classes for the three courses are held in the evening at the Institute's premises. Since Institute does not have its own faculty, therefore, guest faculty is hired from outside to deliver lectures for the three courses. Admissions to the three courses for the current academic year 2015-16 were held in the June-July 2015 and a total of 50 students have been enrolled for the three courses. Subsequent to an Induction Programme organised during last week of July 2015 for the benefit of the students, classes for the courses are being held since Aug 24, 2015.

3. THE INTERNATIONAL CENTRE FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ICADR):

The International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) was registered under the Societies Registration Act, 1860 on 31st May, 1995. It is an autonomous organisation working under the aegis of the Ministry of Law & Justice, Govt. of India, with its Headquarter at New Delhi and Regional Centres at Hyderabad and Bengaluru. It has been established to promote, popularise and propagate alternative dispute resolution methods to facilitate early resolution of disputes and to reduce the burden of arrears in Courts.

(a) Arbitration Cases

The Centre at New Delhi has so far received 48 cases for arbitration including 3 International cases and 4 cases for conciliation. The Arbitral Tribunals have disposed of 41 arbitration cases and hearings in remaining 7 cases are in progress. All four Conciliation cases have been disposed off.

ICADR continues to receive several requests from Departments of the Government/PSU's for appointment of arbitrators in cases where they are parties. The ICADR has been furnishing panels of arbitrators to the Government/PSU's of India for appointment of arbitrators.

(b) Conferences/Seminars/Workshops/Training Programmes/Diploma Courses

The ICADR has organized 2 International Level Conferences on 28th November, 2015 in Lucknow and on 6th December, 2015 in New Delhi.

Besides, these two Conferences, ICADR has also organized 4 Training Programmes in Mediation and Arbitration and 4 Workshops on ADR and continues with its PG Diploma Courses in ADR (2015) and FDR (2015) during the above mentioned period. ICADR

(c) Agreements: The ICADR has Cooperation Agreements with the following Foreign Organisations:-

(A) The Arbitration and Mediation Centre of the World Intellectual Property Organisation of Geneva.

(B) The Thai Arbitration Institute Bangkok

(C) The Korean Commercial Arbitration Board, Seoul, (Korea)

(D) The Chartered Institute of Arbitrators, London

(E) The Association of Arbitration Courts of Uzbekistan and

(F) The Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA).

The said Agreements cover three areas, namely, mutual exchange of information, mutual assistance in the conduct of proceedings and mutual assistance in organising training and other activities.

- **International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) has also entered into a Memorandum of Co-operation (MOC) with the following organisations:-**

(i) International Council of Consultants (ICC) and Construction Industry Development Council (CIDC) to jointly work in collaboration with Singapore International Arbitration Centre towards strengthening the ADR movement.

(ii) India CIS Chamber of Commerce and Industry, New Delhi mainly to popularize arbitration and mediation as means of settling disputes arising out of international and domestic commercial transactions.

- **International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) has also entered into a Memorandum of Understanding (MOU) with the following organisations:-**

(i) National Academy of Legal Studies and Research University (NALSAR), Hyderabad, to jointly conduct P. G. Diploma Courses in Alternative Dispute Resolution, Family Dispute Resolution, both on regular basis and through proximate education and for conducting Training Programmes in Arbitration.

(ii) National Law University, Delhi to jointly conduct P. G. Diploma Courses in Alternative Dispute Resolution, Family Dispute Resolution, both on regular basis and through proximate education and for conducting Training Programmes in Arbitration and Mediation.

(iii) Alternative Dispute Resolution Centre, Kochi, Kerala for promoting ADR in Kerala and jointly organising training Programmes/Seminars/Conferences on Mediation and Arbitration and also undertaking Research Studies in the field of ADR.

(iv) DamodaramSanjivayya National Law University (DSNLU), Visakhapatnam. Under this MOU, DSNLU will be conducting P.G. Diploma in ADR (Regular Course) at Vishakapatnam in collaboration with ICADR.

(v) Jindal Global Law School, O.P. Jindal Global University, Sonipat, Haryana, India to jointly promote the learning and teaching of ADR methods and research therein by developing new Courses and organising various Workshops, Seminars, Conferences, Training Programmes etc. in the field of ADR.

LEGISLATIVE DEPARTMENT

The Legislative Department does not have any statutory or Autonomous Body under its control.

DEPARTMENT OF JUSTICE

I. NATIONAL JUDICIAL ACADEMY (NJA) BHOPAL

The Department of Justice provides grant-in-aid to the autonomous body under its control, *namely*, the National Judicial Academy (NJA). It is a registered Society under the Societies Registration Act. It has been established with effect from 17th August, 1993. The affairs of the Academy are managed by a Governing Council, which is chaired by the Hon'ble Chief Justice of India.

The core objectives of the said society have been to foster development of National Judiciary in the country and to strengthen administration of Justice through judicial education, research and policy formulation.

The Academy is fully funded by the Government of India. For the year 2016-17, the Academy has requested for Rs.20.74 crore at BE stage. Continuing the tradition of previous years and realizing the present needs of the judicial system, NJA proposes to pursue three types of judicial education activities for the Academic year 2016-17. These are (i) Judicial Trainings; (ii) Research Activities; and (iii) Faculty Development Activities.

II. NATIONAL LEGAL SERVICE AUTHORITY (NALSA):

The National Legal Services Authority (NALSA) has been constituted under the Legal Services Authorities Act, 1987 (hereinafter referred as 'Act') to monitor and evaluate the implementation of legal services programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act. Supreme Court Legal Services Committee has been constituted to administer and implement the legal services programme in so far as it relates to the Supreme Court of India. In every State, a State Legal Services Authority (SLSA) and in every High Court, a High Court Legal Services Committee has been constituted. District Legal Services Authorities, Taluk Legal Services Committees have been constituted in the Districts and most of the Taluks to give effect to the policies and directions of the NALSA and to provide free legal services to the people and conduct Lok Adalats in the State.

FUNCTIONING OF NALSA & STATE LEGAL SERVICES AUTHORITIES

Legal services to the poor and disadvantaged people have in the past often been guided by charitable and philanthropic concerns. In a rights based society, however, the philosophy of legal aid has acquired a new meaning. With emphasis on the concept of equality of all human beings, increasingly drawn from the universal principles of Human Rights, free legal aid to the poor and marginalised members of the society is now viewed as a tool to empower such people to use the power of the law to

advance their rights and interests as citizens and also as, economic actors. This paradigm shift in the concept of legal aid achieves greater importance when India is viewed as a growing economic power.

Accordingly, the functions of the Legal Services Authorities enumerated in Sections 4, 7, 10 & 11-B of the Act are intended to make the Legal Services Institutions self-developing, innovative and pro-active institutions designed to reach out to the weaker-sections of the society. The Act also takes into account the constraints and limitations of the executive and judicial functionaries and envisages enlisting the support of voluntary social welfare institutions.

Following are the broad functions of the Legal Services Institutions as mandated by the Act:

(i) Providing free and competent legal services, including legal aid and advice to the eligible categories of persons;

(ii) Taking appropriate measures for spreading legal literacy and legal awareness amongst the people and, in particular, to educate weaker sections of the society about the rights, benefits and privileges guaranteed by social welfare legislations and other enactments as well as administrative programmes and measures;

(iii) Conducting Lok Adalats;

(iv) Encouraging settlement of disputes by other ADR mechanisms;

(v) Undertaking strategic and preventive legal services programmes;

(vi) Developing programmes for clinical legal education and to establish and supervise working of legal services clinics in universities, law colleges and other institutions.

(vii) Taking necessary steps by way of social justice litigation in matters of special concern to the weaker sections of the society.

NALSA as the Central Authority under the Act is mandated to lay down policies and principles and to frame effective and economical schemes for making legal services available under the provisions of the Act. It is also required to co-ordinate and monitor the functioning of all legal services institutions and other voluntary organizations associated with its programmes. NALSA provides grants-in-aid to State Legal Services Authorities and voluntary social service institutions out of the National Legal Aid Fund placed at its disposal and are responsible for monitoring its utilization for the implementation of legal services programmes.

*****

ANNEXURE-I

See Chapter-1 Para-3

ORGANISATION CHART OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS AS ON 01.02.2016

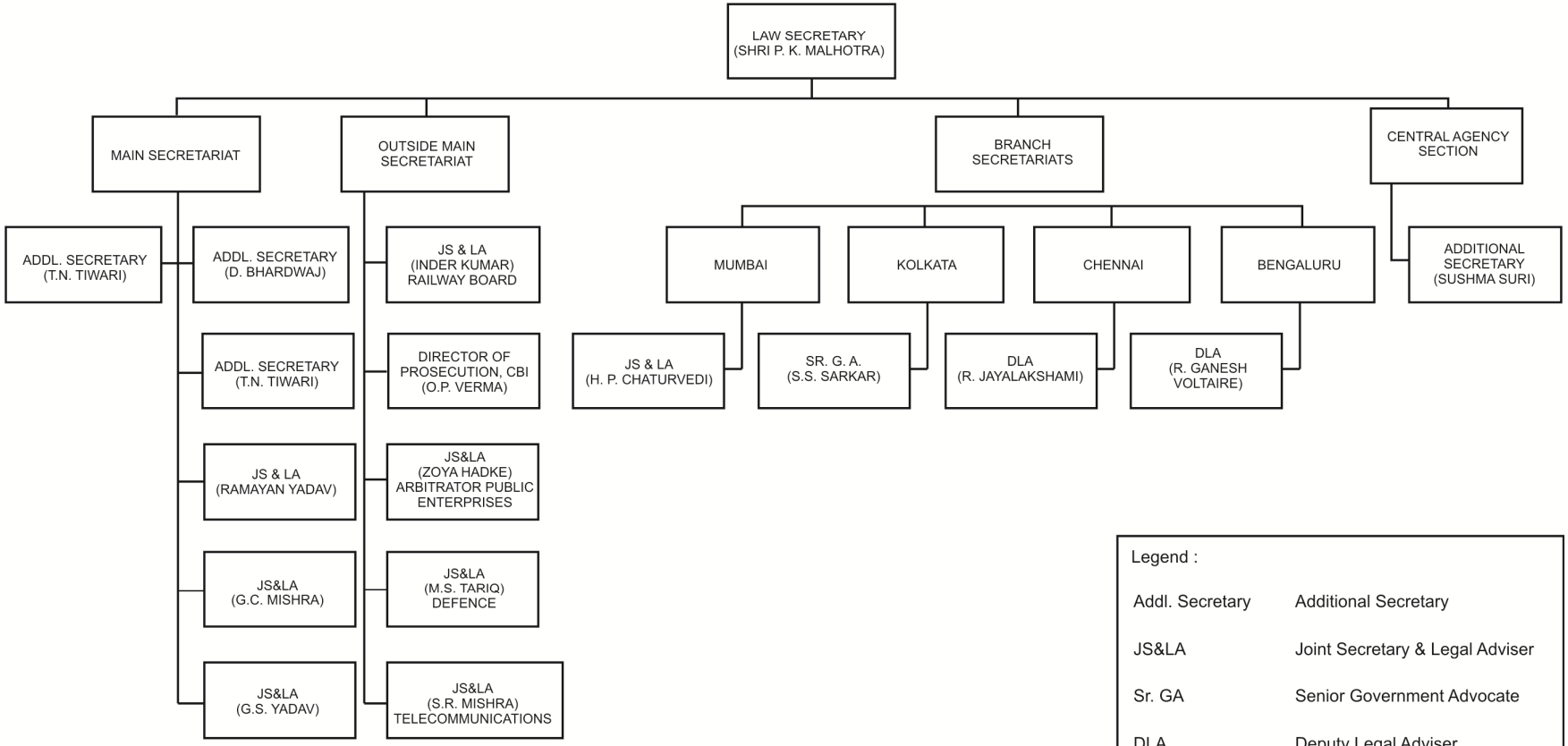

Legend :	
Addl. Secretary	Additional Secretary
JS&LA	Joint Secretary & Legal Adviser
Sr. GA	Senior Government Advocate
DLA	Deputy Legal Adviser

ORGANISATION CHART OF THE LEGISLATIVE DEPARTMENT (MAIN)
(AS ON 01.01.2016)
(See Chapter - I Para - 4)

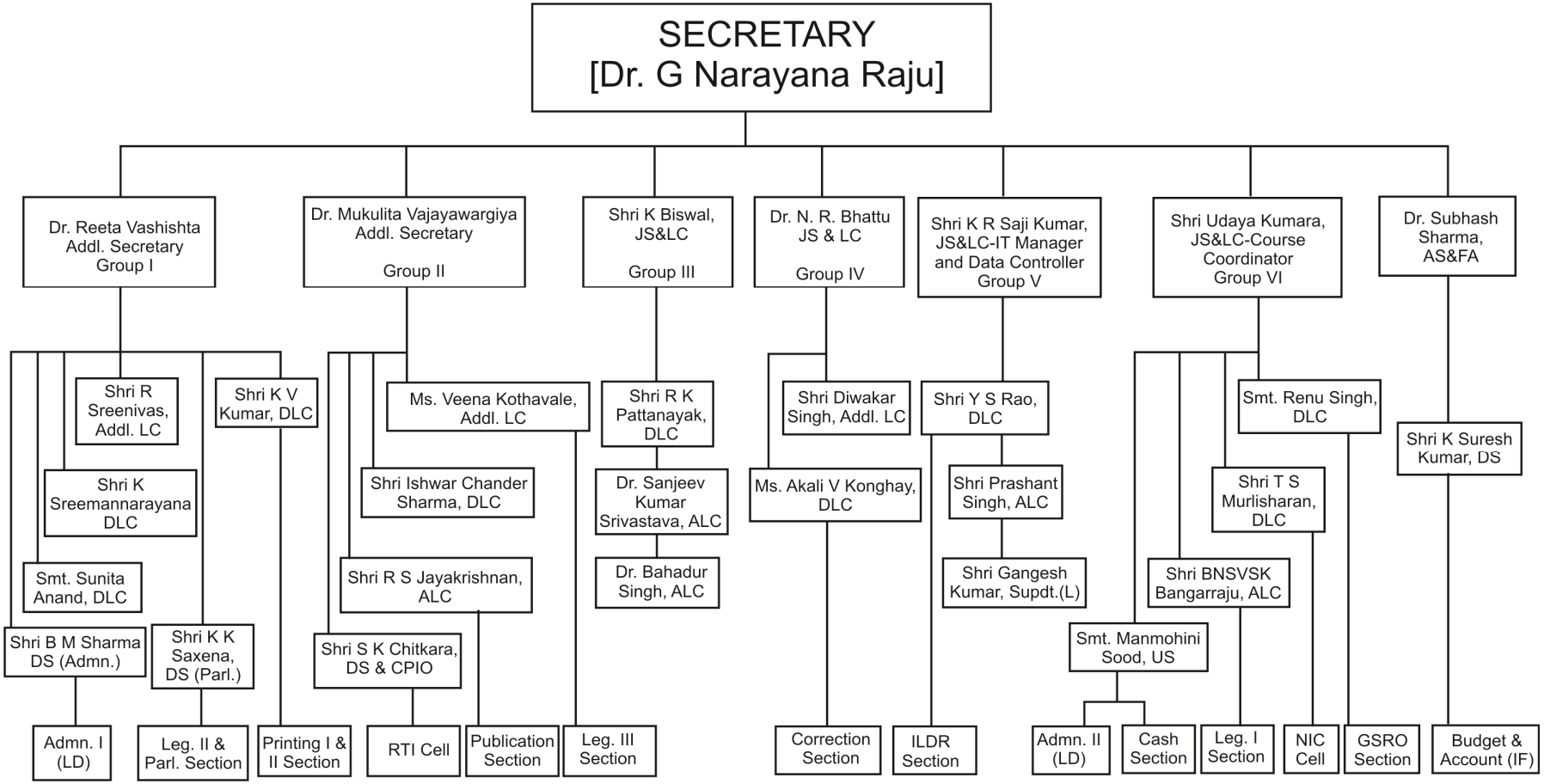

Organisation set up of Department of Justice (See Chapter I- para 5)

ANNEXURE-III

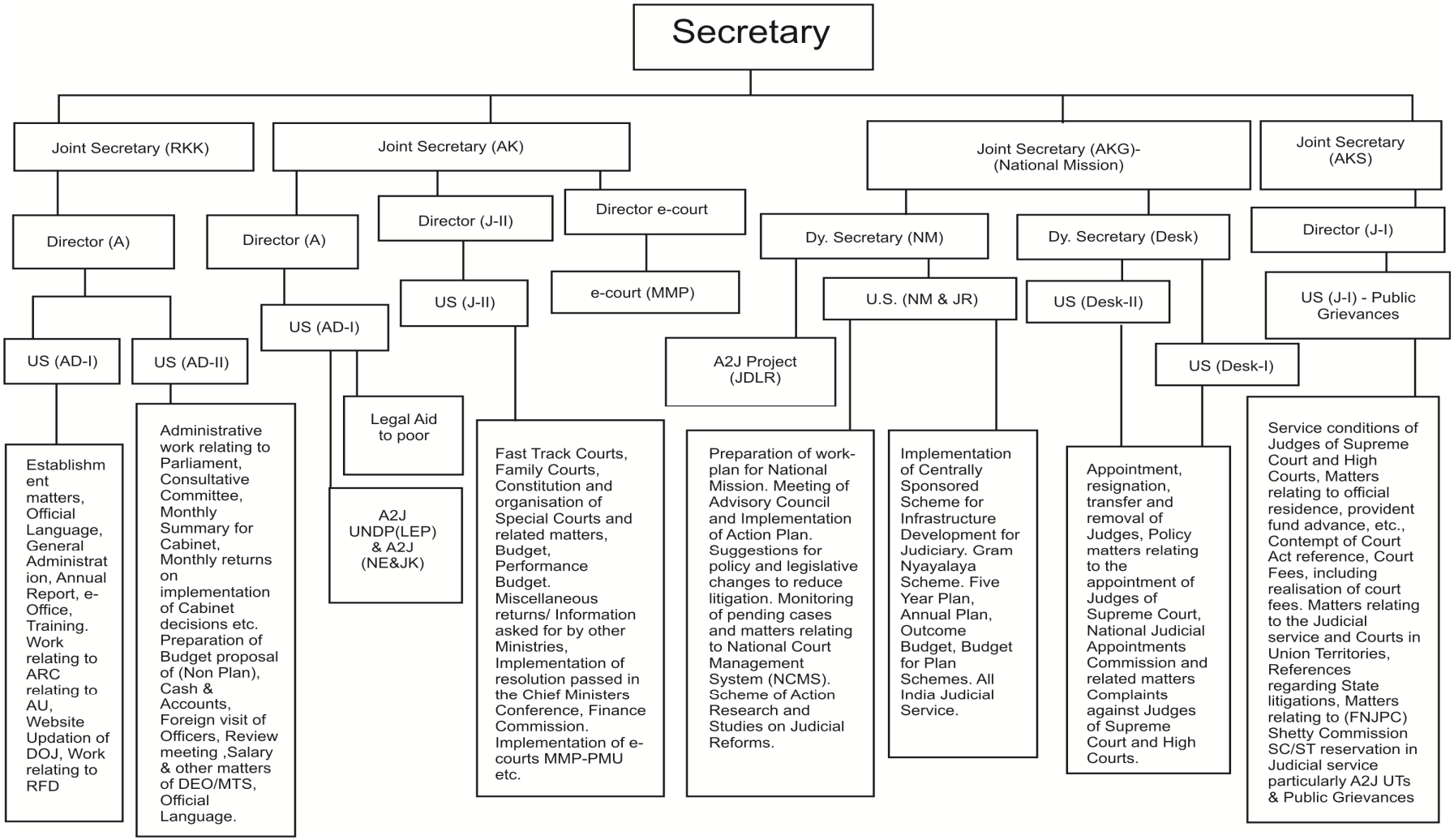

Annexure - IV

Details of the Financial Outlays, projected physical outputs and projected/budgeted outcomes

Name of the Ministry / Department: Ministry of Law & Justice (Department of Justice)

(Rs. In Crore)

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
Central Sector Schemes of National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms										
1	Computerization of District and Subordinate Courts (E-Courts MMP Phase-I)	The objective of the eCourts project is to provide designated service to litigants, lawyers and the judiciary by universal computerization of district and subordinate courts in the country. This will inter alia facilities faster disposal of cases, provided transparent flow of information on	2014	--	--	NIL	Site Preparation and provision of computer hardware and LAN connectivity at 14249 courts, provision of ICT training to judicial officers and court staff, provision of application software and web based applications, along with data entry of pending cases in the locations where	Computerization of District & Subordinate courts across the country to provide designated service to litigants, lawyers and the judiciary by universal computerization the country and enhancement of ICT enablement of the justice system.	In the year 2007, the Government approved the computerization of 13,348 of district and subordinate courts over a two years period at the cost of Rs.441.80 crore. In September, 2010, in the year 2010, in the light of cost and time	Sites for all 14,249 courts (100%) have been made ready for computerization, out of which LAN has been installed at 13,643 courts (95.75%), hardware at 13,436 courts (94.3%) and software at 13,672 courts (95%).

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
		case status etc.					software is rolled out		over-runs, the CCEA approved revision in project cost of Rs.935 crore and revision in the project timelines to 31st March, 2014 for computerization of 14249 courts. As on 30th November 2015, of the total target of 14,249 District and Subordinate courts to be computerized, sites for all 14,249 courts (100%) have been made ready for computerization, out of which LAN has been installed at	

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
									13,643 courts (95.75%), hardware at 13,436 courts (94.3%) and software at 13,672 courts (95%).	
2.	Computerization of District and Subordinate Courts (E-courts Phase -II)	Phase-II of the Project involves further enhancement of ICT enablement of Courts.	2014	-	256.00	NIL	(i)Computerization of new courts, DLSAs/ TLCs offices, additional hardware in existing courts; computer training lab in SJAs; (ii) connectivity improvements, cloud computing, ICJS readiness; (iii) centralised Filing Centres and Kiosks with touch-screen and printer in Courts Complexes; (iv)Document Management, Learning Management Tools, Enhanced	A consolidation of all the initiatives and measures proposed to be taken up and the installation of the components planned in Phase-II of the of the project will result in multi-platform services for the litigants under the Charter of Service. The Charter of services will serve as a guiding baseline to	The Phase II of the eCourts project has been approved for the duration of four years or until the project is completed, whichever is later, at the cost of Rs.1670 crores.	The Government approved Phase II of the eCourts MMP in its meeting held on 16th July, 2015

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
							Change Management and Judicial Knowledge Management System; and (v) e-filling, e-payment gateways and moble applications, litigant's character etc.	make Phase-II of the Project as litigant service centric as possible. The services envisaged under the project will cater to all stakeholders including the judiciary, citizens, litigants and advocates alike.		
3.	Access to Justice, Government of India	The project is meant for increased access to justice for marginalised people for developing their capacities to demand justice. It also supports justice delivery organisations in better serving the people					The project aims to achieve following broad objectives: *Taking steps to implement recommendations of the Study conducted to identify gaps in the legal-empowerment of people in North Eastern States and Jammu and	Reducing barriers and enhancing access to justice for the marginalised in the nine project States Strengthening LSAs in the states by providing them with a trained cadre of PLVs and Panel	Five Years	NIL

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
							Kashmir *Nine SLSAs will be provided with trained para legal volunteers and panel lawyers. Opening and successfully running legal aid clinics in two most backward districts of the Country- Tuensang and Mon in Nagaland as well as the Law Colleges/ Universities. *Provision of manpower support to 9 SLSAs for smooth implementation of Access to Justice Project *Increased legal awareness of the marginalised sections of the	Lawyers.		

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
							project states. The focus will be in line with the overall project goal identified for 5 years with an extra effort to initiate innovative activities.			
4.	Access to Justice for Marginalized in India" - UNDP assisted externally aided project	The provision is for ensuring increased Access To Justice for marginalized people by developing their capacities to demand Justice and by supporting Justice Delivery Organizations in better serving the people.					Legal literacy content mainstreamed and disseminated through Sakshar Bharat, SIRDs, Information Kiosks and Law Schools.	In coordination with NLMA and State Resource Center Jaipur and Lucknow A2J Project is going to train 200 Resource Persons and 600 Preraks. Conduct legal literacy programmes in 10 blocks of Barabanki district of Uttar Pradesh with a view to empower the	Five Years	NIL

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
								community to seek and demand justice. Legal Aid Clinics: provide legal aid services to marginalised sections through legal aid clinics set up in Odisha and Maharashtra through NLUO and TISS. Reach out to more than 50000 persons through various community level initiatives in Jharkhand, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Spread legal		

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
								awareness through 500 CSCs in Rajasthan.		
5	Action Research and Studies on Judicial Reforms	Financial assistance is being extended for undertaking action research / evaluation / monitoring studies, organising seminars / conferences / workshops, capacity building for research and monitoring activities, publication of report / material, promotion of innovative programmes / activities in the areas of Justice Delivery, Legal Research and Judicial Reforms.					The activities under the Scheme are likely be taken up by the National Mission to help implement the mandate of the National Mission in reducing arrears and delays in Justice delivery system and other areas of judicial reforms.	The studies are being carried out through organisation like IIMs, ILI, NJA, National Law Universities, National Council for Applied Economic Research etc.	No time line can be fixed as the proposed activities are subjective in nature. Activities under this Scheme spread throughout the year.	This is being implemented by the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. Fourteen proposals have been sanctioned for undertaking research studies.

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
6.	Grant-in-aid to States other than North-Eastern States for infrastructure facilities for judiciary.	The provision is for construction of court buildings and residential premises of judges and judicial officers of the District and Subordinate Courts.	3601	0.00	455.00	0.00	Construction of court buildings and residential accommodation for Judges and Judicial Officers of the District and Subordinate Courts.	Development of infrastructure facilities for subordinate judiciary is a thrust area of the National Mission for Justice Delivery and Judicial Reforms. No outcome may be projected at this stage.	The activities under this scheme run throughout the year. However the grant is to be utilised within the complete financial year against the target to be set by the National Mission for Justice Delivery and Judicial Reforms in consultation with the State Governments.	Utilisation of funds by the State Governments under this Scheme has been encouraging. States have placed demands for much higher Central allocation. Besides Supreme Court is also regularly monitoring the progress under this Scheme in the case of All India Judges Association Vs. Union of India to remove infrastructural difficulties of Subordinate judiciary.
7.	Grant-in-aid to Union Territories with and without Legislature for infrastructure facilities for judiciary.		3602	0.00	75.00	0.00				
8.	Lump-sum provision for	The Provision is for projects /	2552	0.00	90.00	0.00	Not applicable as this is a non-functional head and there are provisions for transfer of funds to appropriate functional heads to meet the Objectives as			

Sl. No.	Name of Scheme / Programme	Objective / Outcome	Outlay for 2016-17				Quantifiable Deliverables	Projected Outcomes	Processes / Time lines	Remarks
			Major Head Revenue	Non-Plan	Plan	Complementary extra budgetary provision				
	1	2	3	4			5	6	7	8
	projects / scheme for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim.	schemes for the benefit of the North East States and Sikkim, which will be diverted to appropriate functional heads to cater to specific plan schemes.					spelled out in respect of such heads.			
9.	Assistance to State for setting up and operationalisation of Gram Nyayalayas	To provide access to justice to the citizens at their doorsteps.	3601	0.00	5.00	0.00	Gram Nyayalayas will be established and operationalsed by the State Government under the provision of the Gram Nyayalayas Act.	Inexpensive justice will be available to people in rural areas at their doorsteps.	The activities under this scheme run throughout the year. However the grant is to be utilised within the financial year.	NIL

*****

Annexure – V

(Chapter - II, Par - II, Para - 2)

Statement showing targets vis-à-vis achievements in respect of Plan / Non Plan Schemes of Department of Justice for the year 2015-16

SL.No	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Quantifiable Deliverables	Achievements
1	2	3	4	5
Central Sector Schemes				
1.	Computerization of District and Subordinate Courts (E-Courts MMP Phase-I)	For providing automated electronic decision support systems for the judiciary in all the courts of the country including District and Subordinate Courts, which will, inter alia, facilitate faster disposal of cases, provide transparent flow of information on case status, etc.	Site Preparation and provision of computer hardware and LAN connectivity at 14249 courts, provision of ICT training to judicial officers and court staff, provision of application software and web based applications, along with data entry of pending cases in the locations where software is rolled out.	a) As on 31st December, 2015, more than 95% of the activities have been completed under Phase I. Sites for all 14,249 courts (100%) have been made ready for computerisation, LAN has been installed at 13,606 courts (95.49%), hardware installed at 13,436 courts (94.3%) and software deployed at 13,672 courts (95.95%). b) As on 31st December, 2015, data in respect of more than 5.6 crore cases and more than 2 crore orders/judgments pertaining to district and subordinate Courts under the jurisdiction of 21 out of 24 High Courts have been uploaded on NJDG. c) eCourts portal ((http://www.ecourts.gov.in) provides online services to litigants and currently, litigants can access case status information in respect of over 5 crore pending and decided cases in more than 13,000 courts.
2.	Access to Justice for Marginalized in India" - UNDP assisted externally aided project. (EAP) **SAJI** (Phase-II)	The provision is for ensuring increased access to justice for marginalised people by developing their capacities to demand justice and by supporting justice delivery organisations in better serving.	Legal literacy content mainstreamed and disseminated through Saakshar Bharat programme, SIRDs, voice based legal information kiosks and Law Schools based legal aid clinics.	I. Incorporation of Legal literacy into NLMA The Department of Justice (DoJ), Ministry of Law and Justice, Government of India and National Literacy Mission Authority (NLMA) have signed a MoU for mainstreaming of legal literacy initiatives on 2nd June 2015. II. Legal literacy campaign in Barabanki, Uttar Pradesh: Department of Justice executed an MOA with State Institute of Rural Development (SIRD) to initiate a Legal Literacy Campaign in 10 blocks of Barabanki district of Uttar Pradesh.

SL.No	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Quantifiable Deliverables	Achievements
1	2	3	4	5
				III. Establishment of Voice Based Legal Information Kiosks: 50 voice based legal information kiosks installed in various District Legal Services Authorities (DLSAs) across Chhattisgarh and Jharkhand to provide legal information and raise legal awareness of the masses. IV. Support for innovative legal empowerment initiatives Project activities have been initiated with four agencies namely AID India, Antodaya and BGVS. These agencies are conducting legal aid and legal empowerment initiatives in three Project States - Jharkhand, Odisha and Madhya Pradesh. V. Setting up law school based legal aid clinics Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai and National Law University (NLU), Odisha established campus and community based legal aid clinics to facilitate marginalized sections in accessing justice. VI. MOA with e-Governance Services India Ltd. DoJ has signed MoA with CSC e-Governance Services India Limited. This initiative focuses on mainstreaming of legal literacy through 500 Common Services Centres (CSCs) in Rajasthan. VII. Establishing Helpdesks for Juveniles in Observation Homes in Maharashtra With support of A2J Project, Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai has established helpdesks in Observation Homes in Maharashtra to provide socio-legal guidance to those faced with the juvenile justice system. III. Short films on POCSO Based on request of National Judicial Academy (NJA) A2J Project is developing two short films on Protection of

SL.No	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Quantifiable Deliverables	Achievements
1	2	3	4	5
				Children Against Sexual Offences Act (POCSO). IX. <u>Research and Study</u> Partners for Law in Development (PLD) conducted a study on "*Making Court Room Procedures Friendly to Women: Study of the Trial Courts of New Delhi*".
National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms				
3	National Mission	National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms to realise the objectives set out in the Vision Document that was considered, delivered and endorsed by a Resolution at the end of a National Consultation for strengthening the Judiciary towards reducing pendency and delays held by the Department	National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms has been set up with the twin objectives of increasing access by reducing delays and arrears in the system and enhancing accountability through structural changes and by setting performance standards and capacities.	A number of steps have been taken by National Mission for judicial reforms which *inter-alia* include better judicial infrastructure facilities including computerisation of courts, reforms in the court processes, legislative changes in the areas prone to excessive litigation, policy initiatives for reducing Government litigation, emphasis on better training and manpower planning for judicial officers and bar reforms for proper professional conduct by the advocates. On account of concerted efforts made by all stakeholders, the increasing trend of pendency of cases in various courts across the country has been checked.
4.	Computerisation of District and Subordinate Courts (E-courts Phase -II)	Phase II would enable the courts to exercise greater control over the management of cases in the docket. The services envisaged under the project will thus cater to all stakeholders including the judiciary, litigants and lawyers. ICT enablement will make the functioning of courts efficient and transparent, which will have an overall positive impact on the justice delivery system.	Phase-II of the project will result in multi-platform services for the litigants under the Charter of Services. These services include, *inter alia,* case registration, cause lists, daily case status, and final order/judgment uploading which have been provided in Phase I. Further, e-filing of cases, e-payment of court fees, process service through email and through process servers having hand held devices, receipt of digitally signed copies of judgments are some of the services to be added in Phase II. The Charter of Services will serve as a guiding	Based on the Policy Document approved by the eCommittee of Supreme Court, Phase-II of eCourts MMP has been approved by the Government on 16.07.2015. Sanction order of the Project has been issued on 4.08.2015 and action initiated to implement it. As of 31st December, 2015, High Courts have been requested to commence procurement of hardware, for which necessary funds have been made available to them.

SL.No	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Quantifiable Deliverables	Achievements
1	2	3	4	5
			baseline to make Phase-II of the Project as litigant service centric as possible.	
5.	Access to Justice, Government of India	The project is meant for increased access to justice for marginalised people for developing their capacities to demand justice. It also supports justice delivery organisations in better serving the people	The project aims to achieve following broad objectives: – Address the legal needs of the marginalized and vulnerable sections of the society, *particularly* women, children, Scheduled Castes, Tribal communities who do not have the requisite means to ensure that their rights are guaranteed. – Support justice delivery systems in improving their capacities to serve the people and in empowering the ordinary people to demand improved services and to access their rights and entitlements. – Support innovative activities to enhance legal awareness of the vulnerable populations and their ability to seek redress. – Support Legal Services Authorities in providing legal aid and legal empowerment of the marginalized in the nine project States.	*1.* **Established 46 Legal Aid Clinics in two most backward district of Nagaland -Tuensang and Mon:** Nagaland State Legal Services Authority has successfully established and running 46 Legal Aid Clinics (LACs) in the most interior and remote districts of Nagaland - Tuensang and Mon. Both the districts are inhabited by Scheduled Tribes. Legal Aid Clinic will provide legal awareness to all weaker sections with special reference to Women, Schedule Tribes and Workers in the unorganized sector *etc*. Further, as a Free Legal Support Centre, it will assist in settling community disputes through Mediation / Lok-Adalats *etc*., train the members of customary judicial bodies such as Village Councils / Gaon Buras / DBs on principles of natural justice, create local resources by training law students, panel lawyers, para legal volunteers and NGOs. Duration of the Project is 2 years. It will impact a population of approximately 4,50,000 people living in 242 villages. 2. **Needs Assessment Study to Identify Gaps in the Legal Empowerment of People:** This study was conducted by Impulse NGO Network based in Shillong, Meghalaya. It is a field based study to identify the gaps in the legal empowerment of people *particularly* those that are poor, marginalised and vulnerable, and therefore do not have the means to ensure that their rights are guaranteed. It also aims to identify the obstacles and gaps in their legal empowerment which hinder access to justice, and to assess supporting justice delivery systems with a view to improving their capacities to serve the people and to assist in the development of an effective programme for the legal empowerment of poor and vulnerable communities.

SL.No	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Quantifiable Deliverables	Achievements
1	2	3	4	5
				3. **Training of Para Legal Volunteers (PLVs) of State Legal Services Authorities on Social Welfare Legislations in Eight North Eastern States:** This activity was being undetaken by Committee for Legal Aid to Poor (CLAP), a civil society organisation based in Odisha. CLAP had successfully trained 400 PLVs from Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Sikkim and Nagaland (50 from each State). The issues which were covered under training were - various Central and State social welfare legislations, schemes, programmes, judicial processes, role of State Legal Services Authority, legal aid among others. The first phase of training was held between May 2014 to July 2014. In the second phase, the refresher training was organized between December 2014 to February 2015. It has benefitted 400 PLVs in the eight North Eastern States. *4.* **Needs Assessment Study in Jammu and Kashmir:** This Study is being conducted by University of Kashmir to identify gaps in the legal empowerment of people of the State. As the first deliverable, *Pilot Study report* on the project Titled "*Needs Assessment Study to identify Gaps in the Legal Empowerment of People in the State of Jammu and Kashmir*" has been submitted by the University. The study is in the final phase. ***5.*** **Supporting Legal Aid Clinics in Jammu and Kashmir:** The project is also supporting legal aid clinic established by University of Kashmir. University has already finished work on this project. Several deliverables have been completed such as 8 kits have been prepared on different pro poor laws. Others are in the last phase of completion like 2 research projects and legal literacy camps *etc*. ***6.*** **Rendering Manpower support to SLSAs through appointment of a Project Team in the Nine States:** A team of two professionals (Project Coordinator and Project

SL.No	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Quantifiable Deliverables	Achievements
1	2	3	4	5
				Assistant) has been proposed in all the nine project States to coordinate the activities of Access to Justice (NE&JK) project at the States level and support the State Legal Services Authority. The recruitments have been completed for all the States *except* J&K (PC & PA), Meghalaya (PC & PA) & Mizoram (only PC).
6.	Action Research and Studies on Judicial Reforms	Action Research for policy initiatives and judicial reforms measures, effect of pendency reduction drives, etc. could be carried out. The studies recommended by the National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms may also be conducted.	The activities under the Scheme are likely be taken up by the National Mission to help implement the mandate of the National Mission in reducing arrears and delays in Justice delivery system and other areas of judicial reforms.	This scheme is being implemented by National Mission for Justice Delivery and Legal Reforms. Fourteen proposals for undertaking research studies have been approved so far.
Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary				
7	Centrally Sponsored Scheme Infrastructure facilities for judiciary	The provision is for construction of court buildings and residential premises of judges and judicial officers	Construction of court buildings and residential accommodation for Judges and Judicial Officers.	Rs. 933.00 crore has been disbursed to different States/ UTs during 2014-15. During 2015-16, an amount of Rs. 542.62 crore has been released till 31st December, 2015. In the joint conference of Chief Ministers and Chief Justices of the High Courts held in New Delhi on 07thApril 2013, the Chief Justice of India observed that adequate infrastructure in subordinate courts need to be provided. It was decided that the mechanism created by the Hon'ble Supreme Court in I.A. No. 279 in Writ Petition (C) No. 1022 of 1989 of District and State Committees be made a permanent feature and the Chief Justices of High Courts should actively utilise the said mechanism for ensuring timely proposals for creation, furnishing, maintenance and development of infrastructure of Court buildings and residences. The State Governments shall render assistance to the High Courts in the matter. Further, the State Governments shall allocate adequate and suitable land / sites for the purpose

<table>
<tr><th>SL.No</th><th>Name of Scheme/ Programme</th><th>Objective/ Outcome</th><th>Quantifiable Deliverables</th><th>Achievements</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>of Court complexes and residential quarters, on priority basis.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Assistance to State Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas</td><td>The provision is for providing recurring and non-recurring expenses for establishment and operationalization of the Gram Nyayalayas</td><td>The Act notified in 2009 and brought into force on 2nd October, 2009.</td><td>A total number of 194 Gram Nyayalayas have been notified so far in the State of Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Jharkhand, Punjab, Haryana and Goa, of which 160 have been operationalized. An amount of Rs 300 lakh has been disbursed to the above states towards recurring and non-recurring expenditure during 2014-15. No expenditure in the year 2015-16.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Legal Aid (NALSA) (Non Plan)</td><td>To monitor and evaluate implementation of Legal Aid Programmes and to lay down policies and principles for making legal services available under the Act.</td><td>(i) To Provide Free and Competent Legal Services to the eligible persons;
(ii) To organize Lok Adalats for amicable settlement of disputes and
(iii) To organize legal awareness camps in the rural areas.</td><td>During the period from 1st April, 2015 to 30th September, 2015, 81,962 Lok Adalats were organized. These Lok Adalats settled more than 28.40 lakh cases. In about 53,049 Motor Vehicle Accident Claim Cases, compensation to the tune of Rs.1017.86 Crore has been awarded.
<u>MONTHLY NATIONAL LOK ADALAT</u>:
<table>
<tr><th>S. No.</th><th>Date</th><th>Subject</th><th>Total Disposal (pre + post litigation stage)</th><th>Settlement Amount (Rs. in crores)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>11.04.2015</td><td>Labour & Family</td><td>5,31,872</td><td>366.04</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>09.05.2015 & 13.06.2015</td><td>MACT and Insurance Claims</td><td>3,18,724</td><td>951.55</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>11.07.2015</td><td>Electricity / Water / Telephone / Public Utility dispute</td><td>8,68,254</td><td>553.60</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

SL.No	Name of Scheme/ Programme	Objective/ Outcome	Quantifiable Deliverables	Achievements				
1	2	3	4	5				
				4.	08.08.2015	Bank Matters & U/s 138 NI Act, Recovery Suits etc.	3,53,167	1,499.42
				5.	12.09.2015	Criminal Compound able matters	5,71,714	416.12
				6.	10.10.2015	Traffic, Petty matters, Municipal matters	16,39,229	362.94
				7.	12.12.2015	National Lok Adalat relating to all types of cases.	93,04,824	4,497.39
				Grand Total			**1,35,87,784**	**8,647.06**
10.	Family Courts	Family Courts are setup with a view to promoting conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs and for matter connected therewith.	Number of Family Courts set-up and disposal of cases.	As per the reports received, 438 Family Courts have been set-up.				

Annexure-VI

As on 31/12/2015

NUMBER OF FAMILY COURTS FUNCTIONAL

S.No.	Name of the State	Number of Family Courts functional in the State
1	Andhra Pradesh	14
2	Arunachal Pradesh	-
3	Assam	03
4	Bihar	39
5	Chhattisgarh	19
6	Delhi	15
7	Goa	-
8	Gujarat	17
9	Haryana	07
10	Himachal Pradesh	-
11	Jammu & Kashmir	-
12	Jharkhand	21
13	Karnataka	27
14	Kerala	28
15	Madhya Pradesh	44
16	Maharashtra	22
17	Manipur	05
18	Meghalaya	-
19	Mizoram	04
20	Nagaland	02
21	Odisha	17
22	Punjab	7
23	Puducherry	01

24	Rajasthan	28
25	Sikkim	04
26	Tamil Nadu	14
27	Telangana	12
28	Tripura	03
29	Uttar Pradesh	76
30	Uttarakhand	7
31	West Bengal	02
	Total	**438**

*****

ANNEXURE VII

GRANT NO.64 - LAW AND JUSTICE

EXPENDITURE UPTO 31 DECEMBER 2015

(Amount in Crores of Rupees)

Major Head	Budget Estimates 2015-16			Amount Authorised by this Ministry			Expdr booked by this Ministry up to Dec, 15			Expdr booked by authorised Ministry			Total Expdr			Expenditure as % of B.E.		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total**	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
1	2						3			4			5			6		
"2014"-Administration of Justice	219.30	192.26	411.56	14.00		14.00	2.42	100.64	103.06	5.47		5.47	7.89	100.64	108.53	3.60	52.35	26.37
"2015"-Election	0.00	2142.40	2142.40		255.58	255.58		1055.94	1055.94		217.12	217.12	0.00	1273.06	1273.06		59.42	59.42
"2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	0.00	146.08	146.08		0.30	0.30		49.32	49.32		0.05	0.05	0.00	49.37	49.37		33.80	33.80
"2052"-Secretariat General Services	0.00	108.66	108.66		0.79	0.79		74.26	74.26		0.21	0.21	0.00	74.47	74.47		68.53	68.53
"2070" Other Administrative Services	0.00	19.85	19.85			0.00		13.88	13.88			0.00	0.00	13.88	13.88		69.92	69.92
"2552"-Grants-in-aid to North Eastern States	80.66	0.00	80.66			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
"3601" Grants-in-aid to State Govt.	443.69	5.00	448.69			0.00	479.62	3.10	482.72			0.00	479.62	3.10	482.72	108.10	62.00	107.58
"3602" Grants-in-aid to UT Govt.	63.00	0.00	63.00			0.00	60.40		60.40			0.00	60.40	0.00	60.40	95.87		95.87
"4070" Capital outlay on other Administration Services	0.00	102.75	102.75		6.20	6.20		0.70	0.70		4.07	4.07	0.00	4.77	4.77		4.64	4.64
Total Major Heads	***806.65***	***2717.00***	***3523.65***	***14.00***	***262.87***	***276.87***	***542.44***	***1297.84***	***1840.28***	***5.47***	***221.45***	***226.92***	***547.91***	***1519.29***	***2067.20***	***67.92***	***55.92***	***58.67***

EXPENDITURE STATEMENT 2015-16 - UPTO THE DECEMBER, 2015
SPENDING UNITWISE & OBJECT HEADWISE DETAILS

REVENUE SECTION : *(Amount in actuals)*

OBJECT HEADS	Expenditure upto 12/15 booked by this Ministry	Amount of Authorisation by this Ministry	Expenditure against authorisation	Total Expenditure
MAJOR HEAD 2014-ADMINISTRATION OF JUSTICE				
00.114 - LEGAL ADVISERS AND COUNSELS - MINOR HEAD				
07- DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS				
WAGES	3,23,265			3,23,265
OFFICE EXPENSES	57,18,705			57,18,705
PROFESSIONAL SERVICES	26,57,04,214			26,57,04,214
Total - 114	**27,17,46,184**	**0**	**0**	**27,17,46,184**
MAJOR HEAD 2014-ADMINISTRATION OF JUSTICE				
00.118 - COMPUTERISATION OF DISTRICT AND SUBORDINATE COURTS				
01 - E-COURTS				
01.99 - INFORMATION TECHNOLOGY				
OTHER CHARGES		2,00,00,000	1,47,19,333	1,47,19,333
Total - 118	**0**	**2,00,00,000**	**1,47,19,333**	**1,47,19,333**
MAJOR HEAD 2014-ADMINISTRATION OF JUSTICE				
00.800 -OTHER EXPENDITURE - MINOR HEAD				
02 - NATIONAL JUDICIAL ACADEMY				
GRANTS-IN-AID	5,50,00,000			5,50,00,000
05 - NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY				
GRANTS-IN-AID	67,97,00,000			67,97,00,000
18- NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS				
18.01- NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS				
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	2,65,237			2,65,237
OFFICE EXPENSES	4,56,898			4,56,898
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	18,97,337			18,97,337
PROFESSIONAL SERVICES	21,28,662			21,28,662
GRANTS-IN-AID	1,20,58,154			1,20,58,154
OTHER CHARGES	57,77,441	8,00,00,000		57,77,441
TOTAL - 18.02 - NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS	**2,25,83,729**	**8,00,00,000**	**0**	**2,25,83,729**

18.02- SAJI

PROFESSIONAL SERVICES		4,00,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
OTHER CHARGES	15,97,721			15,97,721
TOTAL - SAJI	**15,97,721**	**4,00,00,000**	**4,00,00,000**	**4,15,97,721**
TOTAL - 18 - NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS	**2,41,81,450**	**12,00,00,000**	**4,00,00,000**	**6,41,81,450**
TOTAL - 800 - OTHER EXPENDITURE	**75,88,81,450**	**12,00,00,000**	**4,00,00,000**	**79,88,81,450**
DEDUCT RECOVERIES OF OVERPAYMENTS			(7,71,91,414)	(7,71,91,414)
TOTAL MAJOR HEAD 2014	**1,03,06,27,634**	**14,00,00,000**	**-2,24,72,081**	**1,00,81,55,553**

MAJOR HEAD 2015-ELECTIONS

MINOR HEADS	**EXPDR UPTO 12/15**			
ELECTORAL OFFICERS	36,00,00,000			36,00,00,000
PREPARATION AND PRINTING OF ELECTORAL ROLLS	54,00,00,000			54,00,00,000
CHARGES FOR CONDUCT OF ELECTION FOR LOK SABHA ETC	9,27,09,34,906		48,97,400	9,27,58,32,306
EXPENDITURE IN UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE	1,84,28,091		68,99,325	2,53,27,416
ISSUE OF PHOTO IDENTITY CARDS TO VOTERS	37,00,00,000			37,00,00,000
EXPENDITURE ON ELECTRONIC VOTING MACHINE		2,55,57,80,633	2,15,94,35,745	2,15,94,35,745
TOTAL MAJOR HEAD 2015	**10,55,93,62,997**	**2,55,57,80,633**	**2,17,12,32,470**	**12,73,05,95,467**

MAJOR HEAD 2020-COLLECTION OF TAXES ON INCOME AND EXPENDITURE
00.001 DIRECTION AND ADMINISTRATION - MINOR HEAD
05- INCOME TAX
APPELLATE TRIBUNAL

OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/15**			
SALARIES	38,31,83,590			38,31,83,590
WAGES	3,98,569			3,98,569
OVERTIME ALLOWANCES	33,665			33,665
MEDICAL TREATMENT	50,49,373			50,49,373
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	1,51,75,283			1,51,75,283
OFFICE EXPENSES	6,33,61,758	16,38,442	5,19,219	6,38,80,977
RENT, RATES AND	2,37,07,775			2,37,07,775

TAXES				
OTHER ADMN. EXPENSES	34,809			34,809
MINOR WORKS & MAINTENANCE	55,500	13,27,486		55,500
PROFESSIONAL SERVICES	4,71,710			4,71,710
OTHER CHARGES	17,31,060			17,31,060
DEDUCT RECOVERIES OF OVERPAYMENTS	-8,801			(8,801)
TOTAL MAJOR HEAD 2020	**49,31,94,291**	**29,65,928**	**5,19,219**	**49,37,13,510**

MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVICES

00.090 - SECRETARIAT MINOR HEAD

06-DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/15**			
SALARIES	24,53,09,312			24,53,09,312
WAGES	29,76,864			29,76,864
OVERTIME ALLOWANCES	1,85,502			1,85,502
MEDICAL TREATMENT	32,94,997			32,94,997
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	34,40,564			34,40,564
FOREIGN TRAVEL EXPENSES	32,54,721			32,54,721
OFFICE EXPENSES	3,05,84,593	2,12,000		3,05,84,593
RENT, RATES AND TAXES	3,30,207			3,30,207
PUBLICATION	19,325			19,325
OTHER ADMN. EXPENSES	12,45,149			12,45,149
MINOR WORKS & MAINTENANCE	6,30,823	42,04,445	11,84,517	18,15,340
PROFESSIONAL SERVICES	26,95,640			26,95,640
GRANTS-IN-AID	98,25,000			98,25,000
GRANTS-IN-AID SALARIES	3,66,20,860			3,66,20,860
OTHER CHARGES	21,59,769			21,59,769
TOTAL	**34,25,73,326**	**44,16,445**	**11,84,517**	**34,37,57,843**

MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVI ES

00.090 - SECRETARIAT MINOR HEAD

31-APPELLATE TRIBUNAL OF FOREIGN EXCHANGE

OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/15**			
SALARIES	81,45,555			81,45,555
WAGES	90,000			90,000
MEDICAL TREATMENT	59,473			59,473
OFFICE EXPENSES	13,70,950			13,70,950
RENT, RATES AND TAXES	5,24,07,871			5,24,07,871
OTHER ADMN. EXPENSES	59,644			59,644
TOTAL	**6,21,33,493**	**0**	**0**	**6,21,33,493**

MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVI ES
00.090 - SECRETARIAT
MINOR HEAD
07-LEGISLATIVE
DEPARTMENT

OBJECT HEADS	EXPDR UPTO 12/15			
SALARIES	10,02,85,543			10,02,85,543
WAGES	22,02,881			22,02,881
OVERTIME ALLOWANCES	45,673			45,673
MEDICAL TREATMENT	12,69,781			12,69,781
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	2,45,662			2,45,662
OFFICE EXPENSES	84,35,412	56,700		84,35,412
PUBLICATIONS	3,15,141			3,15,141
OTHER ADMN. EXPENSES	3,64,777			3,64,777
PROFESSIONAL SERVICES	20,06,182			20,06,182
OTHER CHARGES	96,411			96,411
TOTAL	**11,52,67,463**	**56,700**	**0**	**11,52,67,463**

MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVI ES
00.090 - SECRETARIAT MINOR HEAD
04-OFFICIAL LANGUAGE WING

OBJECT HEADS	EXPDR UPTO 12/15			
SALARIES	4,51,72,024			4,51,72,024
WAGES	10,918			10,918
OVER TIME ALLOWANCE	2,850			2,850
MEDICAL TREATMENT	14,10,530			14,10,530
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	2,82,016			2,82,016
OFFICE EXPENSES	40,43,350	1,27,500		40,43,350
RENT, RATES AND TAXES	85,92,955			85,92,955
PUBLICATION	92,78,802			92,78,802
OTHER ADMN. EXPENSES	2,91,665			2,91,665
ADVERTISING AND PUBLICITY		1,78,705		-
PROFESSIONAL SERVICES	7,66,585			7,66,585
OTHER CHARGES	4,31,679			4,31,679
TOTAL	**7,02,83,374**	**3,06,205**	**0**	**7,02,83,374**

MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVICES

00.090 - SECRETARIAT MINOR HEAD

08-DEPARTMENT OF JUSTICE

OBJECT HEADS	EXPDR UPTO 12/15			
SALARIES	2,72,50,643			2,72,50,643
WAGES	26,56,574			26,56,574
MEDICAL TREATMENT	4,03,463			4,03,463
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	2,58,312			2,58,312
OFFICE EXPENSES	5,02,338			5,02,338
PUBLICATIONS	1,19,53,723			1,19,53,723
OTHER ADMN. EXPENSES	6,70,358			6,70,358
MINOR WORKS AND MAINTENANCE		24,81,128	8,76,693	8,76,693
PROFESSIONAL SERVICES	37,18,018			37,18,018
OTHER CHARGES	2,42,165			2,42,165
TOTAL	**4,76,55,594**	**24,81,128**	**8,76,693**	**4,85,32,287**

42-NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY	**EXPDR UPTO 12/15**			
SALARIES	1,30,27,624			1,30,27,624
OVERTIME ALLOWANCES	41,877			41,877
MEDICAL TREATMENT	52,236			52,236
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	2,87,970			2,87,970
OFFICE EXPENSES	43,04,193			43,04,193
PUBLICATION	13,39,406			13,39,406
OTHER ADMINSTRATIVE EXPENSES	57,840			57,840
ADVERTISING AND PUBLICITY	17,24,293			17,24,293
TOTAL	**2,08,35,439**	**0**	**0**	**2,08,35,439**

47-SUPREME COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE	**EXPDR UPTO 12/15**			
SALARIES	68,45,662			68,45,662
MEDICAL TREATMENT	1,33,807			1,33,807
OFFICE EXPENSES	15,38,372			15,38,372
TOTAL	**85,17,841**			**85,17,841**
TOTAL MINOR HEAD 00.090 SECRETARIAT	**66,72,66,530**	**72,60,478**	**20,61,210**	**66,93,27,740**

MAJOR HEAD 2052-SECRETARIAT GENERAL SERVI ES

00.092 - OTHER OFFICES- MINOR HEAD

01- UNIFIED LITIGATION AGENCY

OBJECT HEADS	EXPDR UPTO 12/15			
SALARIES	4,05,04,907			4,05,04,907
WAGES	7,75,111			7,75,111
OVERTIME ALLOWANCES	41,445			41,445
MEDICAL TREATMENT	3,62,825			3,62,825
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	66,163			66,163
OFFICE EXPENSES	61,61,183			61,61,183
RENTS, RATES AND TAXES	1,50,06,417			1,50,06,417
OTHER ADMN. EXPENSES	1,14,399			1,14,399
OTHER CHARGES	1,80,300			1,80,300
TOTAL	**6,32,12,750**	**0**	**0**	**6,32,12,750**

05 - NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY

OBJECT HEADS	EXPDR UPTO 12/15			
SALARIES	58,50,749			58,50,749
WAGES	24,65,711			24,65,711
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	22,768			22,768
FOREIGN TRAVEL EXPENSES	3,445			3,445
OFFICE EXPENSES	8,05,470			8,05,470
OTHER ADMN. EXPENSES	2,19,037			2,19,037
MINOR WORKS AND MAINTENANCE		6,26,400		-
PROFESSIONAL SERVICES	19,01,616			19,01,616
OTHER CHARGES	8,84,394			8,84,394
TOTAL	**1,21,53,190**	**6,26,400**	**0**	**1,21,53,190**
TOTAL - OTHER OFFICES	**7,53,65,940**	**6,26,400**	**0**	**7,53,65,940**
DEDUCT- RECOVERIES OF OVERPAYMENTS	**-19,962**			**(19,962)**
X **TOTAL MAJOR HEAD-2052**	**74,26,12,508**	**78,86,878**	**20,61,210**	**74,46,73,718**

MAJOR HEAD 2070-OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES

00.105 - SPECIAL COMMISSION OF ENQUIRY

01-LAW COMMISSION

OBJECT HEADS	EXPDR UPTO 12/15	0		
SALARIES	3,34,28,632			3,34,28,632
OVERTIME ALLOWANCE	1,25,870			1,25,870
MEDICAL TREATMENT	2,04,709			2,04,709

DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	7,19,901			7,19,901
FOREIGN TRAVEL EXPENSES	2,04,384			2,04,384
OFFICE EXPENSES	83,22,914			83,22,914
RENTS, RATES AND TAXES	5,91,97,202			5,91,97,202
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	11,87,853			11,87,853
PROFESSIONAL SERVICES	3,70,400			3,70,400
OTHER CHARGES	2,76,361			2,76,361
TOTAL	**10,40,38,226**	**0**	**0**	**10,40,38,226**

MAJOR HEAD 2070-OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES
00.800-OTHER EXPENDITURE
01.-VIDHI SAHITYA PRAKASHAN

OBJECT HEADS	**EXPDR UPTO 12/15**			
SALARIES	2,63,31,329			2,63,31,329
WAGES	78,967			78,967
OVERTIME ALLOWANCE	2,650			2,650
MEDICAL TREATMENT	11,62,829			11,62,829
DOMESTIC TRAVEL EXPENSES	1,42,921			1,42,921
OFFICE EXPENSES	34,03,808			34,03,808
PUBLICATION	33,58,727	47,988		33,58,727
OTHER ADMN. EXPENSES	75,267			75,267
PROFESSIONAL SERVICES	50,200			50,200
OTHER CHARGES	1,52,355			1,52,355
TOTAL	**3,47,59,053**	**47,988**	**0**	**3,47,59,053**
TOTOL MAJOR HEAD-2070	**13,87,97,279**	**47,988**	**0**	**13,87,97,279**

MAJOR HEAD 3601-GRANTS-IN-AID TO STATE GOVERNMENTS

NON-PLAN GRANTS-SPECIAL COURTS-GRANTS IN AID	3,10,00,000			3,10,00,000
GRANTS FOR CENTRALLY SPONSORED PLAN SCHEME	4,79,62,00,000			4,79,62,00,000
GRANTS-IN-AID				-
TOTAL MAJOR HEAD-3601	**4,82,72,00,000**	**0**	**0**	**4,82,72,00,000**

MAJOR HEAD-3602-GRANTS-IN-AID TO UT GOVTS.
GRANT FOR INFRASTRUCTURAL FACILITIES

GRANTS IN AID	60,40,31,674			60,40,31,674
TOTAL MAJOR HEAD	**60,40,31,674**	**0**	**0**	**60,40,31,674**

3602				
TOTAL REVENUE SECTION	**18,39,58,26,383**	**2,70,66,81,427**	**2,15,13,40,818**	**20,54,71,67,201**

CAPITAL SECTION :
MAJOR HEAD 4070 - CAPITAL OUTLAY ON OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES.

DIRECTION AND ADMINISTRATION				
ACQUISITION OF LAND AND CONSTRUCTION OF BUILDINGS FOR INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL-MAJOR WORKS	70,00,596	6,20,00,000	4,07,01,793	4,77,02,389
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS - MAJOR WORKS				-
TOTAL MAJOR HEAD-4070	**70,00,596**	**6,20,00,000**	**4,07,01,793**	**4,77,02,389**
TOTAL REVENUE + CAPITAL SECTION	**18,40,28,26,979**	**2,76,86,81,427**	**2,19,20,42,611**	**20,59,48,69,590**

DEPARTMENT WISE EXPENDITURE 2015-16 (UPTO DECEMBER 2015)

(Amount in crores of Rupees)

MAJOR HEAD	BUDGET ESTIMATE	Authorisation	Expdr booked by this Ministry	Expdr booked by the authorised Ministry	Total Expdr	ACTUAL AS % OF BE
2014-ADMINISTRATION OF JUSTICE						
LEGAL ADVISERS AND COUNSELSSSS	36.50		27.17		27.17	74.44
E-Courts	2.00	2.00		1.47	1.47	73.50
NATIONAL JUDICIAL ACADEMY	10.74		5.50		5.50	51.21
INTERNATIONAL CENTRE FOR ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ICADR)	0.02				0.00	0.00
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY	145.00		67.97		67.97	46.88
ASSISTNAT TO STATE GOVT. FOR ESTABLISHGING & OPERATING GRAM NYAYALAYAS	0.01				0.00	0.00
NATIONAL MISSION FOR JUSTICE AND LEGAL REFORMS	212.29	8.00	2.26		2.26	1.06
SAJI	5.00	4.00	0.16	4.00	4.16	83.20
DEDUCT RECOVERIES OF OVERPAYMENTS				-7.71	-7.71	
TOTAL MH-2014	**411.56**	**14.00**	**103.06**	**-2.24**	**100.82**	**24.50**
2015-ELECTION						
ELECTORAL OFFICERS	60.00		36.00		36.00	60.00
PREPARATION AND PRINTING OF ELECTORAL ROLLS	80.00		54.00		54.00	67.50
CHARGES FOR CONDUCT OF ELECTION FOR LOK SABHA AND STATE/UNION TERRITORY LEGISLATIVE ASSEMBLIES WHEN HELD SIMULTANEOUSLY	1555.40		927.09	0.49	927.58	59.64

CHARGES FOR CONDUCT OF ELECTION TO RAJYA SABHA	0.31				0.00	0.00
EXPENDITURE ON UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE	6.60		1.84	0.69	2.53	38.33
ISSUE OF PHOTO IDENTITY CARDS TO VOTERS - REIMBURSEMENT OF STATE GOVERNMENT	40.00		37.00		37.00	92.50
EXPENDITURE ON ELECTRONIC VOTING MACHINES (EVMs)	400.00	255.58		215.94	215.94	53.99
EXPENDITURE ON PRESIDENTIAL/VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS	0.09				0.00	0.00
TOTAL MH - 2015	**2142.40**	**255.58**	**1055.93**	**217.12**	**1273.05**	**59.42**
2020 - COLLECTION OF TAXES ON INCOME AND EXPENDITURE						
INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL	146.05	0.30	49.32	0.05	49.37	33.80
NATIONAL TAX TRIBUNAL	0.03					0.00
TOTAL MH - 2020	**146.08**	**0.3**	**49.32**	**0.05**	**49.37**	**33.80**
2052-SECRETARIAT GENERAL SERVICES						
OFFICIAL LANGUAGES WING	9.23	0.03	7.03		7.03	76.16
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS	46.93	0.44	34.26	0.12	34.38	73.26
LEGISLATIVE DEPARTMENT	17.63	0.01	11.53		11.53	65.40
DEPARTMENT OF JUSTICE	6.47	0.25	4.77	0.09	4.86	75.12
APPELLATE TRIBUNAL OF FOREIGN EXCHANGE	9.32		6.21		6.21	66.63
NATIONAL LEGAL SERVICE AUTHORITY	5.65		2.08		2.08	36.81
SALSA	2.06		0.85		0.85	41.26
UNIFIED LITIGATION AGENCY	8.41		6.32		6.32	75.15
NATIONAL MISSION FOR JUSTICE DELIVERY AND LEGAL REFORMS	2.96	0.06	1.22		1.22	41.22
TOTAL MH - 2052	**108.66**	**0.79**	**74.27**	**0.21**	**74.48**	**68.54**

2070 - OTHER ADMINISTRATIVE SERVICES						
SPECIAL COMMISSIONS OF ENQUIRY - LAW COMMISSION	14.03		10.40		10.40	74.13
INTERNATION LAW ASSOCIATION	0.01				0.00	0.00
VIDHI SAHITYA PRAKASHAN	5.81		3.48		3.48	59.90
TOTAL MH-2070	**19.85**		**13.88**	**0.00**	**13.88**	**69.92**
2552 - GRANTS-IN-AID TO NORTH EASTERN STATES	**80.66**		**0.00**		0.00	0.00
3601-GRANTS-IN-AID TO STATE GOVERNMENTS						
ADMINISTRATION OF JUSTICE - SPECIAL COURTS	5.00		3.10		3.10	62.00
ADMINISTRATION OF JUSTICE - OTHER GRANTS-GRANTS FOR INFRASTRUCTURAL FACILITIES FOR JUDICIARY	443.69		479.62		479.62	108.10
TOTAL MH - 3601	**448.69**		**482.72**	**0.00**	**482.72**	**107.58**
3602-GRANTS-IN-AID TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS	**63.00**		**60.40**		**60.40**	**95.87**
4070-CAPITAL OUTLAY ON OTHER AMDINISTRATIVE SERVICES						
ACQUISITION OF LAND AND CONSTRUCTION OF BUILIDNG FOR INSTITUTE OF LEGISLATIVE DRAFTING & RESEARCH	0.01					
ACQUISITION OF LAND AND CONSTRUCTION OF BUILIDNG FOR INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL	102.73	6.20	0.70	4.07	4.77	4.64
ACQUISITION OF LAND AND CONSTRUCTION OF BUILDING FOR NATIONAL TAX TRIBUNAL	0.01				0.00	0.00
TOTAL MH-4070	**102.75**	**6.20**	**0.70**	**4.07**	**4.77**	**4.64**
GRANT TOTAL	**3523.65**	**276.87**	**1840.28**	**219.21**	**2059.49**	**58.45**